खण्ड-437, अंक-9
बुधवार, 12 वैशाख, शक संवत् 1923
(2 मई, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 437 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–89
दि० 23-2-2001 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को आज की कार्यसूची में न लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	89–90
कार्यसूची में क्र०सं० 20 पर अंकित प्रश्न के उत्तर में विसंगति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	90
अल्पसूचित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न में परिवर्तित करने की आपत्ति पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	90
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	90–91
जनपद श्रावस्ती के ग्राम हुसैनपुर खुरेरी से भिनैली में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पुल का उपयोग न होने एवं खण्ड–6 में हीमवालिया माइनर की खुदाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद महराजगंज एवं गोरखपुर के बाढ़ पीड़ितों को मानक के अनुरूप सहायता राशि न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	91–93
तेरहवीं विधान सभा के कार्यकाल को लेकर व्याप्त अनिश्चितता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	93–102
नेता विरोधी दल की अनुपस्थिति के कारण बजट पर साधारण चर्चा प्रारम्भ न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	102
दि० 10 अप्रैल, 2000 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०–2 के अनुपूरक उत्तर के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य	103–125
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	125
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	125
नेता विरोधी दल के भाषण के समय मा० मुख्य मंत्री एवं उच्चाधिकारियों को सदन में उपस्थित रहने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	125
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	125–138
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	138–139
प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र मेरठ–चण्डीगढ़–सहारनपुर–करनाल तथा सहारनपुर लोनी मार्गों पर निजी बसों के संचालन को परिवहन विभाग द्वारा बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा दि० 24 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री के निर्धारित वक्तव्य का स्थगन	139

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दि० 24 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	139–142
प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 400 पूर्णकालिक एवं 400 अंशकालिक प्रवक्ता के पदों पर सवेतन स्वीकृति के बावजूद सरकार द्वारा नियुक्ति न किये जाने के विरुद्ध अनिश्चित कालीन धरना, प्रदर्शन एवं आमरण अनशन के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	142–143
जनपद संत रविदासनगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां स्थित पानी की टंकी जमुनीपुर अठगवां मोड़ से जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	143–145
नत्थियां	146–153

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 2 मई, 2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
आर्य राम शरन, श्री	हाथरस
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
ओइमवेश, स्वामी,	बिजनौर
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काशीनाथ, श्री	सुल्तानपुर
काशी राम,श्री	रामपुर
केशो मेहरा, श्री	आगरा
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात
चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
छोटे लाल वर्मा, डा०	महोबा
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
दिलीप कुमार,श्री	बहराइच
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नन्दराम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह यादव,श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री	खीरी
प्रभु नारायण सिंह यादव,श्री	वाराणसी
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फागू, श्री	मऊ
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बी० आर० वर्मा,श्री	जौनपुर
भाई लाल,श्री	मिर्जापुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मोती लाल, श्री	खीरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

योगेन्द्र सिंह सेंगर,श्री	देवरिया
रघुराज प्रसाद सिंह 'राजा भईया, कुंवर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राजनाथ सिंह,श्री	बाराबंकी
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजा राम पाण्डेय,श्री	प्रतापगढ़
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन,श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह,श्री	गोण्डा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
सतीश जतारिया, श्री	झांसी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सतीश शर्मा,श्री	बुलन्दशहर
सत्य प्रकाश सोनकर,श्री	वाराणसी
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखपाल पाण्डेय,श्री	बस्ती
सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
सौलत अली एडवोकेट, श्री	मुरादाबाद
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हीराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

बुधवार, दिनांक 2 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 03 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 03 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरकारी विभागों को कम्प्यूटरीकृत करने के फलस्वरूप सरकारी नौकरियों की स्थिति

*1.—डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सरकारी विभागों को कम्प्यूटरीकृत कर सरकारी नौकरियों में कमी करने के लिये विश्व बैंक एवं भारत सरकार से कोई समझौता किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि इसके फलस्वरूप प्रदेश में बेरोजगारों की समस्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा है ? यदि हां, तो क्या इसके निराकरण के कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मैंने पूछा है कि प्रदेश में सरकारी विभागों को कम्प्यूटरीकृत कर सरकारी नौकरियों में कमी करने के लिए विश्व बैंक एवं भारत सरकार से कोई समझौता किया गया है ? माननीय मंत्री जी ने कहा है जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले यह बतायें कि भारत सरकार से कोई समझौता हुआ है या नहीं इसको प्रदेश सरकार किस तरह बताएगी ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

इसका प्रदेश सरकार पर प्रभाव पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर दे दिया है वरना प्रदेश सरकार कहां से उत्तर देगी ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सरकार के प्रमुख सचिव वित्त के नेतृत्व में अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल अमेरिका गया था । इस संबंध में जो उनकी वार्ता हुई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार विभाग में कम्प्यूटरीकरण करने के कारण पदों को समाप्त करने की कोई योजना बना रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, भारत सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसमें आधार नहीं था, कोई बात नहीं थी कि कम्प्यूटीकरण किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

किससे समझौता हुआ था ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैने कहा कि भारत सरकार से वार्ता हुई, यहाँ की असंतुलित वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने के संबंध में उसमें यह बात नहीं थी कि कम्प्यूटीकरण करके पदों को समाप्त किया जायेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि नौ हजार पदों का विज्ञापन करके भर्ती की जायेगी। मान्यवर, जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा कि विश्व बैंक से समझौता हुआ है उसके तहत दो प्रतिशत पद हर साल कम करने की योजना है तो इसमें विरोधाभास है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भविष्य में भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें विरोधाभास कहां है ? बहुत से ऐसे पद होंगे इन नौ हजार में, जिसका कम्प्यूटीकरण न हो, वह इसमें सम्मिलित न हों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, कुछ ऐसे विभाग है जिनमें सेवाओं में लेने में किसी प्रकार की रोक नहीं है जैसे कि पुलिस विभाग है, शिक्षा विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन नौ हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की है, वह सदन के सामने है इससे स्पष्ट है कि सेवाओं में लेने के लिए रोक नहीं लगा रहे हैं। वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो अवकाश प्राप्त हो रहे हैं उनमें पुनः भर्ती नहीं की जा रही है। विश्व बैंक के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप भी जाते हैं जिले में, तो देखते हैं कि अमुक-अमुक इन्दिरा आवास आवंटित हुए हैं, कम्प्यूटीकृत चिट्ठी आती है। मान्यवर, आज हर विभाग में कम्प्यूटीकरण हो गया है उससे जो बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्येक विभाग को क्या निर्देश प्रस्तुत किये हैं वित्त मंत्री जी ने और दूसरा यह है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि हर विभाग में दो प्रतिशत पदों की कमी होगी, तो उसका क्या कारण है ? उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश में कहां कराया है ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इससे जो बेरोजगारी की स्थिति पैदा होगी, तो क्या स्थिति होगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, जो तथ्य अनेक विभागों के सामने आये हैं उससे स्पष्ट है कि कम्प्यूटरीकरण होने के कारण कार्य की क्षमता बढ़ी है। लेकिन किसी प्रकार से पदों में कोई कमी नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के 17 कार्यालय हैं यह सभी कार्यालय पिछले 3 वर्षों से कम्प्यूटरीकृत हो गये हैं, एक भी पद नहीं हटाया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक के 52 कार्यालय हैं यह भी कम्प्यूटरीकृत हो गये हैं, न कोई पद हटाया गया है, न किसी की छटनी की गयी है। जो उत्तर प्रदेश के कोषागार हैं इसमें कम्प्यूटर लगने के पहले जो पद थे वह 3408 थे उसमें एक भी छटनी नहीं हुई। मान्यवर, इसी प्रकार राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा आय-व्ययक संरचना में कम्प्यूटर का प्रयोग पिछले 5 वर्षों से हो रहा है। इससे आय-व्ययक बनाने में काफी सहायता मिली है। वित्त विभाग में एक भी पद में कमी नहीं हुई है।

श्री प्रमोद कुमार–

सदन को, मान्यवर, मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि कम्प्यूटरीकरण होने पर कहीं भी किसी भी विभाग में पदों के सृजन में कमी नहीं होगी ? मान्यवर, कुछ पद स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी कम्प्यूटर से कार्य की क्षमता बढ़ जाती है इसको ध्यान में रखते हुए और सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विधान सभा सदस्यों की संख्या 430 होने पर 10 प्रतिशत मंत्री पद होने चाहिये ?

श्री अध्यक्ष–

कम्प्यूटर दौरा नहीं करेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

जेब खर्च भी नहीं लेगा । मान्यवर, कुल विधान सभा सदस्यों की जो संख्या है, उसके 10 प्रतिशत मंत्री पद होने की बात है । मान्यवर, कुछ अस्थाई पद हैं और बहुत से फालतू लोग भी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी पहले प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, कम्प्यूटरीकरण होने के बाद, न पद कोई हटाये जायेंगे और न किसी की छटनी होगी। कम्प्यूटर क्षमता बढ़ाने के लिए है, छंटवाने के लिए नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, काम नहीं होता है जेब खर्च बढ़ने लगता है ।

श्री अध्यक्ष–

कम्प्यूटर का वायरस फिर काम करने लग जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि विगत दिनों ऐसे पद जो पिछले एक वर्ष रिक्त थे उन पदों को समाप्त किया गया है और दूसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश में कितने से एडहाक नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, 31-3-98 से एक साल या अधिक वर्षों से जो पद रिक्त पड़े थे ऐसे 17,171 पद समाप्त किये गये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसका मतलब यह है कि जिनकी वित्तीय स्वीकृतियां थी, जिनकी विभागीय स्वीकृति थी या 98 से रिक्त पड़ थे, उन पदों पर सरकार बेरोजगारी दूर करना चाहती तो उनको सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से या अखबार में विज्ञापन देकर रेगुलर भरती करती, लेकिन क्या कारण है, कि सरकार कहती है कोई पद नहीं समाप्त कर रहे हैं, तो यह जो 17 हजार पद रिक्त पड़े थे इनको समाप्त करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष–

बता दिया कि जो पद रिक्त पड़े थे, उनको क्यों समाप्त किया ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पिछले 2 वर्षों में कितने संवर्ग के पदों को समाप्त किया गया है और जो पद समाप्त किये गये हैं उनका कारण कम्प्यूटरीकरण नहीं तो और क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

एक कारण बता दिया कि जो कि वर्षों से पद रिक्त पड़े हुए थे । केवल कम्प्यूटरीकरण के कारण रिक्तियां होगी तो वह पद समाप्त होंगे, यह तो दूसरा कारण हो गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कम्प्यूटरीकरण के कारण बहुत से संवर्ग के संवर्ग समाप्त हो गयें हैं, डाइंग कैडर डिक्लेयर हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी बता दें, क्या कुछ ऐसे पद हैं जो कम्प्यूटरीकरण के कारण मृत घोषित हो गये हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, जी नहीं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में जो निर्धारित पद हैं उनमें 2 प्रतिशत पदों की प्रतिवर्ष कटौती की जावेगी तथा इसके चलते प्रदेश सरकार ने किसी भी विभाग में नये पदों के सृजन पर रोक लगा दी है । कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, उन रिक्त पदों की घोषणा की है, जो वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं और उन पर नियुक्तियों की बात की है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक कोई ऐसा आश्वासन दिया है कि 2 प्रतिशत पद प्रतिवर्ष समाप्त करने का काम करेगी और नया पद नहीं सृजित करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार का, विश्व बैंक के साथ, कोई ऐसा समझौता वार्ता नहीं हुआ है।

डा० अशोक बाजपेयी–

क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक को आश्वस्त किया है कि प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत पदों की कटौती करेंगे और इसके चलते कोई नया पद विभागों का नहीं सृजित होगा ? मान्यवर, यह मेरी निश्चित जानकारी है, मैंने समझौते की बात नहीं की है मैंने आश्वासन की बात की है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, विश्व बैंक को आश्वासन देने का उत्तर प्रदेश सरकार का कोई औचित्य भी नहीं है और कहा भी नहीं है जो वार्ता होती है भारत सरकार के साथ होती है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, हम यह अपेक्षा करते हैं कि सदन में कोई बात छिपाई नहीं जायगी, यह मेरी निश्चित जानकारी है । सदन के सामने सत्य से परे उत्तर दिया गया है और तथ्यों को छिपाया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

निदेश 165-166 के तहत कार्यवाही करिये ।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अहम् सवाल है और जैसा वित्त मंत्री जी के जवाब में आया है, क्या वित्त मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा गया ? नम्बर–2, यदि पद रिक्त थे, तो प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, जो पद 31-3-98 को एक साल से अधिक समय से रिक्त पड़े थे उन पदों को निरस्त किया गया है।

(अनुपूरक प्रश्न के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री राम जग ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो पद खाली थे वह इसी सरकार ने समाप्त कर दिये, जबकि सरकार में परिवर्तन नहीं हुआ। 31-3-98 को जो पद रिक्त थे उन पदों को न भर उन पदों को ही समाप्त कर दिया गया है। यह सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है। आपकी रोजगार देने की नीति क्या है, बता दें ?

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पद 31-3-98 को एक वर्ष या उससे अधिक समय से खाली पड़े थे, उन पदों को भरने की जिम्मेदारी किसकी थी ? यह सरकार द्वारा दिये गये किसी आश्वासन का अंग तो नहीं है। सरकार ने कहा है कि हम छटनी नहीं करेंगे, तो आप खाली हुए हाथों से क्या काम ले रहे हैं और सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मैं कई बार कह चुका हूं कि जो पद रिक्त पड़े हुए थे उनको निरस्त किया गया है। जहां तक भर्ती का प्रश्न है, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि 9000 लोगों की भर्ती की जायेगी और मान्यवर, रोजगार के जितने अवसर आयेंगे वे भी नयी भर्ती के कारण बनेंगे। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय टेक्नोलॉजी संस्थाओं में इन्फारमेशन टेक्नॉलोजी को भी रखा गया है। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और दूसरा इस बजट भाषण के पृष्ठ–59 में जिसके बारे में व्यापक कार्यक्रम चलाने का उल्लेख किया गया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के लिए इन्फारमेशन टेक्नोलोजी तथा सुदृढ़ टेली कम्यूनिकेशन नेटवर्क बनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैंने पहले निवेदन किया कि बहुत से ऐसे विभाग हैं, जिनमें नई भर्ती होने जा रही है, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग इनमें नई-नई भर्तियां होंगी। इसके साथ-साथ रोजगार की अन्य बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं–जवाहर ग्राम्य स्वर्ण जयन्ती योजना, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत से रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल ने भी अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि 31-3-98 को रिक्त पड़े पदों को भरने की जिम्मेदारी किसकी थी और उनमें क्यों नहीं भरा गया और फिर उनको निरस्त कर दिया गया ? माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि 31-3-98 को ये 17 हजार पद क्यों रिक्त थे और उन्हें क्यों नहीं भरा गया ? मान्यवर, आप मंत्री जी से स्पेशिफिक उत्तर दिलवा दें, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

संरक्षण चाहिए, लेकिन उचित संरक्षण चाहिए। मंत्री जी ने एक संख्या बतला दी कि ये पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त थे इसलिए उनको हमने समाप्त कर दिया। आपका मूल प्रश्न था कि

कम्प्यूटरीकरण के कारण क्या बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी या नहीं । आपने पूछा है कि जो ये 17 हजार पद समाप्त हुए हैं उन्हें क्यों नहीं भरा गया ? यह तो अनेक विभागों से सम्बन्धित होंगे, बहुत विस्तृत हो जायेगा, इसकी अनुमति नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा

*1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा०रामबाबू हरित)–

शासनादेश संख्या–984/5-1-2000-4(80)/95, दिनांक 28-6-2000 के प्रस्तर–4 के अनुसार निर्धन व्यक्तियों को वाह्य रोगी विभाग एवं जनरल वार्ड में भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार व निदान की सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध है । अलग से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संदर्भगत शासनादेश दिनांक 28-6-2000 में आवश्यक व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह प्रश्न गरीब और निर्धन परिवारों के जीवन से सम्बन्धित प्रश्न है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता था कि निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर सरकार क्या विचार कर रही है ? जहां एक तरफ पर्चियों के दाम बढ़ाकर आपने शुल्क बढ़ाया है, अस्पतालों से लोगों का विश्वास इसलिए उठ रहा है कि वहां पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है । और मरीज प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनरल वार्ड में भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार व निदान की सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध है । अलग से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । यह सुविधा कागज पर ही उपलब्ध है । गरीबों को जो निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है और आप शुल्क बढ़ाये जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 28-6-2000 में जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें कौन सी चिकित्सा सुविधायें है और क्या वह गरीब, निर्धन परिवारों को उपलब्ध करायी जा रही है ?

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जो 28 जून, 2000 को शासनादेश हुआ है उसमें विभिन्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की गयी हैं जिसमें राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, मातृ-शिशु कल्याण, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, अन्धता निवारण, राष्ट्रीय क्षय रोग निवारण कार्यक्रम, एड्स आदि में पूर्णतः निःशुल्क सुविधा दी जा रही है । निराश्रित, ट्रायल केसेज के मरीज और इमरजेंसी में देखे जाने वाले रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है और जो 24 घंटे के अन्दर आकस्मिक विभाग में मरीज भर्ती होगा उसको निःशुल्क सुविधा देंगे । गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं । जो सफेद कार्ड धारक हैं उनको भी यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क दे रहे हैं मात्र पर्चे का पैसा ले रहे हैं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह क्रमशः 2 व 3 रुपये है जबकि जिला अस्पताल में 6 रुपया कर दिया गया है । शेष सभी सुविधायें

मुफ्त दी जा रही हैं। हमने यह भी व्यवस्था की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास सफेद राशन कार्ड नहीं है और वह गरीबी की रेखा से नीचे आ रहा है तो हमने चिकित्सा अधीक्षक के विवेक पर छोड़ दिया, यदि वह यह समझ रहा है कि यह वास्तव में गरीब है तो उसको भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा, ऐसा व्यक्ति चाहे शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो।

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की खण्डपीठ में याचिका संख्या–978/एम० बी०/97, मुहम्मद मुबीन एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में 14 मार्च, 1997 को निर्णय लिया गया था उसका सम्मान करते हुए यह व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है।

डा० वकार अहमद शाह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 28 जून से पहले जो शासनादेश किया गया था उस समय जो सुविधायें गरीब मरीजों को मिलती थी उनमें और आज मिलने वाली सुविधाओं में हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की है ? किसी भी जिला अस्पताल में सुविधा नहीं मिल पा रही है। मंत्री जी ने बताया कि एड्स, कुष्ठ एवं क्षय रोगों में निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, यह अलग प्रकरण है। आज अगर कोई इमरजेंसी में एडमिट होता है उसके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था नहीं है, वह गरीब आदमी कहां से धन लायेगा और इलाज करा सकेगा ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर,मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो भी गरीब व्यक्ति है उसे पूर्णतः निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें दी जा रही हैं। हमने जो पर्ची आदि बनवाने के दाम बढ़ाये हैं उससे स्थिति सुदृढ़ हुई है। हमने उस यूजअल चार्जेज का 50 प्रतिशत खर्च एक समिति बनाकर करने की व्यवस्था की है। उससे छोटे-मोटे सामान हम क्रय कर रहे हैं जैसे कॉटन, बैन्डेज, जनरेटर के लिए तेल आदि। इससे लोगों को काफी सुविधायें मिल रही हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो शासनादेश का हवाला दिया है, वास्तविकता यही है कि आज सरकारी अस्पतालों में जो निःशुल्क दवाइयां आदि देने की बात कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वास्तविकता तो यही है कि आज अस्पतालों में जो गरीब मरीज आते हैं तो उनसे रुई, पट्टी, सिरिन्ज और प्लास्टर आफ पेरिस के लिए जो डाक्टर हैं, पैसा लेते हैं और उन मरीजों को उसके लिए कुछ न कुछ पैसा उन्हें अवश्य देना पड़ता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या गरीबों के लिए आप नेशनल हेल्थ स्कीम लागू करेंगे जिसमें मामूली प्रीमियम हो। तो क्या आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था यहां पर लागू करेंगे ? दूसरे जो इन्होंने निःशुल्क व्यवस्था की बात कही है, वैसा व्यवहार में कहीं भी नहीं है। चूंकि यह सदन है और सदन के सामने वास्तविकता आनी चाहिए, सिर्फ शासनादेश लागू कर देने से कुछ भी नहीं होता है इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया है कि गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा देने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस संबंध में पहले अवगत करा चुका हूं। मैंने कई जगहों पर समय-समय पर जाकर निरीक्षण किया है, मेरे सामने कहीं पर भी किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या नहीं आयी है और मुझे इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है कि गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा नहीं की जा रही है और उनको सुविधायें न मिल रही हों।

श्री अध्यक्ष–

जिस नेशनल हेल्थ पालिसी की बात श्री डंग जी ने कही है कि क्या सरकार ऐसी कोई स्कीम बनायेगी, इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है ?

डा० राम बादू हरित–

मान्यवर, इस बारे में विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा है कि मैंने समय-समय पर इसका निरीक्षण किया है और कहीं भी मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है तो मान्यवर, यह बता दें कि पूरे प्रदेश में यह संख्या कितनी है और कितने निर्धन व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यह सुविधायें प्राप्त हो रही हैं ? मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में 36 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और आज अधिकांश अस्पतालों की एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब पड़ी हैं, जिससे उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में अपना निरीक्षण करवाना पड़ता है, तो क्या इसके लिए कोई अलग से धन की व्यवस्था की गई है, और इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है तथा अब तक कुल कितने निर्धन मरीजों का इलाज किया गया है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, इसके लिए विस्तृत जानकारी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए समय चाहिए । जैसा आप आदेश करेंगे माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

क्या अलग से धन की व्यवस्था गयी है, यह बता दें ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, इसमें विभिन्न जनपदों से जानकारी करनी पड़ेगी कि कितने मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

कितने धन की व्यवस्था की गयी है ? इसका उत्तर दे दीजिये ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं की गयी है जो हमारी व्यवस्था बनी है उसी के अन्तर्गत इसको सुनिश्चित कराते हैं ?

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह वास्तविकता ही नहीं बल्कि ध्रुव सत्य है कि जो सुविधायें अस्पताल में गरीबों को निःशुल्क मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं । मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि जो भी सुविधायें मिल रही हैं वह प्रभावशाली लोगों को उपलब्ध हैं । सी० एम० ओ०, सी० एम० एस० प्रभावशाली लोगों को आब्लाइज करने के लिए लोकल परचेज करके दवाओं को उपलब्ध करवाते हैं और जिस शासनादेश का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है, उसके अनुसार दी जाने वाली सुविधा से गरीब मरीज वंचित हैं । जब गरीब मरीज इलाज कराने जाता है तो उससे कहा जाता है कि आप सर्टीफिकेट लाइये । मैं जानना चाहता हूं कि जिस शासनादेश का उल्लेख माननीय मंत्री जी कह रहे हैं उसके अन्तर्गत जो सुविधायें गरीबों को मिलनी चाहिए वह मिलें और उनको परेशान न किया जाय इस दिशा में कोई कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

जैसा मैंने पूर्व में अवगत कराया जहां किसी गरीब व्यक्ति के पास सफेद कार्ड नहीं है वहां पर प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने विवेक का प्रयोग करके ऐसे लोगों को मुफ्त इलाज करायेगा । माननीय

के संज्ञान में, यदि कहीं पर निःशुल्क इलाज नहीं किया जा रहा है तो वह हमें बतायें, मैं जांच कराकर कार्यवाही करूंगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो गम्भीर रूप से बीमार मरीज हैं और निर्धन हैं उनके लिए एम० आर० आई० और सी० टी० स्केन जैसी सुविधा प्रदेश के किसी चिकित्सालय में उपलब्ध है अथवा नहीं ?

डा० राम बाबू हरित–

अभी यह व्यवस्था हमारे किसी भी चिकित्सालय में नहीं है । शीघ्र ही एक परियोजना स्वीकृत करके हम कुछ जनपदों में इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने जा रहे हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जिस शासनादेश का हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया है जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है तो उसमें प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि अनुमन्य है और कितनी धनराशि 2000-2001 के बजट में रखी गयी है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, 10 हजार रुपये प्रति शैय्या प्रति वर्ष के हिसाब से व्यवस्था सुनिश्चित करायी है । प्रति व्यक्ति के हिसाब से व्यवस्था नहीं है, प्रति शैय्या के हिसाब से व्यवस्था है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जब प्रति व्यक्ति धनराशि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के लिए निर्धारित नहीं की गयी है तो फिर इस शासनादेश का कोई मंतव्य नहीं रह जाता है । गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, प्रति शैय्या प्रति वर्ष के हिसाब से व्यवस्था सुनिश्चित है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं लिखकर दे रहा हूं, इस पर चर्चा करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अभी रैली में आ रही बस पलट गयी जिसके कारण 24 लोग घायल होकर अस्पताल गये उनसे प्रति व्यक्ति 300 रुपये पर्ची काटने की बात कही गयी । पर्ची काटने के पहले उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई उनको बरामदे में रखा गया । अगर किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल में जाएगा तो उससे पहले 300 रुपये की पर्ची कटवाने की बात की जाएगी इस तरह से निःशुल्क व्यवस्था कहां रही ?

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

रैली में जो लोग आ रहे थे और एक्सीडेंट में घायल हो गए के० जी० एम० सी० इलाहाबाद में मैंने उनकी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था करवाई है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह तो मंत्री जी के हस्तक्षेप से कार्यवाही हुई । शासन की इस संबंध में क्या नीति है ? अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से 300 रुपये की पर्ची कटवाने की बात करता है तो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न है निर्धनों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के बारे में । दुर्घटना में, निर्धन भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है । यह मूल प्रश्न से नहीं आता है । दुर्घटना में घायल लोगों को चिकित्सा और निर्धन लोगों की चिकित्सा में अन्तर हैं ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, आकस्मिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए आकस्मिक विभाग में भर्ती रोगियों को प्रथम 24 घंटे चिकित्सा के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता । राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों में ऐसे रोगियों का जो निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है ऐसे रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा स्वविवेकानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

24 घंटे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन इसके बावजूद 300 रुपये की पर्चियां कटवाई गईं इन दोनों में विरोधाभास है ।

श्री अध्यक्ष–

मा० पाण्डेय जी का मूल प्रश्न है कि क्या निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? अगर किसी योजना के क्रियान्वयन में कोई दोष है, तो वह अलग है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं उस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संजय गर्ग को बुला लिया है ।

श्री संजय गर्ग–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जो प्रश्न है कि क्या सरकार निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है, इस संबंध में जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को चाहे दुर्घटनाग्रस्त होने पर या बीमार होने पर आपरेशन थियेटर में सी० टी० स्कैन, एक्स-रे व डायग्नोसिस वगैरह करवाना पड़ता है, इसके लिए उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम का मुंह देखना पड़ता है । क्या सरकार एडवांस डायग्नोसिस सेंटर खुलवाने पर विचार कर रही है तथा वह किन-किन जनपदों में खुलवाने पर विचार कर रही है तथा उसका मापदण्ड क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से अलग है ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, श्री लालजी वर्मा जी ने भी यही पूछा था और उसका मैं उत्तर दे चुका हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया । पहली बात तो मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि जब जब स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न सदन में आता है तो माननीय रमापति के हस्ताक्षर से तो आता है परन्तु वह उपस्थित नहीं रहते ।

श्री अध्यक्ष–

कई बार उपस्थित होकर जवाब दिया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस बजट सत्र में तो नहीं आये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इस बजट सत्र को दिन ही कितने हुए हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सही है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है चाहें तो वे कभी न आयें राज्य और उप मंत्री को भेज दें लेकिन हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों को छोड़कर कैबिनेट मंत्री उपस्थित होकर प्रश्नों का उत्तर दें । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिला अस्पतालों में पैसे लेकर मरीज को भर्ती कराया जाता है और मान्यवर, यह बात यहां सभी सदस्यों ने कही है । 250 रुपये में पैथोलोजी टेस्ट और पैसे लेकर ही बाकी टेस्ट भी होते हैं । हाईवेज पर गरीबी की भी दुर्घटना में क्षति होती है उनसे भी पैसा लिया जाता है और दूसरी बात मान्यवर, पहले मरीजों को भोजन दिया जाता है लेकिन वह व्यवस्था अब लगभग समाप्त हो गई है । हां लखनऊ में सिविल, मेडिकल कालेज आदि में अवश्य आज भी है परन्तु अन्य किसी चिकित्सालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो क्या मंत्री जी इस व्यवस्था को पूर्व की भांति चलाने की कृपा करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

इस शासनादेश में यह क्लियर कर दिया गया है कि इमरजेंसी में कोई शुल्क गरीबों से नहीं लिया जायगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी तो ऐसी बात करते हैं क्या मरीज को चारपाई पर, बेड पर नहीं लिटाया जाता । वहां पर उससे पैसा नहीं लिया जाता, यदि नहीं दिया जाता तो इसका आश्वासन दे दें ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जिनके पास सफेद कार्ड रहता है, यदि नहीं भी रहता है तो वहां को विभागाध्यक्ष चाहे तो अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेकर उसे निःशुल्क चिकित्सा मुहइया करा सकते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें पक्ष और विपक्ष की रुचि देखते हुए नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा करा दें । आप देख रहे हैं कि मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जो निर्धन व्यक्तियों से बेड का प्रति दिन 6 रुपया लिया जा रहा है चाहे वह जो भी टेस्ट होते हैं, उसका पैसा लिया जाता है । एक्स-रे कराने का पैसा लिया जाता है । एक्स-रे

मशीन खराब होने पर बाहर से उनको एक्स-रे करवाना पड़ता है । तमाम ऐसे मरीज हैं जो कि बाहर से इन टेस्टों को नहीं करवा सकते हैं वे आज अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक निर्धन व्यक्ति से यह जो सारे चार्ज लिये जा रहे हैं क्या उनको इससे मुक्त करके चिकित्सा देने का काम किया जायेगा ? दूसरा सवाल मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि क्या आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह आ गई है कि जो निर्धन व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं, उनको दुधारू जानवरों को जो दवाएं दी जाती हैं वे दवाएं देने का काम किया जा रहा है ? हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार-पत्र में एक घटना का उल्लेख था ।अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है ?

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निर्धन की परिभाषा क्या है ? दूसरा यह कि निर्धन व्यक्ति को कौन सा प्रमाण-पत्र देना पड़ता है जिसके द्वारा उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध होगी ?

डा० राम बाबू हरित–

गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को सफेद राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं । अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि निर्धन है और उसके पास यह कार्ड नहीं है तो हमने अपने विभाग के अधिकारियों को कह रखा है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कार्यवाही करें ।

श्री सरवर अली खां–

मान्यवर, आपने मुझे इस गम्भीर प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, निर्धन व्यक्तियों के इलाज हेतु जो शासनादेश है उसके बारे में पूरे सदन के सम्मानित सदस्यों ने एक राय से स्वतः स्पष्ट किया है कि उसके अनुसार निर्धन व्यक्ति का इलाज नहीं हो रहा है । जहां तक कार्ड का सवाल है । ऐसा कोई कार्ड निर्धन व्यक्तियों को नहीं दिया जा रहा है जिसको कि वह दिखा सके । अपने घर से कोई निकलता है तो उसके पास कार्ड नहीं होता है । क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि उसका कार्ड न होने की दशा में इलाज निःशुल्क हो जाएगा ? दूसरी बात यह है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है और सम्मानित सदन को इस बात की जानकारी है कि निर्धन व्यक्ति को वगैर पैसे दिये इलाज नहीं मिल पा रहा है । सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि निर्धन व्यक्तियों को भविष्य में निःशुल्क इलाज मिल सके ?

श्री अध्यक्ष–

यह सब तो आ ही गया है ।

डा० राम बाबू हरित–

जैसे माननीय सदस्य ने शंका जाहिर की है मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे जो व्यक्ति हैं, निर्धन हैं, उनका निःशुल्क इलाज होगा, यदि आपके संज्ञान में कोई बात आती है तो आप हमको बतायें हम उस पर उचित कार्यवाही करवायेंगे ?

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना

*2—श्री राम औतार शाक्य–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिये कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने का प्रयास चल रहा है ।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रोकने हेतु उपायों की जानकारी

*3—श्री विजय पाल सिंह तथा श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश की जनसंख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अशिक्षित वर्ग को सरकार द्वारा प्रसारित जनसंख्या नियंत्रण नीति हेतु कोई भी जानकारी नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अशिक्षित लोगों की जनसंख्या वृद्धि रोकने हेतु जानकारी देने की कोई नीति बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी हाँ ।

जी नहीं । भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 98.3 प्रतिशत विवाहित महिलाओं को जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले एक या उससे अधिक उपायों की जानकारी है ।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2000 को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति घोषित की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में नीति की जानकारी दिये जाने की पर्याप्त व्यवस्था है ।

प्रत्येक जनपद में दिनांक 16 अक्टूबर, से 22 अक्टूबर, 2000 तक जनसंख्या जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को भी जनसंख्या वृद्धि रोकने की जानकारी दी गयी है । इसके अतिरिक्त कई जनपदों में दूरदराज इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त जनसंख्या नीति तथा नियंत्रण के बारे में जानकारी भी दी जाती है ।

इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो आदि संचार माध्यमों के द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण हेतु जन सामान्य को सूचनायें उपलब्ध करायी जा रही है तथा सभी सरकारी चिकित्सालयों पर भी जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सूचनायें तथा जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संजय गर्ग–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि 98.3 प्रतिशत विवाहित महिलाओं को जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले एक या उससे अधिक उपायों की जानकारी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा संख्या में विवाहित महिलाओं को जानकारी होने के बावजूद, सुदूर ग्रामीण अंचलों में प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से संचालन करने के बावजूद क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ? कितने प्रतिशत महिलाओं ने आपके द्वारा प्रचारित उपायों को अंगीकृत किया है । श्रीमन्, 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति घोषित की गई है उसके तहत जानकारी दी गई है शिक्षा के द्वारा चलने वाली योजनाओं में नान प्लान डेवलपमेंट को विकसित करने की बात कही जा रही है, जबकि यह प्रतिबन्धित दवायें हैं इन दवाओं से हारमोनल डिसबैलेंस हो रहा है ।

विकासशील देशों की भांति इसको यहां लगाया जा रहा है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, यह शिक्षा हमारी नहीं है यह भारत सरकार की है सकारात्मक नतीजे आने लगे हैं । हमारी जनसंख्या नीति के परिणाम आने लगे हैं इसमें टी०एफ०आर० प्रजनन पर 3.99 आ गये हैं इससे साफ प्रतीत होता है कि सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं । इसको लोग समझ रहे हैं महिलायें चाहे ग्रामीण हों, चाहे शहरी हों 99 फीसदी महिलायें उपयोग कर रही हैं पुरुषों का योगदान एक प्रतिशत है इससे जाहिर है सर्वेक्षण भारत सरकार का सही है । यू०एस०ए०आई०डी० से इसको चला रहे हैं यह आटोनमस बाडी है । हमारी जानकारी में नहीं है कि कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की जा रही है या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है या विकासशील देशों के तरीकों को अपना रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार तो उन्हीं तरीकों को अपना रही है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसा घोषित नहीं किया है जिसको भारत सरकार नहीं मानती है जो भारत सरकार के यहां अनुमन्य है वही हमारे यहां है ।

श्री संजय गर्ग–

शिक्षा के द्वारा चलने वाली योजना में नान प्लान डेपोवरी ऐसे इंजेक्शन है जो हारमोनल डिसबैलेंस करते हैं । जिसके कारण यह अन्य देशों में निषेध हैं उसको इस्तेमाल करने की जानकारी दी जा रही है । क्या इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी माननीय मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ? 98.3 प्रतिशत विवाहित महिलाओं के सरकारी आंकड़ों के बारे में बताया है महिला बाल कल्याण की रिपोर्ट कि 23 प्रतिशत महिलाओं को बच्चा पैदा होने के बाद स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध नही है । आपके पी०एच०सी० में कितने डा० उपलब्ध रहते हैं । तमाम आंकड़े कागजों में हैं और उन आंकड़ों के द्वारा गुमराह करने की बात कर रहे हैं । निश्चित रूप से जनसंख्या में सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए । उसकी प्रबल इच्छा सरकार की नीयत में नहीं है ।

श्री सरदार सिंह–

यह सही नहीं है इंजेक्शन का जो जिक्र किया है अगर कोई एन०जी०ओ० इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी दे दें, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे मेरी जानकारी में नहीं है । मान्यवर, अभी तक जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कुछ ऐसे मैथेड अपना रहे जो अनुमन्य नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर मे कहा है कि 98.3 प्रतिशत महिलाएं जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए एक या अधिक उपाय जानती हैं । मान्यवर, यह पुरुष प्रधान समाज है और उसमें एक प्रतिशत ही ऐसे हैं जो इसमें रुचि ले रहे हैं । तो क्या केवल महिलाओं को ही जानकारी देकर जनसंख्या पर नियंत्रण कर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर लेगें ? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि पुरुषों को इन उपायों की जानकारी देने के लिए यह सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए औरत की कोख ही सरकार के सामने हैं ? दूसरी बात यह है कि सिपसा की आड़ में जो प्रश्न था उसका उत्तर टाल दिया । तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे कि जिन औषधियों को विदेशों ने प्रतिषेध किया गया है और जो सिपसा के माध्यम से हमारे यहां चल रही है, सरकार जानकारी कर ले और अपने यहां प्रतिषेध कर लें इस पर विचार करेगी ?

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, हम सिपसा से जानकारी प्राप्त कर लेंगे और माननीय सदस्य से भी उम्मीद करेंगे कि जो उनकी जानकारी में मामला हो उससे हमको अवगत करायें हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । यह

सही है कि पुरुषों का जो योगदान होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । यह पुरुष प्रधान देश है । जो भ्रान्तियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, अब तो नयी टेक्निक आ गयी है बिना चीर-फाड़ के कर सकते हैं । हम उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं । अभी मेला लगा था, मीडिया के माध्यम से भी, गोष्ठियों के माध्यम से भी और जगह-जगह कैम्प लगाकर हम पुरुषों को प्रेरित कर रहे हैं ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं, अभी डा० बाजपेयी जी ने कहा और मैने भी पिछलेवर्ष इसी बात को सदन में रखा था कि परिवार नियोजन हेतु केवल स्त्रियों को क्यों विवश किया जाता है ? उसको क्यों इसमें उत्तरदायित्व माना जाता है । जबकि सब लोग जानते हैं कि स्त्रियों की आपरेशन के लिए जो झिल्ली होती है, पैरिटोरियम उसके अन्दर जाना पड़ता है और उससे बीमारी होने का अंदेशा रहता है । पुरुषों को कोई खतरा नहीं होता है और वह चाहे तो दोबारा अपनी प्रजनन शक्ति वापस पा सकता है जबकि स्त्रियों के लिए यह मुश्किल होता है । हमारे यहां भ्रान्तियां हैं कि पुरुष आपरेशन से नपुंसक हो जाता है । तो इसके प्रचार और प्रसार के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष ही उसमें सहयोग नहीं देगा केवल स्त्रियों को विवश किया जाता है । जो स्त्रियां आपरेशन कराती हैं या कोई साधन प्रयोग करती हैं मान्यवर, आज स्थिति क्या है, ज्यादातर स्त्रियों कमजोर होने के कारण बीमारी के कारण चार-पांच बच्चों के होने के बाद किसी-किसी के आठ-आठ बच्चे हो जाने के बाद वह आपरेशन का रास्ता चुनती हैं उससे कोई लाभ नहीं है । कहने को आपने आंकड़े भर लिये लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा परिवार नियोजन कार्यक्रम पर तो आपने कोई योजना बनायी है कि किस तरह से पुरुषों को आप प्रेरित करें ?

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, भारत ही नहीं अनेक बाहर के विशेषज्ञों ने भी यह विचार व्यक्त किया है उसी के तहत भारत सरकार ने मार्च, 2000 में अपनी जनसंख्या नीति घोषित की और उसी के आधार पर 11 जुलाई, 2000 को प्रदेश ने अपनी जनसंख्या नीति घोषित की । मान्यवर, न जोर-जबर्दस्ती पुरुष के साथ है, न स्त्री के साथ है । हम शिक्षा का प्रचार-प्रसार करेंगे । हम प्रचार माध्यमों से आम जनता तक अपनी बात पहुंचायेंगे और इसी तरह से सरकारी या गैर सरकारी संगठनों, धर्म गुरुओं, ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों, इन सब के सहयोग से आबादी को नियन्त्रित करेंगे । मान्यवर, आप भी देख रहे होंगे कि जो लोग पढ़ गये हैं चाहे वह किसी भी जाति के हों, वहां परिवार कल्याण उन्होंने अपना लिया है । जहां अशिक्षा है, जानकारी नहीं है, अन्धविश्वास है, वहां पर ये चीजें बढ़ रही हैं ।

मान्यवर, मेला लगाकर, गोष्ठियों के माध्यम से, विज्ञानों के माध्यम से हम यह बतायेंगे कि जो बिना चीरा टांका के नसबन्दी आपरेशन है जिसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है दर्द नहीं होता है । हम इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं । मान्यवर, लखनऊ में और मथुरा में स्वास्थ्य मेला लगा, जगह-जगह लगा रहे हैं, पुरुष भी बड़ी संख्या में आये हैं ।

मान्यवर, मैं सदन में विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी समस्यायें हैं सदन में आ रही हैं, बिजली, पानी, सड़क, पर्यावरण और स्वास्थ्य की है यह जो जमीन का रकबा घट रहा है जब तक आबादी को नियन्त्रित नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या हल नहीं होगी । सदन में माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रचार-प्रसार कर पुरुषों को आगे लाये जिससे यह अच्छा प्रदेश हम बना सकें ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, यहां सदन में पुरुषों में से कितनों ने इस पर ऐक्शन लिया है ?

श्री अध्यक्ष–

हमें पूछने का अधिकार नहीं है ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

सास कह देती है कि पुरुष की जवानी चली जायेगी । माँ कहती है बेटा कमजोर हो जायेगा ।

(व्यवधान)

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, जनसंख्या बढ़ने के तीन मूल कारण हैं अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी । तमाम अध्ययनों के बाद यह सिद्ध हो गया है कि जो लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं उनके घर में जनसंख्या ज्यादा हो रही है तो इन तीन कारणों पर सरकार क्या सोच रही है ?

श्री सरदार सिंह–

प्रश्न दोहरा दें ।

श्री अध्यक्ष–

अशिक्षा, गरीबी की बात आ गयी ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा लागू करने की मांग

*1–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा लागू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है तथा उसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

प्रदेश के विशेष रूप से चयनित ग्रामों एवं नगरों में जनसामान्य हेतु प्राकृतिक स्वास्थ्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा उक्त कार्यक्रम के मूल्यांकन के बाद लखनऊ में एक चिकित्सा अस्पताल खोलने का प्रस्ताव स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु केन्द्रीय प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली को दिनांक 15-7-96 को प्रेषित किया गया है । उक्त परिषद् से स्वीकृत एवं वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर इसे लागू किया जाना सम्भव होगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण का प्रकरण

*2–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1986 एवं 1988 बैच में नियुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों एवं चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) का

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विनियमितीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

(क) वर्ष 1986 में नियुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों में से 5 अधिकारियों के विनियमितीकरण का प्रकरण अभी विचाराधीन है तथा शेष का विनियमितीकरण हो चुका है। वर्ष 1988 में नियुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण अभी नहीं हुआ है क्योंकि वर्तमान नियमों में केवल दिनांक 1-10-86 तक नियुक्त तदर्थ अधिकारियों को विनियमित करने का प्राविधान है। चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद न्यायालय में विवादित होने के कारण उक्त पद पर किसी अधिकारी का विनियमितीकरण अभी नहीं हुआ है।

(ख) वर्ष 1986 के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों का उपरोक्त विनियमितीकरण वर्ष 1991, 1992 एवं 1998 में हुआ है तथा 5 अधिकारियों के प्रकरण अभी विचाराधीन है।

(ग) उपरोक्त (क) के अंकित कारणों से।

(घ) आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण का प्रकरण विचाराधीन है किन्तु चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों पर विनियमितीकरण न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं प्रश्न के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूं कि उस परिधि में आने वाले कुल कितने चिकित्साधिकारी थे जिनका विनियमितीकरण हुआ ? प्रश्न के दूसरे हिस्से में जवाब दिया गया है कि 1991, 1992 और 1998 में हुआ है तो 91 से क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया था और अब 2001 है। विगत 10 वर्षों के बीच में पांच चिकित्साधिकारियों का प्रकरण क्यों विलम्बित रह गया और तीसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान नियमों में केवल डेट 1-10-86 तक नियुक्त तदर्थ चिकित्साधिकारियों को नियमित करने का प्राविधान है तो मैं जानना चाहता हूं कि नियमावली का कौन सा नियम है जिसके कारण 1-10-86 की डेट दी गयी है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि एक निर्णय लिया गया था उसके तहत यह 1-10-86 की डेट रखी गयी है तो इसके पूर्व या इस डेट तक तदर्थ आधार पर नियुक्तियों को विनियमित करनें का प्राविधान है। 1-10-86 के पूर्व के जो 433 चिकित्साधिकारी थे, उसमें से 422 का विनियमितीकरण हो चुका है और पांच का प्रकरण विचाराधीन है, पर शीघ्र इसका निस्तारण कर दिया जायेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, दस वर्षों से यह प्रकरण चल रहा है, तो 5 का प्रकरण विलम्बित होने का क्या कारण है ? वर्तमान नियमों में नियमावली का कौन सा नियम है, जिसके तहत 1-10-86 की कट आफ डेट कर दी है। क्या यह आगे नहीं बढ़ सकता, यह नियम कौन बनायेगा। यह कौन सी नियमावली का नियम है, कि यह आगे नहीं बढ़ सकता ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह कट आफ डेट तय की जाती है उसके तहत कार्यवाही होती है। यह डेट 1-10-86 तक की गयी थी और उसी आधार पर विचार किया गया।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह नियमावली का कौन सा नियम है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, दिनांक 2 अगस्त, 1986 में इस पर विचार किया गया । शासन ने एक शासनादेश के तहत यह निर्णय लिया है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक तो समय ऐसा है कि डा० डंग की समझ में कुछ नहीं आयेगा दूसरे मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है । इसका उत्तर राज्य मंत्री से दिलवा दें, तो डंग साहब की समझ में तुरन्त आ जायेगा ।

डा० संजीव सिंह डंग–

मान्यवर, यह नियमावली ने बता नहीं पाये इस प्रकार के उत्तर जो विधान सभा में आते हैं वह बड़े खास होते हैं कम से कम प्रश्नों के उत्तर में भाषा की गम्भीरता को डिजर्व करना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि 1988-89 में जो चिकित्साधिकारी नियुक्त हुए हैं उनके लिए सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, 1988 के अधिकारियों को विनियमित करने का प्रकरण विचाराधीन है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रश्न के अन्त में कहा गया है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण का प्रकरण विचाराधीन है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके इस प्रश्न के उत्तर का तात्पर्य क्या है, वर्ष 88 में तदर्थ चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में क्या यह है ? दूसरा क्या आयुर्वेद विभाग में सेवा नियमावली है या नहीं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, सेवा नियमावली के अन्तर्गत ही सारी कार्यवाही हुई है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

सेवा नियमावली है या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं । मेरी निश्चित जानकारी है कि आयुर्वेद यूनानी सेवा विभाग में कोई नियमावली नहीं बनी है और बिना नियमावली के एडहाक बेसिस पर सारा काम हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, देख लीजियेगा ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

कोई विनियमित होता है, वह किसी नियम के अन्तर्गत ही होता है ।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली किस वर्ष की है, यह बता दीजिये ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

जब पहले पूछा गया तो आपने कह दिया कि शासनादेश के अन्तर्गत हुआ है, जब नियमावली का वर्ष पूछा जा रहा है तो मालूम नहीं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न स्थगित किया जाता है।

(अनुपूरक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त न होने के कारण तारांकित प्रश्न–2 स्थगित किया गया)

प्रदेश में एड्स के चिन्हित रोगियों की संख्या एवं उपचार हेतु व्यवस्था

*3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में एड्स के कितने रोगी चिन्हित किये गये हैं ? इस रोग की रोकथाम हेतु सरकार क्या कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

प्रदेश में जनवरी, 2001 तक 282 एड्स रोगी चिन्हित किये गये हैं।

जी हां, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का द्वितीय चरण वर्ष 1999 से 2004 तक संचालित किया जा रहा है जो कि शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना है।

एड्स के इलाज अथवा बचाव की कोई वैक्सीन अभी तक विकसित नहीं है।अतः एड्स नियंत्रण हेतु प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लक्षित जोखिमपूर्ण समूहों (ट्रक ड्राइवर्स, कामर्शियल सेक्स वर्कर्स आदि) में एच० आई० वी० के प्रसार को रोकने तथा व्यवहार परिवर्तन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के सरकारी अनुज्ञापित रक्त कोषों द्वारा सुरक्षित एच० आई० वी० मुक्त रक्त एवं रक्त उत्पादों की आपूर्ति हेतु प्रशिक्षण तथा बजट का प्राविधान किया जा रहा है। प्रदेश में स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्रों में एच० आई० वी० की जांच के साथ-साथ काउन्सलिंग की भी सुविधा दी जा रही है।

प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में अवसरवादी संक्रमण के उपचार हेतु व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में एस० टी० डी०/आर० टी० आई० ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु व्यवस्था है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में शहरों के जिला चिकित्सालयों की भांति ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा आपूर्ति की नीति

*4–श्री राम ललित चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा आपूर्ति की नीति क्या है ? क्या सरकार शहरी क्षेत्र के जिला चिकित्सालयों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी दवा आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० राम बाबू हरित–

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की आपूर्ति हेतु रुपया 10,000.00 प्रति शैय्या की दर से बजट निर्धारित किया गया है। जनपदों को औषधि मद के कुल बजट का 80 प्रतिशत बजट आवंटित किया जाता है, जिससे परिधिगत अधिकारियों द्वारा मास्टर सूची में प्रदत्त औषधियां क्रय की जाती हैं। शेष 20 प्रतिशत से मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा अति विशिष्ट जीवन रक्षक एवं खतरनाक औषधियों का क्रय नियमानुसार किया जाता है, जिसका वितरण परिधिगत अधिकारियों की मांग के अनुरूप किया जाता है। जी नहीं। मास्टर सूची में प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों हेतु क्रय की जाने वाली औषधियों का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुरूप ही औषधियों का क्रय कर सम्बन्धित केन्द्रों को आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप मास्टर सूची में दवायें निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त गम्भीर एवं आकस्मिक रोगियों को यथास्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा जिला चिकित्सालय को संदर्भित किये जाने की भी व्यवस्था विद्यमान है।

श्री राम ललित चौधरी–

उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि ग्रामीण अंचल में 10,000 रुपये प्रति शैय्या प्रतिवर्ष का खर्च तय है। यदि इसे एक दिन के हिसाब से देखा जाय, तो प्रतिदिन 27 रुपया आता है। इस 27 रुपये में आज की तारीख में रुई, बैन्डेज भी ठीक से नहीं आ पायेगी और यह 27 रुपया बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह इसको 27 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपया प्रति बेड, प्रति दिन करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, इस समय 10 हजार रुपये प्रति बेड, प्रति वर्ष का है। माननीय सदस्य शंका व्यक्त कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए 2 करोड़ मिले हैं, जिसे मंडलवार बांट दिया गया है, इससे रुई, बैन्डेज आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो जायेगी।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, 10 हजार रुपये प्रति बेड, प्रतिवर्ष का तो ग्रामीण अंचल का है। मैं जानना चाहता हूं कि शहरों में जो चिकित्सालय हैं, उनका कितना है, 10 हजार हैं या उससे अधिक और दोनों में अन्तर क्या है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, पूर्व की सरकारें जो रही हैं, उनके किये हुए की जब समीक्षा की तो पाया कि शहरों का 5 हजार रुपये था और ग्रामीण अंचल में 4250 रुपये था। हमारी सरकार ने इस असमानता को समाप्त किया और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, दवाओं आदि की महंगाई को देखते हुए इसे 10 हजार रुपये प्रति शैय्या, प्रति वर्ष कर दिया। अब शहर और ग्रामीण अंचल में कोई भेद नहीं है।

जनपद संत रविदास नगर में जिला अस्पताल की स्थापना

*5–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर में जिला अस्पताल स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन की नीति के अनुसार ज्ञानपुर जिला अस्पताल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० राम बाबू हरित–

जी हां।

जी हां।

जिला अस्पताल का निर्माण उपलब्ध परिव्यय एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जिला अस्पताल तो घोषित हो गया, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जिला अस्पताल का निर्माण उपलब्ध परिव्यय एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? क्या इस वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2001-2002 के जो आय-व्ययक प्राविधान किये जाने हैं, उसमें हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :–नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं०–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के अनुसार प्रदेश के सभी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को विकसित व सुसज्जित किये जाने की मांग

*6–श्री संजय गर्ग–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप विकसित/सुसज्जित किये जाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के प्रयोजनार्थ प्रदेश के बजट में प्राविधान कर उक्त मानकों को लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानकों के अनुरूप सुसज्जित किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस प्रयोजन हेतु बजट में प्राविधान कराके मानकों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये चिकित्सालय खोलने की योजना

*7–श्री राम जग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में नये अस्पताल खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एवं विकास खण्ड फिरोजाबाद के अनेकों गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी

*8–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि क्या जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड फिरोजाबाद के ग्राम उस्मानपुर माली पट्टी, रामदासपुरा, शंकरपुर चंदवार, मुड़वा आदि ग्रामों में पेयजल का पानी खारा है तथा पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या ग्राम समूह पेयजल योजना उस्मानपुर से उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी हां।

जी नहीं, इन ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत उस्मानपुर, रामदासपुरा एवं मुड़वा आदि ग्रामों में बिछाई गई पाइप लाइन जगह-जगह अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्रमशः 5000 मीटर 2000 मीटर 3000 मीटर उखाड़ दी गई है। इस कारण उक्त ग्रामों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए कठोर कार्यवाही करने हेतु जल निगम को निर्देशित किया जा रहा है।

जी हां। जिन ग्रामों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है उन ग्रामों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन करा कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का जीर्णोद्धार शीघ्र करके पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बन्द चीनी मिलों को पुनः चालू करने की मांग

*9–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन सी चीनी मिलें बन्द हैं ? क्या बन्द चीनी मिलों को पुनः चालू किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन मिलों की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० की इकाई, बाराबंकी, बरेली, महोली, नवाबगंज, नन्दगंज, मेरठ, रामपुर, मुण्डेरवा, हरदोई, घुघली व छितौनी तथा सहकारी क्षेत्र की धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल लि० हरपुर, गजपुर जिला–गोरखपुर बन्द है।

बन्द चीनी मिलों को शासकीय इकाइयों के रूप में पुनः चालू किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*10–डा० ज्ञानवती सिंह–

[3सरे मंगल में ता० प्र० सं०–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर को रोकने हेतु वृहद कार्य योजना की जानकारी

*11–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्यूबवेल एवं कुओं के गिरते हुये जल स्तर को रोकने हेतु शासन स्तर पर कोई वृहद कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

जी हां, प्रदेश के अधिक भूजल विकास स्तर एवं गिरते हुए जल स्तर वाले क्षेत्रों की स्थिति में सुधार लाने हेतु विगत वर्षों में निम्न प्रयास किये गये हैं :––

1–(अ) प्रदेश के डार्क एवं ग्रे विकास खण्डों में भूगर्भ जल रिचार्ज एवं जल संरक्षण की रु० 622.482 करोड़ की एक रिचार्ज योजना बनाकर वर्ष 1997-98 में वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक को भेजा गया था। विश्व बैंक योजना के वित्त पोषण हेतु सहमत नहीं हुआ। उक्त योजना के वित्त पोषण हेतु केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है।

(ब) सिंचाई विभाग की विश्व बैंक वित्त पोषित "वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट" के अंश के रूप में पूर्वी एवं पश्चिमी उ० प्र० में भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं रिचार्ज की रु० 583.96 करोड़ की एक योजना बनाकर जनवरी, 2000 में सिंचाई विभाग को भेजी गयी है।

(स) विश्व बैंक पोषित "स्वजल परियोजना" के अंश के रूप में रु० 36.00 करोड़ की बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्र में जल संरक्षण एवं भूगर्भ जल रिचार्ज की योजना ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० एवं सचिव, पेयजल, भारत सरकार को फरवरी, 2000 में प्रेषित की गयी है।

(द) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनपद–लखनऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली हेतु तैयार की गयी पेय जल की मॉडल योजना के अंश के रूप में भूगर्भ जल रिचार्ज एवं जल संरक्षण की रु० 33.50 करोड़ की योजना सचिव, पेय जल, भारत सरकार को फरवरी, 2000 में भेजी गयी है।

(य) प्रदेश के 10 अतिदोहित ऐसे विकास खण्डों में जहां भूजल दोहन 100 प्रतिशत से अधिक है, में भूजल प्रबन्धन एवं रिचार्ज की रु० 30.38 करोड़ की योजना वित्त पोषण हेतु जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को फरवरी, 2001 में भेजी गयी है।

(र) प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्यों एवं भूजल रिचार्ज की रु० 35.06 करोड़ की योजना वित्त पोषण हेतु जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को फरवरी, 2001 में भेजी गयी है।

उपरोक्त किसी भी परियोजना में अभी तक वित्त पोषण की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

2—ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2003-2004 के मध्य रु० 27.29 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। इतनी ही धनराशि सुनिश्चित रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा ग्राम्य निधि से डवटेल करके तालाबों के जीर्णोद्धार की रु० 54.58 करोड़ की योजना बनायी जा रही है।

इस योजना से 18 ऐसे विकास खण्ड, जहां भूजल का दोहन वर्षा से वार्षिक रिचार्ज के 100 प्रतिशत से अधिक है, की 1114 ग्राम पंचायतों में 1114 तालाबों का जीर्णोद्धार तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 23 पठारी विकास खण्डों में 272 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इन तालाबों का जीर्णोद्धार करते समय तालाबों में रिचार्ज शैफ्ट बनाया जाना तथा तालाबों को गहरा किया जाना भी प्रस्तावित है ताकि इन परम्परागत तालाबों से भूगर्भ जल रिचार्ज बढ़ सके और गिरते हुए भूजल स्तर को रोका जा सके।

प्रदेश के शहरी, ग्रामीण अंचलों के लोगों के जन्म/मृत्यु का पंजीकरण

*12–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शहरी ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों के घर-घर जाकर जन्म/मृत्यु का पंजीकरण कराने हेतु कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब से लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 तथा उत्तर प्रदेश जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली, 1976 जिनमें उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप जन्म-मृत्यु पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है, में घर-घर जाकर पंजीकरण कराने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दिये गये अधिकार

*13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश को क्या दण्डात्मक अधिकार दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी नहीं ।

आयोग को दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं ।

प्रदेश में विधायक निधि के आवंटन पर जिला प्रशासन द्वारा अड़चनें डाले जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

*14–डा० अम्मार रिजवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक निधि के आवंटन पर उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन द्वारा तरह-तरह की अड़चने डाले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-2-2001 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में माह फरवरी, 2001 तक कुल रु० 50.00 लाख दो किश्तों में प्राप्त हुए थे । कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्राप्त प्रस्तावों पर नेयमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए रु० 50.85 लाख की स्वीकृतियां दिनांक 19-2-2001 तक जारी की जा चुकी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती/सेवा शर्तें आदि को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पाठशालाओं में लागू करने की मांग

*15–श्री अशोक कुमार सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती, सेवा की शर्तें तथा अन्य उपबन्ध नियमावली सन् 1975 संशोधनों सहित समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं में लागू है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उक्त नियमावली लागू करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

प्रख्यापित होने की तिथि से ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नकली अधोमानक एवं मिथ्या छाप औषधियों के निर्माण एवं उनकी बिक्री पर प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश

*16–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली–अधोमानक एवं मिथ्या छाप औषधियों के निर्माण एवं उनकी बिक्री पर रोक लगाये जाने के संबंध में रिट याचिका संख्या–11736/1998 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-5-98 के अनुसार क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-5-98 के अनुपालन में औषधि निरीक्षक के रिक्त पदों पर तैनाती की जा चुकी है तथा मुख्यालय पर गठित अभिसूचना सेल को सुदृढ़ किया जा चुका है । शासनादेश दिनांक 10-7-98 द्वारा विशेष अभियान चलाकर औषधि विक्रय संस्थानों तथा औषधि निर्माण संस्थानों की सघन जांच कर नकली, अधोमानक एवं मिथ्या छाप औषधियों के नमूने एकत्र कर औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में हेपेटाईटिस-बी की रोकथाम की योजना

*17–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेपेटाईटिस–बी की रोकथाम के लिये सरकार कोई योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिये अपने सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा कैम्प लगाकर टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं, कोई योजना नहीं बनायी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हेपेटाईटिस-बी से बचाव हेतु कोई वृहद् टीकाकरण की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। यदि भारत सरकार ऐसी कोई योजना बनायेगी तो राज्य सरकार भी उसी के अनुरूप कार्यवाही करेगी।

प्रदेश के नवसृजित जनपदों में भी मलेरिया अधिकारी/निरीक्षकों की कमी को दूर करने की मांग

*18–श्री छब्बू पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के नवसृजित जिलों में जिला मलेरिया अधिकारी एवं मलेरिया निरीक्षकों की कमी है जिससे मलेरिया उन्मूलन एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नवसृजित जनपदों में जिला मलेरिया अधिकारी एवं मलेरिया निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

नवसृजित जनपदों में पैतृक जनपदों के स्टाफ से कार्य कराया जा रहा है ।

नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण जिला मलेरिया अधिकारी की नियुक्ति करना सम्भव नहीं है । मलेरिया निरीक्षकों को नये जनपदों में पैतृक जनपदों में ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपदों में इण्डिया मार्क हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित नीति की जानकारी

*19–श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इण्डिया मार्क हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु जनपदों को आवंटित धनराशि से स्थल चयन वे. प्रस्तावों की स्वीकृति तथा अधिष्ठापन की समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से प्रस्ताव स्वीकृत करने का अधिकार हटाकर उक्त अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत परिषदों को दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित किये जा रहे इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों के स्थल चयन का अधिकार बाह्य सहायतित परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए समस्त योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति को शासनादेश संख्या–3291/38-5-99-656/98. दिनांक 6-8-99 द्वारा दिया गया है। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की समय सीमा के सम्बन्ध में यह नीति निर्धारित है कि हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन इसी वित्तीय वर्ष में करने हुए उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषित किये जायें।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दीवारों पर अश्लील इश्तहार लगाने आदि को रोकने हेतु राज्य विधि आयोग की संस्तुतियां

*20–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को पिछले । वर्ष में चिकित्सीय लापरवाही अवस्थापना विकास अधिनियम, रैगिंगनिरोध बिल 2000 तथा दीवारों पर अश्लील इश्तहार चिपकाने एवं कार्यालय में थूकने पर रोक लगाने के संबंध में राज्यविधि आयोग की संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनसे सहमत है ? यदि हां, तो सरकार उस पर कब तक प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

शासन स्तर पर संस्तुतियों का अध्ययन किया जा रहा है।

सम्यक् परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मऊ, विकास खण्ड रतनपुरा की ग्राम सभा मेउड़ीकला में विगत वर्ष में निर्मित स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण की जानकारी

1–श्री रामाधार सिंह तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा अन्तर्गत ग्राम सभा में मेउड़ीकला में दो लाख रुपये की लागत से हथकरघा विभाग द्वारा एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कराया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री लगाई गई है ? क्या यह सही है कि उक्त उपकेन्द्र बनने के तुरन्त बाद क्षतिग्रस्त होने लगा है ? क्या सरकार इसकी टी०ए०सी० से जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर की ग्राम सभा तरछापार में हैण्डपम्प रिबोरिंग का कार्य

2–श्री रामाधार सिंह तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा तरछापार में कितने हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 लगाये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा तरछापार में कुल 23 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं ।

कुल अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से 12 नग हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब हैं । जिनमें से 7 हैण्डपम्प रिबोर किये जाने हैं तथा 5 हैण्डपम्पों के जी० आई० पाइप बदलने हैं ।

कुल 7 हैण्डपम्पों में से 4 हैण्डपम्पों को रिबोर कर पुनर्स्थापित किया गया है शेष 3 हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य तथा 5 हैण्डपम्पों के जी० आई० पाइप बदलने का कार्य मई, 2001 तक पूर्ण करा दिया जायगा ।

जनपद बलिया, विकास खण्ड सीयर की कतिपय ग्राम सभा में जे० आर० वाई के मद में प्राप्त धनराशि का विवरण

3–श्री रामाधार सिंह तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा अतरौल चक मिलकान व ग्राम सभा भेंड़कूल के निर्वतमान ग्राम प्रधानों को वर्ष 1995 से मई, 2000 तक कितना-कितना धन जे०आर०वाई० से एवं ग्राम सभा मद से एवं अन्य मद से प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों गांवों के तत्कालीन प्रधानों द्वारा बिना कार्य कराये ही जे०आर०वाई० के धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दुरुपयोग किये गये धन की वसूली करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत ग्राम सभा अतरौल चक मिलकान में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1995 से मई, 2000 तक रु० 4,30,159.05 तथा अन्य मदों में रु० 2,40,650.71 कुल रु० 6,70,809.76 की धनराशि प्राप्त हुई । ग्राम पंचायत भिण्डकुण्ड में उक्त अवधि में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत रु० 3,15,258.55 तथा अन्य मदों में रु० 2,75,825.14 कुल रु० 5,91,083.69 की धनराशि प्राप्त हुई है ।

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । शिकायत न होने पर जांच का औचित्य नहीं बनता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच संबंधी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

4–श्री सरवर अली–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का फैक्स दिनांक 15-7-2000 जो श्री प्रदीप कुमार यादव, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर, जनपद बाराबंकी द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त की जांच सतर्कता द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

5–श्री शिव सिंह चक –

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव की अल्पसंख्यक महिला कर्मचारी के उत्पीड़न विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6–श्री राजपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद सेवा समिति उन्नाव के अध्यक्ष का पत्र जो जिला विकास अधिकारी कार्यालय उन्नाव में नियुक्त अल्पसंख्यक महिला कर्मचारी के प्रति किये जा रहे उत्पीड़न के संबंध में था, अध्यक्ष/सचिव, अल्पसंख्यक आयोग उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? क्या सचिव अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिनांक 17 मई, 2000 को उक्त पत्र पर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र० लखनऊ तथा जिलाधिकारी उन्नाव को महिला उत्पीड़न रोकने तथा जांच कराने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो इस प्रकरण में जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा की गयी । जांच में शिकायतें सत्यापित नहीं पायी गयीं । अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कासिमपुर खोला में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति विषयक गन्ना राज्य मंत्री के पत्र पर कार्यवाही की मांग

7–श्री राजपाल सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मुजफ्फरनगर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कासिमपुर खाला में चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त चिकित्सालय पर चिकित्साधिकारी की तैनाती करने के संबंध में गन्ना राज्य मंत्री की संस्तुति माह जुलाई से माह सितम्बर, 2000 के मध्य प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की तैनाती कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक उक्त तैनाती न करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद मुजफ्फरनगर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कासिमपुर खाला का पद अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाने के कारण वहां चिकित्सा अधिकारी नियुक्त नहीं है ।

जी हां।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कासिमपुर खाला, जिला मुजफ्फरनगर में चिकित्साधिकारी का पद उपलब्ध होने तक समीपवर्ती चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा कार्य देखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में लगाये गये इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्पों के भुगतान का प्रकरण

8–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-8-2000 जो जनपद शाहजहांपुर में लगाये गये इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्पों को लेबर भुगतान करने के संबंध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-08-2000 प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु पत्र दिनांक 11-08-2000 प्राप्त हुआ है जो जनपद शाहजहांपुर में लगाये गये इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों के लेबर भुगतान से सम्बन्धित है।

ऐसे किसी भी ठेकेदार को कार्य नहीं दिया गया है जिसके सम्बन्ध में भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त हुई हो। इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 11-09-2000 द्वारा मा० विधायक जी को अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड माधोगंज की ग्राम पंचायत खन्धोरिया खन्जहांनपुर में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत

9–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में वि०खं० माधौगंज की ग्राम पंचायत खन्धोरिया खन्जहांनपुर में अब तक कितने इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? इनमें से कितने हैण्ड पम्प इस समय खराब पड़े हैं ? क्या सरकार उक्त खराब पड़े हैण्ड पम्प अविलम्ब ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

ग्राम पंचायत खन्धोरिया खन्जहांनपुर में कुल 16 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

उक्त हैण्डपम्पों में से दो नग हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब थे।

खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत करके चालू किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, क्षेत्र तिलहर की कतिपय आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियों के बन्द होने की प्रस्तावित जांच

10–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर की कतिपय आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियों के बन्द होने की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-9-2000 जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनांक 7-9-2000 को ही प्रमुख सचिव/सचिव चिकित्सा शिक्षा

को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

प्रश्नगत विषय के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 7-9-2000 प्राप्त प्रतीत नहीं होता किन्तु पत्र दिनांक 31-8-2000 प्राप्त हुआ है ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से कराई जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

11–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[चौथे बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद मुरादाबाद के जिला प्रोबेशन अधिकारी के भ्रष्टाचार की प्रचलित जांच

12–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महासचिव, समता पार्टी उ० प्र० का पत्रांक 1674/समता/2000, दिनांक 24-6-2000 जो जिला बिना प्रोबेशन अधिकारी जनपद–मुरादाबाद द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जी हां ।

शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के महिला चिकित्सालय (लेडी लायल अस्पताल) की नर्सों द्वारा आमरण अनशन सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

13–श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के महिला चिकित्सालय (लेडी लायल अस्पताल) में तैनात नर्सों द्वारा माह जून, जुलाई, 2000 में क्रमिक अनशन, आमरण अनशन किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नर्सों द्वारा जिस बैनर तले आमरण अनशन किया गया वह अवैध था ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-12-2000 राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

श्रीमती उषा सिंह, उपचारिका, महिला चिकित्सालय, आगरा का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13-2-2001 द्वारा एस० एन० चिकित्सालय, आगरा कर दिया गया है ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच हेतु अपर निदेशक, आगरा को आदेशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली, फुरसतगंज के राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला के कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ

14–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जांचकारी है कि जनपद रायबरेली में संचालित राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला फुरसतगंज में कार्यरत कर्मचारियों को अगस्त, 2000 से नवम्बर, 2000 तक मिलने वाले वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी एवं वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

प्रश्नगत लाभ दिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा विधवा अनुदान में भ्रष्टाचार विषयक प्राप्त पत्र पर जांच की कार्यवाही

15–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम शंकर निवासी हरचन्दपुर जनपद–रायबरेली का पत्र दिनांक 20-6-2000 जो जिला प्रोबेशन अधिकारी रायबरेली द्वारा विधवा अनुदान में किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या संबंधित दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

शिकायतों की जांच कराई गई । जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ।

जी नहीं ।

जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जिला मिर्जापुर, विकास खण्ड नरायनपुर (चुनार) में व्याप्त अनियमितता की जांच हेतु अध्यक्ष, उ० प्र० भ्रष्टाचार निवारण संघर्ष समिति का शिकायती-पत्र

16–श्री विजय पाल सिंह तथा डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, उ० प्र० भ्रष्टाचार निवारण संघर्ष समिति, ग्राम पौनी, पो० भुइकुड़ा, जिला मिर्जापुर का पत्र दिनांक 1-5-2000 जो विकास खण्ड नरायनपुर (चुनार) मिर्जापुर में व्याप्त अनियमितता की जांच के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

श्री सुरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, उ० प्र० भ्रष्टाचार निवारण संघर्ष समिति के पत्र दिनांक 1-5-2000 में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई जांच में शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के लोनी व सिटी जेल ड्रेन से प्रभावित सभी ग्रामों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

17–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में लोनी ड्रेन व सिटी जेल ड्रेन से बहने वाले हानिकारक रसायनों के कारण इन ड्रेनों से प्रभावित सभी ग्रामों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन प्रभावित ग्रामों में कब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । लोनी ड्रेन व सिटी जेल ड्रेन से प्रभावित 21 ग्रामों में से 15 ग्रामों को इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों द्वारा तथा शेष 6 ग्रामों को हैण्डपम्प के साथ पाइप पेयजल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के स्वर्ण जयन्ती, गांधी तथा अम्बेडकर ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

18–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में कितने स्वर्ण जयन्ती ग्राम, गांधी ग्राम तथा अम्बेडकर ग्राम चिन्हित किये गये हैं ? क्या इन सभी ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल से संतृप्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन ग्रामो को कब तक पेयजल से संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद उन्नाव में विभिन्न योजनाओं में चयनित ग्रामों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

स्वर्ण जयन्ती ग्राम	16
गांधी ग्राम	16
अम्बेडकर ग्राम	505

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों में खराब हैण्डपम्पों के पुनः छिद्रण की व्यवस्था अन्तर्गत जनपद उन्नाव में छिद्रण का कार्य

19–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण बस्तियों को पेयजल से संतृप्त करने के लिए लगाये गये हैण्ड पम्पों में से जो अधिकतर हैण्ड पम्प स्थायी रूप से खराब हो गये हैं उनमें से उन्नाव जनपद के कितने ब्लाकों में उन्हें चिन्हित कर लिया गया है ? इन चिन्हित खराब हैण्ड पम्पों में

कितने हैण्ड पम्पों को पुनः छिद्रण जल निगम द्वारा किया गया है ? शेष खराब हैण्ड पम्पों का कब तक पुनः छिद्रण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां। जनपद उन्नाव के समस्त 16 विकास खण्डों में स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कर लिया गया है।

चिन्हित खराब हैण्डपम्पों में से माह फरवरी, 2001 तक 170 हैण्डपम्पों का छिद्रण पुनः जल निगम द्वारा किया गया।

शेष खराब हैण्ड पम्पों का पुनः छिद्रण यथाशीघ्र ही करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेशानुसार भूमि अध्याप्ति के विस्थापित परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्राविधान अन्तर्गत जनपद मैनपुरी जिला चिकित्सालय में उपरोक्त का पालन करने विषयक जानकारी

20–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या–23/25/73–कार्मिक–2, दिनांक 21-2-80 के अनुसार भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप विस्थापित परिवार के एक सदस्य को संबंधित प्रतिष्ठानों/विभागों में सेवायोजित किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनपद मैनपुरी में जिला चिकित्सालय हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि से हुये विस्थापित परिवारों के कितने सदस्यों को सेवायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

तीन

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज, ब्लाक सौरिख के ग्राम बझेड़ी के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य की स्थापना की मांग

21–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बझेड़ी ब्लाक–सौरिख जनपद कन्नौज में 10 कि०मी० के क्षेत्र में कोई प्राथमिक सरकारी अस्पताल स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि ग्राम–बझेड़ी, ब्लाक–सौरिख, जनपद–कन्नौज में 10 कि०मी० की परिधि में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मढ़ि सकरावा एवं वीरपुर स्थापित है।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की चयन प्रक्रिया में त्रुटियों/विसंगतियों के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग

22–श्री राम औतार शाक्य–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1987 में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की चयन प्रक्रिया में हुई त्रुटियों/विसंगतियों के विरुद्ध अवमानना याचिका सं०–5495-88/19695–99 आयुर्वेदिक डाक्टर्स एसोसियेशन आदि बनाम उ० प्र० सरकार आदि तारीख फैसला 26-10-99 माननीय

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में निर्णीत हो चुका है ? यदि हां, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा राज्य सरकार को क्या निर्देश दिये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त याचिका में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा लिया गया है ? यदि हां, तो कब और उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26-10-99 द्वारा आदेश दिया है कि प्रथमतः मुख्य याचिका के याचीगणों को तथा मुख्य याचिका के निर्णय के पूर्व दाखिल रिट याचिका के याचीगणों को, जिनके गत चयन में सम्बन्धित श्रेणी के चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के बराबर या उससे अधिक अंक थे उन्हें नियुक्तियां दी जायेंगी तथा उक्त के उपरान्त अन्य ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जायेगा जिनके अंक चयनित अभ्यर्थी के अंक के बराबर या उससे अधिक हों ।

जी हां । माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26-10-99 के अनुपालन में कुल 93 चिकित्साधिकारियों को नियुक्तियां की जानी हैं । शासनादेश दिनांक 27-3-2000 के द्वारा 38 चिकित्साधिकारी शासनादेश दिनांक 4-7-2000 के द्वारा 11 चिकित्साधिकारी तथा शासनादेश दिनांक 16-1-2001 द्वारा 5 चिकित्साधिकारियों की तदर्थ रूप से नियुक्तियां की जा चुकी हैं तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-1-2001 द्वारा 39 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतियां आदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों से मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय हेतु भूमि अधिग्रहीत के फलस्वरूप शासनादेश के अनुसार विस्थापित परिवार के सदस्य को सेवायोजित किये जाने की मांग

23–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महानिदेशक, उ० प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्रांक 4 फ/ए/95-96/अधिग्रहण/नियुक्ति दिनांक 25-7-1995 व पत्रांक–4फ/ए/95-96/अधिग्रहण/नियुक्ति, दिनांक 8-11-95 द्वारा क्या निर्देश दिये गये हैं ? क्या उपरोक्त पत्रों में दिये गये निर्देशों द्वारा जिला चिकित्सालय, मैनपुरी में भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप विस्थापित परिवार के एक सदस्य श्री मोहित चतुर्वेदी पुत्र श्री नरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी नि० चौथियाना जिला मैनपुरी को जिला चिकित्सालय में सेवायोजित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1997 से महानिदेशालय के यहां लम्बित श्री अरुण कुमार सिंह पुत्र स्व० श्री ओमकार सिंह पौत्र स्व० श्री जयराम सिंह नि० देवपुरा को जिला चिकित्सालय में सेवायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 25-7-95 तथा 8-11-95 द्वारा शासनादेश संख्या–23/25/1973-कार्मिक–2, दिनांक 15-6-85 में निर्दिष्ट नियमों के अनुपालन में श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोशन सिंह की भांति श्री मोहित चतुर्वेदी पुत्र श्री नरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी की नियुक्ति हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

जी हां ।

महानिदेशालय के आदेश दिनांक 14-12-2000 द्वारा श्री अरुण कुमार सिंह को लिपिक के पद पर सेवायोजित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सरकारी धन का गबन आदि विषयक निदेशक, महिला कल्याण उ० प्र०, लखनऊ को सम्बोधित पत्र पर प्रारम्भिक जांच

24–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के श्री गोसाईदत्त पुत्र स्व० श्री कुलमनि निवासी शास्त्री नगर मेरठ द्वारा दिनांक 30-6-2000 को निदेशक महिला कल्याण उ० प्र० लखनऊ को सम्बोधित शपथ-पत्र जो एम०एल० साहू जिला प्रोबेशन अधिकारी मेरठ द्वारा सरकारी धन का गबन एवं अभिलेखों में हेराफेरी किये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शपथ-पत्र पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

प्रकरण की प्रारम्भिक जांच करा ली गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा विगत वर्षों में की गयी नियुक्तियों पर कार्यवाही की जानकारी

25–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1990 से वर्ष 2000 दिसम्बर तक कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या वह नियुक्ति करने तथा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति करने के अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो उनके इस अवैधानिक कार्य के विरुद्ध क्या कोई प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

समूह "घ" में 06 नियुक्तियां समूह "ग" में 01 नियुक्ति समूह "ग" में 3 नियुक्तियां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रशासनिक अनियमितता होने के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई ।

जनपद रायबरेली के जिला प्रोबेशन अधिकारी के वेतन निर्धारण का प्रकरण

26–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की प्रोबेशन अधिकारी द्वारा दिनांक 1-1-96 से अपने वेतन निर्धारण में अनियमितता करके अपने 5000-8000/–रु० वेतन के स्थान पर 6500-10500/–रुपया वेतन निर्धारण किया है ? यदि हां, तो क्या ऐसे दोषी अधिकारी को उक्त मामले में निलम्बित करके प्राथमिक दर्ज करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में राजकीय बाल सदन, सम्प्रेक्षण गृह, राजकीय निराश्रित महिला कार्यशालाओं में खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित करने का प्रकरण

27–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में राजकीय बाल सदन, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला फुर्सतगंज की संस्थाओं में निरुद्ध

संवासी एवं संवासिनियों के भरण पोषण हेतु खाद्य सामग्री आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं ? यदि हां, तो क्या निम्न निविदा को स्वीकृत न करके उच्च मूल की निविदा स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय महिला कल्याण द्वारा विभागीय संस्थाओं में काष्ठ कला, व्यायाम प्रशिक्षक आदि पर की गई नियुक्तियां

28—श्री विजय पाल सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय महिला कल्याण द्वारा अक्टूबर, 1999 से दिसम्बर, 1999 के मध्य विभागीय संस्थाओं में काष्ठकला प्रशिक्षक, व्यायाम प्रशिक्षक, बेंत कला प्रशिक्षक के पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं ? क्या यह सही है कि उक्त चयनित कर्मचारियों के शैक्षिक एवं प्राविधिक प्रमाण-पत्र किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त नियुक्तियों को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

काष्ठ कला प्रशिक्षक पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी है । व्यायाम प्रशिक्षक के पद पर 4 तथा बेंतकला प्रशिक्षक पद पर 13, कुल 17 नियुक्तियां की गयी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29—श्री प्रदीप कुमार–

[दिनांक 25-4-2001 को अता० प्र० सं०–88 द्वारा उत्तरित]

30—श्री प्रदीप कुमार–

[दिनांक 25-4-2001 को अता० प्र० सं०–87 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा प्रोन्नति विषयक संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, लखनऊ को दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही की जानकारी

31—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने अपने आदेश सम्मन संख्या 962 (ख–2) दिनांक 21-8-98 द्वारा निदेशक संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान

लखनऊ को यह निदेश दिया गया था कि उक्त संस्थान में कार्यालय अधीक्षक के 8 पदों पर पूर्व में की गयी प्रोन्नतियों में जिस प्रकार अर्हताओं में छूट प्रदान की गयी है उसी प्रकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को भी अर्हता में छूट प्रदान करते हुए उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जाय ? यदि हां, तो आयोग के उक्त निर्देशों पर निदेशक एस०जी०पी०आई० द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

संस्थान द्वारा आयोग को पत्र सं० पी०जी०आई०/अधि०/6206, दिनांक 13-9-99 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है कि आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी परन्तु अन्य कर्मियों की भांति अनुसूचित जाति के कर्मी को निर्धारित सेवा काल (5 वर्ष प्रवर वर्ग सहायक के रूप में) पूर्ण करना आवश्यक है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी के कारण 4 माह के बच्चे की मृत्यु विषयक कथित प्रकरण

32—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या सी०एम०वि०को०/एम–33619/ गोण्डा/2000 दिनांक 6-5-2000 के माध्यम से जो उतरौला प्राथमिक स्वा० केन्द्र जनपद बलरामपुर में चिकित्साधिकारी के कारण मो० सुभाष नगर उतरौला के निवासी गोपाल कश्यप के 4 माह के बच्चे की दिनांक 1-8-99 को हुई मृत्यु की जांच विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर (नगर) के घाटमपुर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती

33—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 15 शैय्या युक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय घाटमपुर, कानपुर (नगर) में एक पद महिला चिकित्साधिकारी का सृजित होने के बावजूद महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है ? क्या सरकार क्षेत्रीय जनता को चिकित्सा सुविधायें सुचारु रूप से उपलब्ध कराने हेतु उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, घाटमपुर, कानपुर (नगर) में महिला चिकित्साधिकारी को शासनादेश दि० 20-7-2000 द्वारा तैनात कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

34–श्री विजय पाल सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पिछले 10 वर्षों से प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में शैक्षिक वर्ग के लगभग 350 पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी हां ।

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित किये जा चुके हैं जिनकी अन्तिम तिथि दिनांक 18-9-2000 थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

35–श्री विजय पाल सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आगरा के मानसिक चिकित्सालय में मरीजों की संख्या एवं उन पर व्यय विवरण की जानकारी

36–श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के मानसिक चिकित्सालय में 1 अप्रैल, 1999 को मरीजों की संख्या कितनी थी ? चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने मरीजों को पूर्णतया ठीक पाए जाने पर अवकाश दे दिया गया है ? उक्त मरीजों को प्रदेश सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं तथा प्रतिवर्ष प्रति मरीज पर कितना खर्च किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी विगत दो वर्षों के आय-व्यय का लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

आगरा मानसिक चिकित्सालय में दिनांक 1 अप्रैल, 1999 को मरीजों की संख्या 447 थी ।

चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल, 2000 से दिनांक 3 मार्च, 2001 तक 2681 मरीजों को पूर्णतया ठीक पाये जाने पर अवकाश दे दिया गया है ।

प्रदेश सरकार द्वारा मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार, औषधि सन्तुलित आहार, ग्रीष्म एवं शीतकालीन वस्त्र, बिस्तर, जूते, हीटर, कूलर, मच्छरों से बचाव के साधन, खेल-कूद की सुविधा, टी० वी०, समय-समय पर मनोरंजन के लिए भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुस्तकालय की सुविधा के साथ मरीजों से उनकी क्षमता के अनुसार कराये जा रहे कार्यों के लिए उन्हें भुगतान किया जा रहा है । उक्त सुविधाओं आदि पर प्रति मरीज पर लगभग रु० 74.563/- प्रतिवर्ष व्यय किया जा रहा है ।

विगत दो वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 का आय-व्यय का लेखा जोखा संलग्न* है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

* छापी नहीं गई ।

जनपद आगरा में चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या एवं माननीय सदस्यों के अनुसार अधिष्ठापित किये जाने की जानकारी

37—श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं ? उनमें से प्रति विधान सभा क्षेत्रों में विधायकों व विधान परिषद् सदस्यों द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत कितने-कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं ? क्या यह सही है कि ग्राम्य विकास सचिव द्वारा 31 जनवरी, 2000 को विधायकों व विधान परिषद् के सदस्यों के प्रस्तावों पर 50-50 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र जारी होने के बाद विधान सभा/परिषद् के सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त के परिपेक्ष्य में आगरा में हैण्डपम्प अधिष्ठापित किए गए हैं ? यदि हां, तो कब और कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद आगरा में चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कुल 1390 हैण्डपम्प ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत किये गये हैं ।

जनपद आगरा के 6 ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों में 50-50 नग एवं विधान परिषद् के 2 क्षेत्रों में (एक क्षेत्र आंशिक) 68 नग हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये ।

जी हां ।

जी हां । दिनांक 27-7-2000 एवं 25-08-2000 द्वारा मा० सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गये ।

जनपद आगरा में सेक्टर रिफार्म योजना लागू होने के कारण सभी हैण्डपम्प वित्तीय वर्ष 2000-2001 में नहीं लगाये जा सके । उक्त वित्तीय वर्ष में ही हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है ।

शासनादेशानुसार विश्वविद्यालयों में आवासीय भवनों के आवंटन में आरक्षण कोटा लागू किया जाना

38—श्री अब्दुल मन्नान–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के तीसरे बुधवार हेतु निर्धारित, अतारांकित प्रश्न संख्या–180 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/7/1999/क-2/1997 दिनांक 2-7-97 द्वारा विश्वविद्यालयों के आवासीय भवनों में आरक्षण कोटे के अनुसार भवन आवंटित किए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो संजय गांधी पी०जी०आई० के आवासीय भवनों के आवंटन में आरक्षण लागू न किए जाने हेतु दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

आरक्षण कोटे के अनुसार भवन आवंटित किये जाने के संबंध में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है । क्योंकि शासनादेश दिनांक 2-7-97 संस्थान को सम्बोधित एवं पृष्ठांकित नहीं था । अतएव इसका परिपालन संस्थान द्वारा नहीं किया गया है । अतः किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है । इसलिए कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में विभागीय अधिकारी के भ्रष्टाचार विषयक सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

39—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में विभागीय अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-3-2000 सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव से कराई गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, ब्लाक नवाबगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमरौली में पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण की माँग

40–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमरौली ब्लाक नवाबगंज जनपद उन्नाव में पेयजल हेतु पानी की टंकी (पम्प) का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त टंकी को अब तक चालू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हाँ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमरौली, ब्लाक-नवाबगंज, जनपद-उन्नाव में पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण वर्ष 1994 में कराया गया था । निर्माण इकाई द्वारा जिस समय चिकित्सा विभाग को ओवर हैड टैंक का हस्तान्तरण किया गया, उस समय जलापूर्ति प्रत्येक स्तर पर सामान्य थी किन्तु वर्तमान में जलापूर्ति अवरूद्ध है, जिसे ठीक कराने हेतु धनराशि रु० 1,17,000=00 (रु० एक लाख सत्रह हजार मात्र) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव को उपलब्ध करा दी गयी है ।

लखनऊ संजय गाँधी, पी०जी०आई० में पदोन्नतियों में आरक्षण लागू करने की जानकारी

41–श्री अब्दुल मन्नान–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के दुसरे बुधवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–179 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी पी०जी०आई० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–पी०जी०आई०/ई–2/प्रोमोशन/3674/97 दिनांक 10-6-97 द्वारा ड्राइवर ग्रेड–1 में जिन 10 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है उसमें कौन से कर्मचारी सामान्य वर्ग के हैं तथा उसमें से कौन-कौन कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं ? क्या यह सही है कि उक्त में केवल एक ही अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री सुरेश कुमार की पदोन्नति ड्राइवर ग्रेड–1 पर की गयी है ? यदि हां, तो रोस्टर के अनुसार दूसरे ड्राइवर की पदोन्नति न किए जाने का क्या कारण था ? इसके लिए दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां । 10 कर्मचारियों की पदोन्नति दी गयी है । एक कर्मी अनुसूचित जाति का है तथा 9 कर्मी अन्य वर्ग के हैं ।

जी हां ।

जिस समय पदोन्नति की गयी उस समय शासन के आदेश संख्याः 221/पांच–14–पी०22/92, दिनांक 14-1-97 के अनुसार इस संस्थान में पदोन्नतियों में आरक्षण लागू नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के जिला चिकित्सालय के डा० ए० के० मिश्रा के स्थानान्तरण की जानकारी

42–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० ए० के० मिश्रा जो पिछले लगभग 22 वर्षों से मिर्जापुर जनपद में तैनात हैं, को मिर्जापुर से स्थानान्तरित करने के आदेश माह नवम्बर, 2000 में दिया गया था ? यदि हां, तो यह स्थानान्तरण क्यों रोक दिया गया ? क्या स्थानान्तरण रोकने में स्थापित नीतियों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो उसके लिए दोषी कौन है और दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

डा० ए० के० मिश्रा, वर्ष 1995 में जनपद-आजमगढ़ से स्थानान्तरित होने के उपरान्त जिला-चिकित्सालय, मिर्जापुर में कार्यरत थे । उन्हें शासनादेश संख्या–यू०ओ० 142/चि–3-2000, दिनांक 5-9-2000 के अनुपालन में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र०, लखनऊ के आदेश दिनांक 16-9-2000 द्वारा जिला चिकित्सालय, मिर्जापुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विन्ध्याचल, मिर्जापुर में विशेषज्ञ के पद पर समायोजित किया गया ।

उक्त जिला चिकित्सालय पर डा० एच० बी० राय वर्ष 1990 से तथा डा० ए० के० मिश्रा वर्ष 1995 से तैनात होने के कारण, आदेश सं०–7081/चि-3-2000–जी० 212/2000, दिनांक 21-12-2000 द्वारा डा० मिश्रा के स्थान पर डा० एच० बी० राय को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विन्ध्याचल पर तैनाती किये जाने का निर्णय लिया गया । अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा यह अवगत कराये जाने पर कि डा० मिश्रा मुख्यालय पर निवास नहीं करते, आदेश सं०–पी० एस० 3 चि-2000–जी० 212/2000, दिनांक 4-1-2001 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 21-12-2000 को निरस्त कर दिया गया है ।

स्थानान्तरण नहीं रोका गया है अतः स्थापित नीतियों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहाँपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार की जाँच

43–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-5-2000 मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-5-2000 प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि इस विषय से सम्बन्धित पत्र दिनांक 2-5-98 प्राप्त हुआ था । इसकी विभागीय जांच करायी गयी । जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 25-4-2001 के अता०प्र०सं०–92 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा के क्षेत्र फतेहाबाद के ग्राम मझारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

45–श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के ग्राम मझारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-4-97 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद का संतृप्तीकरण हो चुका है । अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के बाल विकास परियोजना लालगंज के आंगनबाड़ी केन्द्र पतुलकी की मृतक कार्यकत्री के आश्रित की नियुक्ति की माँग

46–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के बाल विकास परियोजना लालगंज के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पतुलकी की कार्यकत्री श्रीमती अर्चना की 4 नवम्बर, 1996 को मृत्यु के बाद मृतक आश्रित के रूप में श्रीमती मंजूलता की नियुक्ति का प्रार्थना-पत्र विभाग/शासन में कार्यवाही हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक उसकी नियुक्ति कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूँकि आंगनबाड़ी कार्यकत्री का पद पूर्णतया मानदेय सेवा पर आधारित है । अतः आंगनबाड़ी कार्यकत्री को सरकारी सेवक नहीं माना जाता । ऐसी दशा में मृतक कार्यकत्री के आश्रित को सरकारी सेवा में सेवायोजन का लाभ नियमानुसार दिया जाना संभव नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी फर्जी एल० टी० सी० के भुगतान प्रकरण में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की माँग

47–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री शिशुपाल सिंह यादव स० वि० स० के अतारांकित प्रश्न संख्या–51 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच आख्या का परीक्षण करा लिया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

जांच आख्या, के परीक्षणोपरान्त उक्त आरोप के साथ ही कई अन्य आरोपों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है जिसमें अंतिम निर्णय विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के साथ चिकित्सिाधिकारियों की मारपीट में प्रकरण पर दोषी की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि के आदेश

48–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1995 में जनपद अलीगढ़ के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी, कार्यालय में तैनात लिपिक के साथ चिकित्साधिकारियों द्वारा मारपीट की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मारपीट करने के लिए दोषी चिकित्साधिकारी को मण्डल से बाहर स्थानान्तरित करने हेतु एवं चरित्र पंजिका में प्रविष्टियां अंकित करने हेतु सचिव चिकित्सा शिक्षा उ० प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग–9 द्वारा निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

दिनांक 2-8-94 को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के साथ चिकित्साधिकारियों की मारपीट का प्रकरण संज्ञान में है किन्तु वर्ष 1995 में हुई मारपीट का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। दिनांक 2-8-94 के प्रकरण में दोषी चिकित्साधिकारियों की चरित्र-पंजिका में विपरीत प्रविष्टि अंकित करने के निर्देश दिये गये थे। दोषी चिकित्साधिकारियों की चरित्र पंजिका में विपरीत प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की तैनाती की संख्या व गृह जनपद में तैनाती पर स्थानान्तरण की माँग

49–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कितने आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों में से कुछ जनपद अलीगढ़ के ही निवासी हैं ? यदि हां, तो गृह जनपद में चिकित्साधिकारियों को तैनात करने का क्या कारण है ? क्या ऐसे चिकित्साधिकारियों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद अलीगढ़ में 19 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी तैनात हैं।

जी हां। इनमें से छः चिकित्साधिकारी अलीगढ़ जनपद के हैं। गृह जनपद में किन कारणों से तैनाती हुई है इसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान में सामान्य उपचारिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की माँग

50–श्री संजय गर्ग, डा० ज्ञानवती सिंह तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में सामान्य उपचारिकाओं के कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्तमान समय में प्रदेश में सामान्य श्रेणी उपचारिकाओं के 147 पद रिक्त हैं ।

वर्तमान में नवनियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकत्री (महिला) व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) के पदों पर प्रोन्नति की माँग

51–श्री संजय गर्ग–

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उनके विभाग में वर्ष 1980 से तैनात ए०एन०एमो० की पदोन्नति अभी तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त ए०एन०एमो० को पदोन्नति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष/महिला सेवानियमावली 1997 तथा प्रथम संशोधन नियमावली 1998 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) के पदों पर पदोन्नति हेतु जनपदीय वरिष्ठता सूची मुख्य चिकित्साधिकारियों से प्राप्त की जा रही है । जनपदीय वरिष्ठता सूची प्राप्त होते ही संकलित वरिष्ठता सूची बनाकर पदोन्नति के संबंध में कार्यवाही की जायेगी । ज्येष्ठता, उपयुक्तता/श्रेष्ठता के आधार पर अर्ह स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की पदोन्नति पर नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ए० एन० एम० पद पर नियुक्तियां

52–श्री संजय गर्ग–

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 ए० एन० एम० पद की भर्ती हेतु कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या अभ्यर्थियों को उक्त पद पर चयनित करके उनकी नियुक्ति कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि चयनित अभ्यर्थियों में से कुछ परिणाम घोषित करने हेतु रोके गये हैं ? यदि हां, तो रोके गये परिणामों को कब तक घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के पालीटेक्निक कालेजों में फीस वृद्धि की वापसी का जनपद सुलतानपुर, जगदीशपुर के उक्त का पालन कराने की माँग

53–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 2000 से उ० प्र० के पालीटेक्निक कालेजों में क्या केवल प्रथम वर्ष के छात्रों की फीस वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों से भी संजय गांधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर, सुल्तानपुर के प्राचार्य बढ़ी हुई फीस वसूली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पालीटेक्निक छात्रों से वसूली गयी अधिक फीस उन्हें वापस कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

संबंधित शासनादेश के पठन में हुई गलती से त्रुटिवश द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों से भी बढ़ी हुई फीस वसूल ली गयी है, जिसे शीघ्र वापस कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सैनिक कल्याण निदेशालय में आशुलिपिक श्रेणी की भर्ती में आरक्षण श्रेणी को सामान्य श्रेणी से भरने की जाँच

54–श्री अक्षयवर लाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सैनिक कल्याण निदेशालय में आशुलिपिक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के सापेक्ष आरक्षित श्रेणी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में आशुलिपिक पद की भर्ती में आरक्षित श्रेणी को भी सामान्य श्रेणी से भर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? आरक्षित पदों पर नियुक्तियां कब तक की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

चार पद ।

कोई नहीं ।

जी हां ।

इसकी जांच की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार जांच पूरी होने के उपरान्त आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में मैजापुर और जरवल शुगर मिल के गन्ना कृषकों के अवशेष के भुगतान की माँग

55–श्री राम विशुन आजाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में मैजापुर और जरवल शुगर मिल गोण्डा के अन्तर्गत आने वाले गन्ना कृषकों का गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार गन्ना किसानों के उक्त अवधि के गन्ना मूल्य का कब तक ब्याज सहित भुगतान करा देगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

वर्ष 1999-2000 का सम्पूर्ण भुगतान करा दिया गया है । 2000-2001 निम्न प्रकार दिनांक 24-4-2001 तक अवशेष है:–

जरवल रोड–1286.67 लाख रु०

मैजापुर –1190.11 लाख रु०

उक्त दोनों चीनी मिल वर्तमान पेराई सत्र में पेराई कर रही हैं और गन्ना मूल्य भुगतान भी किया जा रहा है।

गन्ना मूल्य विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज की देयता का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

जनपद गोण्डा, क्षेत्र मनकापुर में कई वर्षों में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की माँग

56–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना में जिन सम्पर्क मार्गों पर कार्य करवाने हेतु स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी थी क्या उन सम्पर्क मार्गों पर कार्य पूर्ण करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उन कार्यों को पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत शासन द्वारा सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कोई भी स्वीकृत प्रदान नहीं की गई, अपितु मा० सदस्य द्वारा 9 सम्पर्क मार्गों पर निर्माण कार्य कराने हेतु प्रस्ताव जनपद में प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष वर्ष 1998-99 में 1999-2000 में योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के अनुसार 9 सम्पर्क मार्गों में से 6 सम्पर्क मार्गों पर विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य करवाने के लिए कुल लागत रु० 37.37 लाख के सापेक्ष रु० 24.65 लाख अवमुक्त किया गया है।

भारत सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना की 70 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को तथा 30 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत को अवमुक्त की जा रही है, जो स्थानीय आवश्यकता तथा उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य योजना बनाकार कार्य कराने से सक्षम है। सूच्य है कि इस संदर्भ में योजनान्तर्गत अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने हेतु अधूरे कार्यों की सूची संबंधित क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत को अग्रसारित की जा चुकी है।

जनपद गोण्डा की नवाबगंज शुगर मिल को पुनः चालू कराने की मांग

57–श्री राम विशुन आजाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बन्द पड़ी नवाबगंज शुगर मिल को पुनः चालू कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० की अनार्थिक क्षमता की 11 चीनी मिलों, जिनमें नवाबगंज चीनी मिल भी सम्मिलित है, को शासन द्वारा स्थायी रूप से बन्द करते हुए मिल में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत बन्द पड़ी नवाबगंज चीनी मिल को शासकीय इकाई के रूप में पुनः चलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

58–श्री छोटे लाल गंगवार–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम पंचायत में खराब पड़े हैण्डपम्पों को चालू कराने की मांग

59–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के वि० खण्ड माधोगंज के ग्राम बलेहरा कमालनगर में पेयजल समस्या निदान हेतु बरमदेव के स्थान के पास तथा ग्राम पंचायत तेरवा कुल्ली के देवीपुरवा की पाठशाला में लगे हैण्डपम्प काफी दिनों से खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

उल्लिखित दोनों हैण्डपम्पों को ठीक कराकर चालू किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड माधोगंज के कतिपय ग्राम पंचायतों में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराने हेतु निर्गत आदेश

60–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के वि० ख० माधोगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बलेहरा कमालनगर के ग्राम हरपुरा में शकील अहमद प्रधान एवं यासीन खां तथा टीका रैदास के मकान के सामने एवं ग्राम पंचायत बरहस के ग्राम टेढ़िया में राम किशोर के मकान के पास लगे हैण्डपम्प काफी दिनों से खराब पड़े हैं जिन्हें अभी तक ठीक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन पेयजल संकट निदान हेतु इन हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने के आदेश निर्गत करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां । उल्लिखित चारों हैण्डपम्पों में से तीन हैण्डपम्पों को ठीक कराकर चालू कर दिया गया है तथा एक हैण्डपम्प जो श्री यासीन खां के घर के पास स्थापित है वह स्थायी रूप से खराब है जिसे ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

उ० प्र० जल निगम को उक्त हैण्डपम्प को ठीक कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

61–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[2 रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिलाधिकारी, मिर्जापुर को श्री शशि भूषण दूबे द्वारा पीने के पानी की समस्या निवारण हेतु हैण्डपम्प लगाने का अनुरोध सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

62–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव/प्रवक्ता श्री शशि भूषण दूबे का मांग-पत्र जिलाधिकारी मिर्जापुर को दिनांक 5 मार्च, 1997 को विधान परिषद् सभापति के पत्रांक 357 वि०प०स० द्वारा प्रेषित किया गया है, प्राप्त हुआ है, जिसमें पीने के पानी की समस्या को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प लगाये जाने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो मांग-पत्र में दर्शाये गये स्थानों पर अब तक हैण्डपम्प न लगाये जाने का क्या कारण हैं ? क्या प्रश्नगत स्थानों पर इसी वित्तीय वर्ष में हैण्ड पाइप लगवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

चूंकि मांग पत्र में जिन स्थानों पर हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग की गई है । सन्दर्भित ग्राम मानक के अनुसार पेयजल से पूर्ण रूप से संतृप्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मलेरिया निरीक्षक की नियुक्ति की लिखित परीक्षा का परिणाम

63–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998 में समूह ''ग'' के अन्तर्गत मलेरिया निरीक्षक की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा हुई थी ? क्या उसका परिणाम अभी तक नहीं घोषित किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर, सण्डीला की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत

64–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई स्थित इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर, सण्डीला का करोड़ों रुपये की कीमती भूमि पर स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त भूमि को खाली कराकर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

जी हां ।

भूमि पर स्वामित्व सहकारी समिति का है तथा अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध समिति ने सिविल कोर्ट, हरदोई में वाद दायर किया है । इस प्रकार वर्तमान में यह विवाद मा० न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

जनपद मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी पद पर की गई अवैधानिक नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

65–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा वर्ष 1995 से अब तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर कितनी नियुक्तियां की गई हैं ? क्या जिला प्रोवेशन अधिकारी को नियुक्ति करने का अधिकार हैं ? यदि नहीं, तो अवैधानिक नियुक्ति करने के लिये दोषी उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जी नहीं ।

यथास्थिति कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, उप निदेशक, राज्य एड्स नियंत्रण केन्द्र द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग बोर्ड बनवाने में की गयी अनियमितताएं

66–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उप निदेशक, राज्य एड्स नियंत्रण केन्द्र निकट पुराना चौपड़ अस्पताल हजरतगंज लखनऊ द्वारा वर्ष 1994 से मई 1995 तक प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग बोर्ड बनवाये जाने में की गयी अनियमितताओं एवं बिना कार्य कराये ही भुगतान करने के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ यादव, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर पत्रांक संख्या 1669/ वी०आई०पी० दिनांक 2-6-1995 द्वारा सचिव, चिकित्सा को जांच करने हेतु आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एड्स एवं मलेरिया की रोकथाम हेतु विगत वर्षों में होर्डिंग बोर्ड पर व्यय विवरण की जानकारी

67–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे एड्स एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए वर्ष 1992 से अब तक वर्षवार कितना धन होर्डिंग बोर्ड आदि पर खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ऊंची दरों पर बोर्डों को बनाने का ठेका मेसर्स एवरेस्ट ट्रेडर्स निशातगंज लखनऊ को देकर करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इसकी सतर्कता जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं फर्म मालिक को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण एवं मलेरिया निंयत्रण कार्यक्रम पर वर्ष 1992 से अब तक होर्डिंग बोर्ड पर वर्षवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	एड्स कार्यक्रम (धनराशि रुपये में)	मलेरिया कार्यक्रम (धनराशि रुपये में)
1992-93	शून्य	शून्य
1993-94	शून्य	99,840/-
1994-95	शून्य	शून्य
1995-96	5,74,483/-	3,94,200/-
1996-97	25,98,000/-	5,94,200/-
1997-98	20,65,000/-	शून्य
1998-99	शून्य	शून्य
1999-2000	19,50,000/-	शून्य
2000-2001	शून्य	शून्य

जी नहीं, मेसर्स एवरेस्ट ट्रेडर्स निशातगंज से एक भी होर्डिंग बोर्ड नहीं बनवाये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि मेसर्स एवरेस्ट ट्रेडर्स निशातगंज से होर्डिंग बोर्ड नहीं बनवाये गये हैं। अतः जांच कराने एवं दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती, अ० प० वस्त्र छपाई निगम लि०, प्रोसेस हाउस, खलीलाबाद के गनमैन श्री अलगू सिंह की मृत्योपरान्त उसके समस्त देयों का भुगतान

68–श्री शिव सिंह चक–

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अ० प० वस्त्र छपाई निगम लि० प्रोसेस हाउस, खलीलाबाद, बस्ती जो वर्तमान में सन्त कबीर नगर में है, में कार्यरत गनमैन श्री अलगू सिंह की ड्यूटी दिनांक 18-1-2000 को मृत्यु हो गयी थी ? क्या उनके समस्त देयों का भुगतान तथा मृतक के आश्रित को नौकरी में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनके समस्त देयों का भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

उक्त कर्मचारी की मृत्यु सेवारत रहते हुए हुई।

कर्मचारी कल्याण कोष से रु० 42,000/- का भुगतान कर दिया गया है। नियुक्ति के संबंध में शासन के निर्देशों अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

धन उपलब्ध होने पर क्रमानुसार भुगतान किया जा सकेगा।

69–डा० धर्मेन्द्र मित्र–

[2 रे गुरुवार में अता० प्र० सं०–70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

प्रदेश की कतिपय चीनी मिलों का चीनी स्टाक मिलाधिकारी की अभिरक्षा में रख कर उसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि से समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान

70–डा० धर्मेन्द्र मित्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि अनियमित गन्ना मूल्य भुगतान के कारण 11 निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के शत प्रतिशत शुगर स्टाक को जिलाधिकारियों की कस्टडी में रखकर निर्धारित टेगिंग प्रतिशत के अनुसार भुगतान कराने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कितने जनपदों में भुगतान सुनिश्चित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

जनपद सीतापुर की कमलापुर, हरदोई की रूपापुर, कुशीनगर की कप्तानगंज, मुरादाबाद की मझाक्ली, बरेली की बहेड़ी, बागपत की मलकपुर, गाजियाबाद की मोदीनगर, हरिद्वार की इकबालपुर, बुलन्दशहर की अमौता, गोण्डा जनपद की मैजापुर व एटा की न्योली, चीनी मिल के अन्तर्गत कुल 11 चीनी मिलों का चीनी स्टाक सम्बन्धित जिलाधिकारी की अभिरक्षा में रख कर गत पेराई सत्र, 99-2000 में चीनी बिक्री से प्राप्त धनराशि से व चीनी मिल के अन्य संसाधनों से समस्त गन्ना मूल्य भुगतान करा दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के कस्बे हरपालपुर में दबंगों पर जमा मार कर चिकित्सकों की उपस्थिति की जांच एवं कार्यवाही

71–आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि अक्टूबर, 2000 के प्रथम सप्ताह में जिला हरदोई के उप जिलाधिकारी सवायजपुर के नेतृत्व में उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा

हरपालपुर कस्बे में दवाखानों पर छापा मारकर उनकी उपाधियां जांच हेतु कब्जे में ली गयी थी ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सकों में से कितनों की उपाधियां फर्जी पाई गई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उपरोक्त जांच केवल पांच चिकित्सकों के दवाखानों पर की गयी तथा अन्य चिकित्सकों को जांच से अलग रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

कस्बे में ली गयी चिकित्सकों की उपाधियों की जांच भारतीय चिकित्सा परिषद्, लखनऊ द्वारा की जा रही है । जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी नहीं । व्यवहारिक दृष्टि से एक समय में एक साथ अधिक से अधिक चार-पांच चिकित्सकों के दवाखानों पर ही छापा मारना सम्भव था ।

जनपद हरदोई, कस्बा सांडी में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे फर्जी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

72–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई के कस्बा सांडी में कितने प्राइवेट प्रैक्टीशनर्स ऐसे हैं जिनके पास उपयुक्त डिग्री न होने के बाद भी एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी उनकी डिग्रियों की जांच कराकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे फर्जी चिकित्सकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

आकस्मिक छापे के दौरान ऐसा एक चिकित्सक पाया गया था, जिसकी क्लीनिक अब बन्द हो चुकी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अहिरौला की सेवानिवृत्त बदामी देवी के समस्त देयों के भुगतान की मांग

73–श्री लालजी वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 31-12-98 को सेवानिवृत्त महिला पर्यवेक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अहिरौला जनपद आजमगढ़ श्रीमती बदामी देवी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाले समस्त देयों का उन्हें भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त महिला पर्यवेक्षक को सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाले समस्त देयों का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

10% सामान्य भविष्य निधि को छोड़कर श्रीमती बदामी देवी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) सेवानिवृत्त को मिलने वाले समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (द्वितीय) उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा 10% सामान्य निधि के भुगतान के संबंध में स्वीकृति प्राप्त होने पर तत्काल नियमानुसार भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

74–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड नवाबगंज, छपिया, वजीरगंज और मनकापुर में वर्ष 2000-2001 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कितने धन का आवंटन किया गया ? क्या अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक करवायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

अधूरे कार्यों को पूर्ण करानें हेतु विकास खण्ड मनकापुर में एक कार्य पर मु० 2.30 लाख एवं विकास खण्ड छपिया में भी एक अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु मु० 5.09 लाख का आवंटन किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी वजीरगंज एवं नवाबगंज द्वारा अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, किन्तु अभी तक इन दो विकास खण्डों में कोई भी अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु कोई धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है।

वर्ष 2000-2001 में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड नवाबगंज, छपिया, वजीरगंज एवं मनकापुर की क्षेत्र पंचायतों की खुली बैठकें करायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया, शक्ति निकेतन प्राथमिक विद्यालय उरदौली, अहिरौली लाल में छात्रवृत्ति वितरण का प्रकरण

75–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि शक्ति निकेतन प्राथमिक विद्यालय उरदौली, अहिरौली लाल जनपद देवरिया में फर्जी बच्चों की संख्या दिखाकर जिला मुख्यालय से मिलने वाली छात्रवृत्ति का घोटाला किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय को दी गयी छात्रवृत्ति की वर्षवार उच्च स्तरीय जांच कराकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्ष 99-2000 व 2000-2001 में उक्त विद्यालय को छात्रवृत्ति के रूप में समाज कल्याण विभाग से कोई धनराशि नहीं दी गयी। वर्ष 98-99, 99-2000 व 2000-2001 में पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। वर्ष 98-99 से पूर्व के अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान, गोरखपुर को दिनांक 25-11-2000 को उपलब्ध कराये जा चुके हैं। अतः उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है।

जनपद देवरिया, डा० भीमराव अम्बेडकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला शेरवा, बभनौली एवं श्री मिश्री लाल कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय में मान्यता प्राप्त की तिथि से छात्रवृत्ति धनराशि के वितरण की जांच

76–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि डा० भीमराव अम्बेडकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला शेरवा, बभनौली जनपद देवरिया एवं श्री मिश्री बाबा कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय शेरवा, बभनौली पो० खुखुन्दु जनपद देवरिया को अस्थाई मान्यता प्राप्त होने की तिथि से अब तक वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में फर्जी

छात्र संख्या दर्शाकर छात्रवृत्ति का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या वर्षवार इसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने पर छात्रवृत्ति में किये गये घोटाले की वसूली प्रबन्धतंत्र से की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

डा० भीमराव अम्बेडकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला शेरवा बभनौली, जनपद देवरिया एवं श्री मिश्री बाबा कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय शेरवा बभनौली पो० खुखुन्दु, जनपद देवरिया को वर्ष 99-2000 तथा 2000-2001 में छात्रवृत्ति के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई भी धनराशि नहीं दी गयी है और इसके पूर्व वर्षों के जनपद देवरिया के समस्त छात्रवृत्ति अभिलेख दि० 25-11-2000 को सतर्कता अधिष्ठान, गोरखपुर को जांच हेतु उपलब्ध करा दिये गये हैं। प्रश्नगत विद्यालयों को पिछड़ा वर्ग जनजाति तथा विकलांग छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है। उक्त विद्यालयों में छात्रवृत्ति घोटाला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारी को अपर जिला विकास अधिकारी के उच्च पदों पर प्रोन्नति का प्रकरण

77—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक विकास अधिकारी को स्पेशल कम्पोनेन्ट विभाग में अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण के पदों पर एवं अन्य उच्च पदों पर प्रोन्नति किए जाने विषयक उनके अ०शा०पत्र सं०–सी–1125/26-1-99–2/22/99/7-6-99 के द्वारा कितने लोगों की पदोन्नतियां की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अन्य विभागों के सहायक विकास अधिकारियों की भांति उनकी भी खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

शून्य।

संबंधित नियमावली में संशोधन की कार्यवाही प्रगति पर है।

जी नहीं।

उ० प्र० ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 में अन्य विभागों के सहायक विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्राविधान न होने के कारण समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति नहीं दी जा सकी है।

जनपद व ब्लाक चन्दौली के कांटा माइनर से वाया तीरों के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग

78—ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद चन्दौली के ब्लाक चन्दौली अन्तर्गत स्थित कांटा माइनर से विशुनपुरा वाया तीरों सम्पर्क मार्ग विगत चार वर्ष पूर्व से पूर्णतः ध्वस्त हो गया है और क्षेत्रीय ग्रामीणों का आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत मार्ग को चालू वित्तीय वर्ष में लेपन स्तर तक पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग नदी में बाढ़ आने से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

कुल 10.60 कि०मी० में 5.6 कि०मी० लेपित है, किन्तु क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत धन की उपलब्धता पर निर्भर होगी । इसके अतिरिक्त 2 कि०मी० पर कार्य स्वीकृत है ।

जनपद अम्बेडकर नगर, विकास खण्ड अकबरपुर के ग्राम पंचायत लालापुर में ग्राम सभा के प्रस्तावों के अनुरूप अधिष्ठापित हैण्डपम्प

79—श्री लालजी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम पंचायत लालापुर सरैया विकास खण्ड अकबरपुर में एक इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प श्री शिवनरायन सिंह आदि के अहाते में लगाया गया है, जिसे हटाने के लिए एवं हटाने में होने वाले खर्च को आधा-आधा अवर अभियन्ता, जल निगम एवं सहायक अभियन्ता से वसूल किये जाने का आदेश दिनांक 28-5-1998 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम अम्बेडकर नगर को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त हैण्ड पम्प को हटाकर उक्त आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी में लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा पूरे प्रकरण की पुनः जांच कराये जाने पर हैण्डपम्प का अधिष्ठापन ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप पाया गया तथा की गई शिकायत निराधार पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी, बाल विकास परियोजनाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों के जी० पी० एफ० में महंगाई भत्ते के एरियर की धनराशि जमा करने की जानकारी

80—डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी की बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के जी०पी०एफ० खातों में अभी तक दिनांक 1-1-2000 एवं 1-7-2000 से बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का एरियर जमा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? सरकार उक्त कर्मचारियों के जी०पी०एफ० खातों में उक्त एरियर कब तक जमा करा देगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

जनपद बाराबंकी की बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के जी० पी० एफ० खातों में दिनांक 1-1-2000 एवं दिनांक 1-7-2000 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के एरियर की धनराशि जमा की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक बल्दीराय के ग्रामनगर के पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच

81—श्री हरदेव सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जून, 2000 जो कि ग्राम रामनगर, ब्लाक बल्दीराय, जिला सुल्तानपुर के पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रकरण की जांच खण्ड विकास अधिकारी, बल्दीराय एवं अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) बल्दीराय से करायी गयी । जांच आख्या के अनुसार शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के कतिपय ग्रामों में पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति बाधित होने पर हैण्डपम्पों से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की जानकारी

82—डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के वि०खं० सुरियावां में स्थापित जमुनीपुर अठगवां मोढ़ पानी की टंकी से क्या ग्राम डुड़वा धरमपुर, नगुआ, कुरैया आदि ग्रामों को जलापूर्ति करने हेतु पाइप लाइन बिछाई गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों को जलापूर्ति नियमित की जा रही है ? यदि नहीं, तो जलापूर्ति न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार जांच कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में स्थापित जमुनीपुर, अठगवां मोड़ से प्रश्नगत ग्रामों में से केवल विकास खण्ड भदोही के ग्राम डड़वा धरमपुर में पाइप लाइन बिछायी गयी है। ग्राम नगुवा, कुरैया, विकास खण्ड भदोही के अन्तर्गत आते हैं तथा पिपरिस ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्रामों के उच्च जलाशय से अन्तिम छोर पर स्थित होने एवं इससे पूर्व पाइप लाइन में तोड़-फोड़ किये जाने के कारण पाइप लाइन चोक हो गई है जिसके कारण पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है, किन्तु इन ग्रामों में पर्याप्त संख्या में हैण्डपम्प लगाकर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्साधिकारियों की चयन प्रक्रिया में विसंगतियों पर मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने की मांग

83–श्री राम औतार शाक्य–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987 में आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्साधिकारियों की चयन प्रक्रिया में हुई त्रुटियों/विसंगतियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय

इलाहाबाद द्वारा दिनांक 26-10-99 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-10-99 के अनुपालन में कुल 93 चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियां की जानी हैं । शासनादेश दिनांक 27-3-2000 के द्वारा 38 चिकित्साधिकारी, शासनादेश दिनांक 4-7-2000 के द्वारा 11 चिकित्साधिकारी एवं शासनादेश दिनांक 16-1-2001 के द्वारा 5 चिकित्साधिकारियों की तदर्थ रूप से नियुक्ति की जा चुकी है तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-1-2000 द्वारा 39 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतियां आदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों से मांगी गयी हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

84—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में पिछड़ी जातियों का विवरण व उनके आधार की जानकारी

85—श्री राम औतार शाक्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कितनी और कौन-कौन जातियां पिछड़े वर्गों की सूची में रखी गयी हैं ? वर्ष 1995 में उक्त सूची में कितनी जातियां थीं और उसके बाद अब तक कौन सी जातियां पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित की गयी तथा उसका आधार क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची–एक में कुल 79 जातियां सम्मिलित हैं । (उपजातियों सहित समेकित सूची संलग्न है)

वर्ष 1995 में अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची–एक में कुल 55 जातियां थी ।

वर्ष 1995 के पश्चात् अब तक (संलग्न सूची के क्रमांक 56 से 79 के सम्मुख उल्लिखित) कुल 24 नई जातियां पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित की गयी हैं जिनको पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किये जाने का आधार सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 146–149 पर ।)

गन्ना विकास संस्थान, लखनऊ के पूर्व निदेशक द्वारा लिपिक संवर्ग में की गयी नियुक्तियों की जांच पर कार्यवाही

86—श्री राम औतार शाक्य–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ के पूर्व निदेशक द्वारा वर्ष 1999 में लिपिक संवर्ग में की गयी अनियमित नियुक्तियों से संबंधित जांच रिपोर्ट गन्ना आयुक्त, उ० प्र० शासन को पत्रांक 727/नि०स० दिनांक लखनऊ 7 अप्रैल, 2000 द्वारा प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

श्री राम दुलारे, तत्कालीन निदेशक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रतिस्थापित की जा चुकी है । अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के जिला चिकित्सालय, ज्ञानपुर को जिला स्तरीय सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी पत्र

87—डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला चिकित्सालय घोषित एम०सी०एस० चिकित्सालय ज्ञानपुर को जिला स्तरीय सुविधा प्रदान करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० ख 935245 दि० 8-6-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर, विकास खण्ड भदोही में रड़ई से पिपरा मार्ग के लेपन स्तर कार्य को पूर्ण कराने की जानकारी

88—डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के वि०ख० भदोही में रड़ई से पिपरी मार्ग 1 कि०मी० लेपन हेतु वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि (जलांश) में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को धन अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण मानक के अनुरूप पूर्ण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

1.00 कि०मी० लम्बाई के विरुद्ध 900 मी० तक निर्माण कार्य मानक के अनुरूप लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है । अवशेष 100 मी० का निर्माण कार्य गिट्टी कुटाई स्तर तक करा दिया गया है । उक्त 100 मी० लम्बाई के निर्माण के संबंध में मामला मा० न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण लेपन कार्य अवशेष है ।

89—श्री राम औतार शाक्य–

[दि० 1-5-2001 को अता० प्र० सं०–177 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र०-निदेशालय, बाल विकास परियोजना एवं पुष्टाहार में सेविकाओं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों की चरित्र-पंजिका के रख-रखाव व प्रविष्टियों की जानकारी

90—डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अधीन कार्यरत मुख्य सेविकाओं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों की चरित्र-पंजियां समुचित रूप में रखी जाती हैं और समय से प्रविष्टियां पूर्ण कराई जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार नियमानुसार समय पर प्रविष्टियां न प्रेषित करने एवं उनका रख-रखाव सही न करने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में अनुसूचित जाति की विधवाओं की पुत्रियों की शादी में स्वीकृत अनुदान का विवरण

91—श्री उदयराज यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में अनुसूचित जाति की विधवाओं की पुत्रियों की शादी अनुदान के मद में वर्ष 1994 से अब तक कितने लाभार्थियों को अनुदान दिया गया है ? क्या सरकार विवाह अनुदान की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद लखनऊ में वर्ष 1994 से अब तक कुल 28 अनुसूचित जाति की विधवाओं की पुत्रियों को शादी हेतु अनुदान के रूप में स्वीकृत किया गया है।

जी हां, सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(सूची देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 150–151 पर)

लखनऊ के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की जानकारी

92—श्री उदयराज यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कितने कर्मचारी विगत पांच से 10 वर्षों तक कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत वहां से स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय लखनऊ में विगत पांच से 10 वर्षों तक कुल 10 कर्मचारी कार्यरत हैं।

वर्ष 2001-2002 के लिए घोषित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार का निर्णय लिया जायेगा।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल के इमरजेन्सी व वर्निंग वार्ड के बीच गन्दगी के निस्तारण एवं मरीजों के परिवारजनों हेतु निर्मित रैन बसेरा

93–श्री शिव सिंह चक–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में इमरजेन्सी वार्ड व उससे लगे वर्निंग वार्ड की दोनों बिल्डिंगों के बीच में वार्डों का कचरा व गन्दगी डाल दी जाती है ? क्या सरकार उक्त स्थानों की सफाई कराकर वहां मरीजों के परिवारजनों के उठने-बैठने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं, स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के इमरजेन्सी वार्ड व उससे लगे बर्न वार्ड, जो कि इमरजेन्सी वार्ड का ही एक अंग है, की नियमित रूप से सफाई कराई जाती है। वार्ड व वार्ड के बाहर रोगियों के रिस्तेदारों द्वारा फैलाये गये कचरे को कूड़ा घर में, जो इमरजेन्सी भवन के बाहर है, डाल दिया जाता है। कूड़े घर में एकत्र हुये कचरे को नगर निगम द्वारा समय-समय पर निस्तारित किया जाता है।

रोगियों के परिवारजनों के उठने-बैठने के लिये वार्ड के नीचे एक रैनबसेरा निर्मित है जिसमें समस्त सुविधायें उपलध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के स्वरूप रानी चिकित्सालय बर्निंग वार्ड में पीने के पानी व बिजली की समुचित व्यवस्था

94–श्री शिव सिंह चक–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्वरूप रानी चिकित्सालय इलाहाबाद (राज०चि०) में बर्निंग वार्ड में पीने के पानी व वार्डों के बाहर सीढ़ियों, गलियारों में सफाई की व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार उक्त वार्ड के आस-पास सफाई, पीने के पानी, बिजली, पुताई आदि की समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इमरजेन्सी वार्ड संलग्न वार्ड में पीने के पानी हेतु नल की व्यवस्था है, जिसका उपयोग रोगियों व रोगियों के रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। वार्ड के बाहर, सीढ़ियों एवं गलियारे आदि की सफाई नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों से करवाई जाती है। उक्त वार्ड के आस-पास पीने का पानी एवं बिजली की समुचित व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल में मरीजों हेतु समुचित व्यवस्था

95–श्री शिव सिंह चक–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्वरूप रानी अस्पताल, जनपद–इलाहाबाद में भर्ती होने वाले मरीजों को मात्र एक गद्दा लगा बेड ही उपलब्ध कराया जाता है जिस पर बेड सीट भी उपलब्ध नहीं रहती है ? क्या यह सही है कि अस्पताल द्वारा एक ही इन्जेक्शन से सभी को सुई लगाना सम्भव न होने के कारण अटेन्डेन्टी/नर्स द्वारा मरीजों से ही सिरिन्ज मंगवा कर इन्जेक्शन लगाया जाता है ? क्या सरकार उक्त अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण करके आवश्यक व्यवस्था वहां सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इमरजेन्सी वार्ड में समस्त भर्ती मरीजों को फोम के गद्दे एवं बेड सीट उपलब्ध है।

चिकित्सालय में निराश्रित एवं अति निर्धन रोगियों को बजट की उपलब्धता के अनुसार डिस्पोजिबुल सिरिन्ज उपलब्ध कराकर इन्जेक्शन लगाये जाते हैं अन्य रोगियों से डिस्पोजिबुल सिरिन्ज आवश्यकता अनुसार मंगवाकर इन्जेक्शन लगवाये जाते है।

महानिदेशालय के अपर निदेशक प्रशासन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 19-8-2000 को कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, राज्य परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर की सेवा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही

96–श्री उदयराज यादव–

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राज्य परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ की सेवा नियमावली बनाने विषयक उप सचिव, उ० प्र० शासन का पत्र सं०–ए० क्यू० 27/पांच–10–99–16 वि०स०/99 दिनांक–27 मई, 99 महानिदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिवार कल्याण, उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां।

महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण, उ० प्र० लखनऊ द्वारा निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को पत्र संदर्भित किया गया तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ के सेवा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

97–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के कुल कितने पद इस समय रिक्त है ? रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्तमान में प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के 222 पद रिक्त हैं। खण्ड विकास अधिकारी के सीधी भर्ती के रिक्त 15 पदों पर चयन करने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर चयन कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश को रिक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। स्थगनादेश रिक्त होते ही खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन कराकर उसे भरा जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर, में खण्ड विकास अधिकारी पैतीपुर द्वारा निःशुल्क बोरिंग के कार्य की जानकारी

98–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन 5 बोरिंगों पर कार्य प्रगति पर था उनकी बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के ग्राम सभा अकमा को जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत आवंटित धनराशि से विकास कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

99–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर के ग्राम सभा अकमा को वित्तीय वर्ष 1998-99 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी और उससे क्या-क्या विकास कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर के ग्राम सभा अकमा को वित्तीय वर्ष 98-99 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत मु० 37753 रु० आवंटित की गयी। इससे मिट्टी पटाई, वृक्षारोपण, बाल पेंन्टिग, हैण्ड पम्प लगाना आदि कार्य कराये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र टूण्डला के ग्राम पंचायत चुल्हावली में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की मांग

100–श्री शिव सिंह चक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद की वि० सभा क्षेत्र टूण्डला के ग्राम पंचायत चुल्हावली में फ्लोराइड युक्त पानी होने के कारण लोगों में कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं ? क्या यह सही है कि उक्त गांव की आबादी 20 हजार के लगभग है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु टंकी का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं।

जी नहीं। ग्राम चुल्हावली की वर्ष 1991 की जनसंख्या–5689 है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन के पुनर्निर्माण की मांग

101–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुर्गागंज का भवन विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय का भवन पुनः कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

धन की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार चिकित्सालय के भवन निर्माण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा, लखनऊ तथा फैजाबाद मण्डल के नर्स संवर्ग के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड, प्रोन्नति वेतनमान की प्रदान की गयी सुविधा

102–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा, लखनऊ तथा फैजाबाद मण्डल में वर्ष 1980 से तैनात नर्स संवर्ग के कर्मचारियों को भी सेलेक्शन ग्रेड, प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा दी जायेगी ? यदि हां, तो उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

सुविधा प्रदान कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में क्राफ्ट शिक्षकों की वरिष्ठता सूची

103–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में तैनात क्राफ्ट शिक्षकों की वरिष्ठता सूची बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त संवर्ग की वरिष्ठता सूची अब तक न बनाये जाने के लिए कौन-2 कर्मचारी/अधिकारी दोषी है ? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सूची कब तक बना दी जायेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनन्तिम वरिष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जायेगी ।

लखनऊ चारबाग में स्वास्थ्य विभाग की दवाओं के रख-रखाव वितरण हेतु भण्डारण की व्यवस्था

104–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया व अन्य दवाओं के रख-रखाव हेतु एक विभागीय स्टोर चारबाग लखनऊ में स्थापित है ? क्या यह सही है कि उक्त भण्डार के स्टोर कीपर द्वारा दवाओं के रख-रखाव व वितरण में भारी अनियमितता की जा रही है ? क्या सरकार इसकी स्पेशल आडिट वर्ष 1995 से कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के क्षेत्र बांगरमऊ में स्थापित हैण्ड पाइपों के पाइप बदलने की जानकारी

105–श्री राम शंकर पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–उन्नाव के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ में स्थापित हैण्ड पाइपों में से कितने हैण्ड पाइप वर्ष 2000-2001 में रीबोर हुए तथा कितने हैण्डपाइपों के जी० आई० पाइप बदले गये हैं तथा वर्ष 2001-2002 में कितने हैण्ड पाइप रीबोर व जी० आई० पाइप बदलने हेतु प्रस्तावित है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद उन्नाव के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ में स्थापित हैण्ड पाइपों में से वर्ष 2000-2001 में 58 हैण्डपाइप रिबोर हुए तथा किसी भी हैण्डपाइप के जी० आई० पाइप नहीं बदले गये हैं । वर्ष 2001-2002 में रिबोर एवं जी० आई० पाइप बदलने हेतु जिला प्लान में प्रस्ताव किया गया है किन्तु अभी तक जिला योजना की कार्य योजना की स्वीकृति न होने के कारण संख्या का उल्लेख किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद उन्नाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राजीव गांधी पेयजल योजनान्तर्गत बोरिंग एवं टंकियों के निर्माण का प्रकरण

106–श्री राम शंकर पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राजीव गांधी पेयजल योजनान्तर्गत जनपद–उन्नाव में वर्ष 1993 में विभिन्न क्षेत्रों में डीप बोरिंग एवं जलापूर्ति हेतु टंकियों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जनपद हेतु कितनी बोरिंग एवं टंकियों का निर्माण स्वीकृत था तथा अब तक कितनी टंकियों का निर्माण होकर जलापूर्ति की जा रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विभाग में तदर्थ आधार पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों के विनियमितीकरण का मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

107–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद विभाग, उ० प्र० में लगभग 8-10 वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों को विनियमित किये जाने के संबंध में श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर स० वि० स० का पत्र दिनांक 14-12-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

आयुर्वेदिक विभाग में तदर्थ आधार पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के साथ विचाराधीन होने के कारण सम्प्रति अग्रेतर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, विकास खण्ड सुल्तानगंज की ग्राम पंचायत बरासूरजपुर के पूर्व प्रधान द्वारा कई वर्षों में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच

108–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा बरासूरजपुर ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के प्रधान द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-1999 एवं 1999-2000 में जे० आर० वाई० व अन्य योजनाओं में लाखों रुपयों का घोटाला कर लिया गया है ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड सुल्तानगंज की ग्राम पंचायत बरासूरजपुर के पूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 1997-98-1999-2000 में कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच सहायक अभियन्ता (डी०आर०डी०ए०) द्वारा करायी गयी । जांच में पूर्व प्रधान पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में रु० 12737.00 (रु० बारह हजार सात सौ सैंतीस मात्र) का कार्य कम पाया गया । धनराशि की वापसी हेतु ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कन्नौज, ब्लाक सौरिख के ग्राम-जमुनी डांडी में पक्की सड़क निर्माण की मांग

109–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–जमुनी डांडी ब्लाक सौरिख जनपद कन्नौज के लिये कोई पक्की सड़क है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पक्की सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

ग्राम जमुनी डांडी ब्लाक सौरिख बिधूना मार्ग पर ग्राम भूड़ियन से जमुनी डांडी तक 1-1/2 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी कार्य विधायक निधि योजनान्तर्गत वर्ष 99-2000 में स्वीकृत किया गया है । इस सम्पर्क मार्ग को पक्का करने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

जनपद औरैया, ब्लाक बिधूना के ग्राम हाजीपुर में पक्की सड़क के निर्माण की जानकारी

110–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम हाजीपुर मौजा भदोही ब्लाक बिधूना जनपद औरैया में जाने के लिये कोई पक्की सड़क है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के लिये पक्की सड़क बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना की 70 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को तथा 30 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत को अवमुक्त की जा रही है, जो स्थानीय आवश्यकता तथा उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य योजना बनाकर कार्य कराने से सक्षम है। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकानुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय से मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित कार्यों के आधार पर भारत सरकार की स्वीकृतिनुसार सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

111–श्री रामऔतार शाक्य–

[दिनांक 25-4-2001 को अता०प्र०सं०–159 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला व नारखी ब्लाक में शुगर मिल स्थापना का प्रकरण

112–श्री शिव सिंह चक–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेगी कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला व नारखी ब्लाक में शुगर मिल की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त मिल कब तक स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

113–श्री रामऔतार शाक्य–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के प्रा० पा० अइलख में अध्यापकों के वेतन फर्जी तरीके से निकालने व अनियमितताओं विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

114–श्री रामअौतार शाक्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगी कि श्री बुद्धिवर वर्मा का प्रा० पा० अइलख,मऊ में अध्यापकों के वेतन फर्जी तरीके से निकालने एवं विद्यालय में अन्य अनियमिततायें करने विषयक पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ जो कि मुख्य मंत्री को दिया गया था उनके कार्यालय के पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–/35998/ मैनपुरी/ 2000/ दिनांक 27-7-2000 के साथ सचिव,समाज कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, ती उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच करायी गई, जिसमें शिकायत सही पायी गई है और उक्त विद्यालय में अध्यापकों को किये जा रहे अनियमित वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड ज्ञानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का प्रकरण

115–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि० खं० ज्ञानपुर में वर्ष 1997-98 में चक टोडर कसियापुर, महजूदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त प्रा० स्वा० केन्द्र का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के ग्राम उधवा माफी में मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र निर्माण की मांग

116–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के ग्राम उधवा माफी में मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र निर्मित करने हेतु वर्ष 1998-99 में स्वीकृति मिल गई है ? यदि हां, तो उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपकेन्द्रों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत है । अतः जिला योजना से जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के पश्चात प्राप्त परिव्यय के उपरान्त ही प्रश्नगत उपकेन्द्र का निर्माण सम्भव होगा ।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड ज्ञानपुर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मतेथू के पुनर्निर्माण की मांग

117–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि०खं० ज्ञानपुर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मतेथू का भवन विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त

है? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय का नया भवन कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

धन की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार चिकित्सालय के भवन निर्माण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, विकास खण्ड आसपुर देवसरा के ग्राम मोलनापुर में पुलिया व एप्रोच रोड के निर्माण हेतु मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन

118–श्री उदय राज यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम–मोलनापुर, विकास खण्ड–आसपुर देवसरा में पुलिया व उसकी एप्रोच रोड के निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में याचिका संख्या–535/96 श्री ओम प्रकाश पाण्डेय बनाम राज्य पर मा० उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-5-99 के अनुपालन में पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है किन्तु सम्पर्क मार्ग से न जोड़े जाने के कारण स्थानीय लोगों को बरसात के दिनों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित महिला संरक्षण गृहों में संक्रामक रोग से पीड़ित संवासिनियों के उपचार की व्यवस्था की जानकारी

119–श्री विजय पाल सिंह तथा डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित महिला संरक्षण गृहों में ऐसी कितनी संवासिनियां हैं, जो संक्रामक रोग से पीड़ित हैं ? क्या ऐसी संवासिनियों के उपचार हेतु विभाग द्वारा अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

पांच।

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सलेमपुर, तहसील डा० स्वा० केन्द्र ओदारी के प्रभारी चिकित्सक द्वारा कपट पूर्ण रीति से प्राप्त मकान किराये भत्ते की वसूली

120–श्री वीरेन्द्र सिंह खेतंची–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–182 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्राप्त की गयी किराये भत्ते की वसूली हो गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा कपट पूर्ण रीति से प्राप्त की गई मकान किराये भत्ते की वसूली करके उसे कोषागार में जमा कराया जा चुका है।

जनपद अम्बेडकरनगर क्षेत्र जहांगीर गंज के बाजार राजे सुल्तानपुर में कार्यरत स्वास्थ्य उपकेन्द्र

121–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत बाजार राजे सुल्तानपुर में जच्चा बच्चा केन्द्र न होने के कारण महिलाओं को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार वहां स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनवाने का आदेश करेंगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जनपद अम्बेदकर नगर के अन्तर्गत बाजार राजे सुल्तानपुर में पूर्व से ही स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत हैं। अतएव अन्य उपकेन्द्र नियमानुसार बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई के ग्राम गौरी में स्व० श्री लाखन सिंह की पुण्य स्मृति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम रखे जाने विषयक शासन के विचाराधीन प्रकरण

122–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–1/38181/हरदोई, दिनांक 29-9-2000 जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० लाखन सिंह की पुण्य स्मृति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम गोरी जनपद हरदोई का नाम रखे जाने के सम्बन्ध में था जिला विकास अधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रकरण शासन में विचाराधीन है। शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद टूण्डला के ब्लाक नारखी में भवनहीन स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की मांग

123–श्री शिव सिंह चक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के टुण्डला व नारखी ब्लाक अन्तर्गत चल रहे स्वास्थ्य केन्द्र भवनहीन हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन प्राथमिकता के आधार पर बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जिला योजना के अन्तर्गत परिव्यय की उपलब्धता एवं समायोजन तथा जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा प्राथमिकता देने के प्रस्ताव पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला व नारखी ब्लाक में खराब पड़े हैण्डपम्पों का प्रकरण

124–श्री शिव सिंह चक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला व नारखी ब्लाक में स्थायी रूप से खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

125–डा० ज्ञानवती सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, वरूआ पेना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

126–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-11-97 जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय वरूआ पेना जनपद शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, वरूआ पेना जनपद शाहजहांपुर एवं सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध जांच करायी गयी । जांचोपरान्त श्री राजनरेश सिंह फार्मासिस्ट को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, वरूआ पेना, शाहजहांपुर से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

इलाहाबाद व लखनऊ जनपदों में विधवा पेंशन योजना में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

127–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–81 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

प्रकरण में दोषी कर्मचारी श्री लाल चन्द्र पाल, कनिष्ठ लिपिक तथा श्री रमेश कुमार, कनिष्ट लिपिक को आरोप-पत्र दे दिये गये हैं तथा दोषी अधिकारियों को आरोप-पत्र देने की कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिकी दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

जनपद रायबरेली के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के सहायक अधीक्षक श्री राजीव कुमार के विरुद्ध कार्यवाही विषयक जिलाधिकारी के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

128–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के जिलाधिकारी के पत्र संख्या–966–9/जी०का०/पो०/का०/स्था/98-99 दिनांक 30-12-98 पत्र संख्या 68-65एस० टी० दिनांक 2-12-98 तथा पत्र-संख्या 55–52एस० टी/दिनांक 26-12-98, 561-63 दिनांक 31-10-98 जो सचिव, महिला कल्याण उ० प्र० शासन को सम्बोधित तो तथा राजीव कुमार सहायक अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह रायबरेली के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में थे,

प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त दोषी कर्मचारी को पुनः उसी संस्था में तैनात कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां, किन्तु अब संबंधित कर्मचारी संस्था से स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम रपड़ा व टाटराबाद में पुलिया निर्माण की मांग

129–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–45 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम रपड़ा तथा ग्राम टाटराबाद में पुलिया का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उपरोक्त पुलिया का निर्माण कब तक कराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम रपड़ा तथा ग्राम टाटराबाद में पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है, अपितु रपड़ा–टाटराबाद के नाले पर वेटेड काजवे का निर्माण करा दिया गया है ।

उक्त कार्य किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है । कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रपड़ा–टाटराबाद के बीच परोना नाला पर बेन्टेड काजवे का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ।

उक्त नाले पर पुल बनाने में लगभग रु० 60.00 लाख व्यय अनुमानित है । उक्त कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

फैजाबाद मण्डल के उप निदेशक, समाज कल्याण के पद धारक पी० सी० एस० अधिकारी द्वारा समूह 'ग' की नियुक्तियों में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही की मांग

130–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1995 से दिसम्बर 1997 तक फैजाबाद मण्डल में उप निदेशक समाज कल्याण के पद पर तैनात पी०सी०एस० अधिकारी ने इस अवधि में कितनी समूह "ग" तथा "घ" की नियुक्तियां की थीं ? क्या यह नियुक्तियां अनियमित रूप से की गई थी तथा इन नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन भी नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सितम्बर, 1995 से जनवरी, 1997 के मध्य उप निदेशक, समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल के पद पर तैनात पी० सी० एस० अधिकारी ने समूह "ग" में 7 नियुक्तियां की थीं । समूह "घ" की कोई नियुक्ति नहीं की गयी ।

जी हां ।

मण्डलायुक्त, फैजाबाद द्वारा अनियमित नियुक्तियों की जांच अपर आयुक्त (प्रशासन) फैजाबाद मण्डल से करायी गयी । जांच आख्या के आधार पर दोषी पाये गये पी० सी० एस० अधिकारी तत्कालीन उप निदेशक (स०क०) के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग की संस्तुति पर नियुक्ति विभाग

द्वारा विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है तथा कार्यवाही नियुक्ति विभाग में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय, समाज कल्याण उ० प्र० लखनऊ में समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण की जानकारी

131–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय समाज कल्याण, उ० प्र० लखनऊ में समूह "ग" तथा समूह "घ" में अलग-अलग कितने कर्मचारियों के पद सृजित है तथा उनके विरुद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में समूह "ग" के 189 पद तथा समूह "घ" के 45 पद अलग-अलग सृजित हैं। समूह "ग" के सृजित पद के सापेक्ष 150 तथा समूह "घ" के सापेक्ष 41 कर्मचारी कार्यरत हैं।

समूह "ग" के 141 तथा समूह "घ" के 36 कुल 177 कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित चयन प्रक्रिया अथवा मृतक आश्रित नियमावली के माध्यम से की गई है। समूह "ग" के पांच कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर तथा 4 संविदा पर कार्यरत हैं . समूह "घ" के पांच कर्मचारी मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा दलित छात्रों के छात्रवृत्ति वितरण के घोटाले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

132–श्री राम नरेश यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि हाल ही में समाज कल्याण विभाग द्वारा दलित छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में कई करोड़ का घोटाला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराएगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

262 दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा, वृद्धावस्था व विकलांगों को विगत वर्षों में वितरण की गयी धनराशि का विवरण

133–श्री राम नरेश यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधवा, वृद्धावस्था व विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन विगत दो सालों से नहीं वितरित की जा रही है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह बताएगी कि गत वर्ष कितने विकलांग, विधवाओं तथा वृद्धावस्था को पेंशन दी गयी थी ? वर्ष 2000 व 2001 में कितने लोगों को उक्त मद में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि दी गयी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 4,93,995 निराश्रित विधवाओं, 12,41,312 वृद्धों एवं 1,34,657 विकलांगों को पेंशन वितरित की गयी।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जनपदों से प्राप्त विवरण के अनुसार माह फरवरी, 2001 तक 3,17,728 निराश्रित विधवाओं को रु० 4797.70 लाख माह जनवरी, 2001 तक 10,01,984 वृद्धों को रुपये 11,403.61 लाख तथा इसी अवधि तक 1,09,977 विकलांगों को रु० 1453.25 लाख की धनराशि वितरित की गयी।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां से कूसाघाट मार्ग के निर्माण हेतु स्थानान्तरित धनराशि से कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

134–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद रविदास नगर भदोही के वि०खं० सुरियावां एक मार्ग पर 31-3-96 को 3 कि०मी० मात्र लेपन हेतु पी० डब्ल्यू० डी० को सुरियावां से कूसाघाट हेतु 7.00 लाख तथा सी० एण्ड डी० एस० को कूसा घाट से सुरियावां 7.00लाख धन जे० आर० वाई० से अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण किस एजेंसी से कराया गया है ? क्या उक्त निर्माण कार्य मानक के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की जांच करा कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु सी० एण्ड डी० एस० भदोही को रु० 7.00 लाख जवाहर रोजगार योजना से दिया गया था, जिसे सी० एण्ड डी० एस० ने लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया।

लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड सिरसिया की ग्राम सभा जानकीनगर कला मे सम्पर्क मार्ग पर पुलियों के निर्माण की मांग

135–श्री विश्वनाथ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड सिरसिया के ग्राम सभा जानकी नगर कला के वर्ष 1999-2000 में लक्ष्मणपुर बाजार से प्रतापवली पुरवा तक सम्पर्क मार्ग बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग में मानक के अनुसार कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग पर प्रतापवली पुरवा के पानी निकासी के लिए दो पुलियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां। जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड सिरसिया के ग्राम–जानकीनगर कला के लक्ष्मणपुर बाजार से प्रतापवली पुरवा मार्ग में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 2.35 कि०मी० मार्ग पर मिट्टी पटान एवं तीन पुलियों का निर्माण वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कराया गया था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त मार्ग में पानी निकासी के लिए आवश्यकतानुसार पुलियों का निर्माण कराया गया था। अतिरिक्त पुलियों का निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

लखनऊ, भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर के वरिष्ठ अर्थोपैडिक सर्जन द्वारा निजी प्रैक्टिस किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

136–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाउराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर, लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठ आर्थोपैडिक सर्जन द्वारा निजी प्रेक्टिस किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्रांक–क–2–212683, दिनांक 15 जनवरी, 2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार निजी प्रैक्टिस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये उक्त चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा उपचार से करायी जा रही है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

जांच आख्या प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर, थाना नेबुआ नौरंगिया/हनुमानगंज के ग्रामों में संचालित अवैध कांटा तथा जनपद में माफियाओं द्वारा अवैध गन्ना खरीद पर पाबन्दी

137–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर में गन्ना माफिया व बिचौलियों द्वारा अवैध गन्ना क्रय केन्द्र चलाकर किसानों की उपज आधे दाम पर क्रय की जा रही है ? क्या यह सही है कि थाना नेबुआ नौरंगिया अन्तर्गत ग्राम मझार विन्दवलिया में क्रान्तिकारी चौराहे के पूरब सरताज कांटा व थाना हनुमानगंज अन्तर्गत ग्राम केशवपट्टी में अवैध कांटा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद कुशीनगर में गन्ना माफियाओं द्वारा गन्ना खरीद कर बिहार की चीनी मिलों को भेजने की जानकारी होने पर जिला प्रशासन ने छापा मार कर अवैध गन्ना ट्रक चालकों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। क्रय केन्द्र चला कर किसानों की उपज आधे दामों पर क्रय किये जाने का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है।

ग्राम–भड़ार, विन्दवलिया में क्रान्ती चौराहे तथा थाना हनुमानगंज के अन्तर्गत ग्राम केशवपट्टी में लगे अवैध कांटे को सीजन के प्रारम्भ में ही जिला प्रशासन द्वारा छापा मारकर तौल के अयोग्य कर दिया गया था, तथा जिलाधिकारी के निर्देशन में विभिन्न अधिकारियों द्वारा पूरे जनपद में छापा मारकर अवैध गन्ने की खरीद बन्द करा दी गयी थी।

प्रदेश में बाल विकास पुष्टाहार विभाग के जिला कार्यालय अधिकारियों की पदोन्नति प्रदान करने की मांग

138–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में रिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों के पद पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों की पदोन्नति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

संगत सेवा नियमावली के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद को मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो । चूंकि वर्तमान में मौलिक रूप से कार्यरत किसी भी बाल विकास परियोजना अधिकारी की सेवायें 10 वर्ष पूर्ण नहीं है, अतः वर्तमान में पदोन्नति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, उ० प्र० चीनी निगम इकाई, खड्डा की पेराई क्षमता बढ़ाने का प्रकरण

139–श्री दीप लाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-4-2000 जो उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० इकाई खड्डा कुशीनगर की 50,000 क्विंटल पेराई क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या बढ़ते गन्ना उत्पादन को देखते हुए उक्त चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

खड्डा चीनी मिल उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अधीन संचालित है । उ० प्र० राज्य चीनी निगम की पुनर्वासन योजना बी० आई० एफ० आर० के सम्मुख विचाराधीन होने के कारण खड्डा चीनी मिल की क्षमता वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं है ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा, कुशीनगर में आसवनी की स्थापना स्वगित करने के आदेश

140–श्री दीप लाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र०, राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा कुशीनगर में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता की आसवानी की स्थापना हेतु वर्ष 1989 में प्रस्तावित परियोजना का क्रियान्वयन धनाभाव के कारण नहीं हो सका तथा उक्त चीनी मिल को बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकान्स्ट्रक्शन (बी०आई० एफ० आर०) द्वारा दि सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्राविजन्स) ऐक्ट 1985 के अन्तर्गत एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित कर दिये जाने के कारण अब निगम को उक्त खड्डा में आसवानी के निर्माण की परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया था ? क्या यह सही है कि उक्त चीनी मिल अब आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गयी है ? यदि हां, तो वहां पर कब तक आसवानी उत्पादन केन्द्र स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

खड्डा चीनी मिल में वर्ष 1989 में 30.00 लीटर प्रतिदिन क्षमता की आसवानी स्थापित करना प्रस्तावित थी परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण शासन द्वारा आसवानी की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बरेली के एस० आर० एम० राजकीय आयुर्वेदिक कालेज को बन्द करने सम्बन्धी प्रकरण

141–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एस०आर०एम० राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली को बन्द करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि० खं० सुरियावां में विधायक मार्ग से सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

142–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि०खं० सुरियावां में विधायक मार्ग से श्रीपुर तक संपर्क मार्ग 200 मी० निर्मित करने हेतु वर्ष 1998-99 में खण्ड विकास अधिकारी सुरियावां को जे०आर०वाई० के अन्तर्गत 0.53 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में विधायक मार्ग से श्रीपुर तक सम्पर्क मार्ग 200 मीटर लम्बाई में मिट्टी/खड़न्जा निर्मित करने हेतु वर्ष 1998-99 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत रु० 0.72 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत सुरियावां को अवमुक्त की गयी।

जी नहीं।

स्थानीय आवश्यकतानुसार जनहित में उक्त मार्ग के स्थान पर ज्ञानपुर दुर्गागंज मुख्य मार्ग से श्रीपुर तक 200 मीटर लम्बाई में मिट्टी खड़न्जा कार्य कराया गया है।

जनपद रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड ज्ञानपुर में जवाहर रोजगार योजना में मार्ग निर्माण अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांचोपरान्त कृत कार्यवाही की जानकारी

143 डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड ज्ञानपुर में वर्ष 98-99 में जे०आर०वाई० अन्तर्गत कलिजरा मार्ग से धोबहिया ठाकुर बस्ती तक

500 मी० मिट्टी कार्य लेपन स्तर तक निर्मित करने हेतु 2.25 लाख रुपया सी०एण्ड डी०एस० को अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण की जांच सहायक अभियन्ता डी० आर० डी० ए० से करायी गयी । जांच आख्या के अनुसार कार्य मानक के अनुसार पूर्ण नहीं पाये गये । इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी० एस० से स्पष्टीकरण मांगा गया, जो अप्राप्त है । परियोजना प्रबन्धक व अन्य दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में मूसी पिपरिस मार्ग के मिट्टी लेपन स्तर तक मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

144–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1998-99 में मूसी पिपरिस मार्ग से ब्रजराजपुर होते हुए मुख्य मार्ग तक रिंग रोड 1 किमी० मिट्टी से लेपन स्तर तक निर्मित करने हेतु सी०एण्ड डी०एस० को जे०आर०वाई० अन्तर्गत 6.00 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच कराकर उक्त मार्ग शीघ्र पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद संत रविदास नगर, भदोही में वर्ष 1998-99 में मूसी पिपरिस मार्ग के 1.00 कि०मी० मिट्टी से लेपन स्तर तक कार्य कराने हेतु सी० एण्ड डी० एस० को जे० आर० वाई० के अन्तगत स्वीकृत लागत रु० 6.00 लाख के सापेक्ष रु० 4.67 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है ।

जी नहीं ।

उक्त संस्था द्वारा केवल रु० 3.17 लाख की धनराशि का ही उपयोग किया गया है । प्रश्नगत मार्ग की जांच सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से करायी गयी; जांच में कार्य मानक के अनुसार नहीं पाये जाने के कारण परियोजना प्रबन्धक, सी० एण्ड डी० एस० एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के ग्राम वेदपुर में मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र के भवन निर्माण की मांग

145–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1992-93 में ग्राम वेदपुर में मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 3.11 लाख धन अवमुक्त किया

गया था ? यदि हां, तो उक्त भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

उक्त उपकेन्द्र हेतु भूमि विवादित होने के कारण निर्माण सम्भव नहीं हो सका । इस हेतु स्वीकृत धनराशि जो पी० एल० ए० खाते में थी, शासन की सामान्य नीति के अन्तर्गत पी० एल० ए० शून्य कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत धनराशि व्यपगत हो गयी । वर्तमान में कार्य के लिए न तो धन उपलब्ध है और न ही भूमि विवाद ही निस्तारित हो सका है । अतः निर्माण नहीं कराया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत कबीरनगर, विकास खण्ड नाथनगर के ग्राम दुबौली में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

146–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के विकास खण्ड नाथनगर के ग्राम सभा गोन्दौरा के अन्तर्गत ग्राम दुबली में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कौन-कौन कार्य कराये गये हैं ? क्या कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति बाउचर प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद संत कबीरनगर के विकास खण्ड नाथनगर की ग्राम पंचायत गोन्दौरा के राजस्व ग्राम दुबौली में वर्ष 1999-2000 में निम्नलिखित कार्य कराये गये :–

(क) इन्जीनियर के चक से उस्मानपुर नहर तक मिट्टी कार्य लम्बाई 200 मी० चौड़ाई 03.00, 4.00 मी०

(ख) रामगोविन्द के घर से बड़े चकरोड तक मिट्टी कार्य लम्बाई 50 मी० चौड़ाई 3.00 मी० 3.40 मी०

(ग) सुक्खा के घर से पुलिया तक मिट्टी कार्य लम्बाई 27 मी० चौड़ाई 3.00, 3.50 मी० वर्ष 2000-2001 में राजस्व ग्राम दुबौली में कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

जी हां ।

जी हां । विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सों की भर्ती हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित रूपरेखा

147–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-1-2001 से 13-1-2001 तक नर्सों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु कितने अभ्यर्थियों (लड़कियों) को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था ? क्या उक्त

साक्षात्कार में मैरिट सूची शैक्षिक योग्यता के आधार पर तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा एवं नीति क्या निर्धारित की गयी हैं ? उपरोक्त साक्षात्कार में कितने अंक निर्धारित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि इन्टरव्यू अधिक अंकों का रख कर प्रथम श्रेणी की लड़कियों के चयन न करके चयन में अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच कराकर जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

कुल 1,812 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया ।

उक्त साक्षात्कार हेतु मेरिट सूची 55 अंकों की लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के 30% अंक एवं खेलकूद प्रवीणतांकों के योग पर तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची जो कि प्रशिक्षण स्थान के चार गुने अभ्यर्थियों को आरक्षण नियमों के अनुसार बुलाया गया था ।

उपर्युक्त श्रेष्ठता सूची उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 1998 के अन्तर्गत उपर्युक्त रूपरेखा निर्धारित की गयी थी ।

साक्षात्कार हेतु कुल अंक 10 निर्धारित किये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में शुगर मिलों के अन्तर्गत गन्ना ट्रकों से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के नवीनीकरण का प्रकरण

148–श्री राम विशुन आजाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शुगर मिलों के अन्तर्गत अधिक ओवर लोडिंग एवं गन्ना की ट्रकों से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों को नवीनीकरण कराने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उन पर कब तक कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी में असन से जौधरी सड़क के कार्य की टी० ए० सी० जांच पर कार्यवाही की जानकारी

149–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के प्रभारी मंत्री मा० श्री राम पाल राजवंशी द्वारा दिनांक 29-7-98 को विकास खण्ड नारखी में सांसद निधि से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित असन से जौधरी सड़क के कार्य का निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निरीक्षण के समय निर्मित सड़क पर लेपन का कार्य एक ही बार किया गया पाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का दूसरा लेपन कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

निरीक्षण के आधार पर संबंधित अभियंताओं को दी गयी कारण बताओ नोटिस के उत्तर से मार्ग पर लेपन के द्वितीय कोट का होना अथवा न होना संदग्धि पाया गया है, जिसकी पुष्टि के लिए टी० ए० सी० से जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं । जांचाख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद संत कबीरनगर, विकास खण्ड नाथनगर के ग्राम सभा गोन्दौरा में जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत अनेक वर्षों में आवंटित धनराशि व कार्य के विवरण की जानकारी

150–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के विकास खण्ड नाथ नगर के अन्तर्गत ग्राम्य सभा गोन्दौरा के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 में कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? आवंटित धन से कौन-कौन से कार्य कराये गये ? क्या कराये गये कार्यों का कार्यपूर्ति बाउचैर प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन सी०डी०ओ० संत कबीर नगर के माध्यम से कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

संत कबीर नगर जिले के विकास खण्ड नाथनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोन्दौरा में जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में रु० 31618.00, वर्ष 1999-2000 में रु० 15000.00 एवं वर्ष 2000-2001 में रु० 17500.00 आवंटित किया गया ।

आवंटित धन से निम्नलिखित कार्य कराये गये :–

वर्ष 1998-99

1–राजस्व ग्राम गोन्दौरा में बेचन के घर के पीछे से चुम्मन के घर तक सोलिंग कार्य लम्बाई 39 मी० चौड़ाई 1.30–1.00–2.20 मी०

2–राजस्व ग्राम दुबौली में सुक्खू के थर से पुराने चकरोड़ तक मिट्टी कार्य लम्बाई 100 मी०, चौड़ाई, 3.50 मी० ।

3–राजस्व ग्राम डुमरिया में भोकाई सीवान से शारदा के घर तक मिट्टी कार्य लम्बाई 100 मी० चौड़ाई 4.50–5.00 मी ।

वर्ष 1999-2000

1–राजस्व ग्राम दुबौली में इंजीनियर के चक से उस्मानपुर नहर तक मिट्टी कार्य लम्बाई 200 मी० चौड़ाई 3.00–3.00 मी० ।

2–राजस्व ग्राम दुबौली में रामगोविन्द के घर से बड़े चकरोड़ तक मिट्टी कार्य लम्बाई 50 मी० चौड़ाई 3.00–3.40 मी० ।

3– राजस्व ग्राम दुबौली में सुक्खू के घर से पुलिया तक मिट्टी कार्य ल० 27 मी०, चौड़ाई 3.00–3.50 मी० ।

4–राजस्व ग्राम गोन्दौरा में मुख्य सड़क (काली जगदीशपुर–मोलनापुर मार्ग) अनुसूचित जाति बस्ती तक मिट्टी कार्य लम्बाई 47 मी०, चौड़ाई 4.00–5.50 मी० ।

वर्ष 2000-2001

1–राजस्व ग्राम अमृत महुआ गांव में नहर की पटरी से अमृत महुआ ग्राम तक मिट्टी कार्य लम्बाई 450 मी०, चौड़ाई 3.50–4.00 मी० ।

जी हां ।

कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, तहसील खजनी के राजकीय चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुरदेवा में मरीजों के पंजीकरण की जांच

151–श्री रिफाकत हुसैन–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मुरदेवा, तहसील खजनी जनपद गोरखपुर में तैनात चिकित्सक एवं कम्पाउन्डर अस्पताल पर मौजूद नहीं रहते है तथा फर्जी ढंग से मरीजों का नाम पंजीकृत कर दवायें बेची जाती हैं ? यदि हां, तो क्या मामले की जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गोरखपुर द्वारा दिनांक 15-3-2001 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण में प्रश्नांकित शिकायतें सही नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय मऊ में शव विच्छेदन को चालू कराने की मांग

152–श्री समर पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय मऊ में शव विच्छेदन का कार्य किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शव विच्छेदन का कार्य वहां पर कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय मऊ, परिसर में शव विच्छेदन गृह निर्मित किया जा चुका है। गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण शव विच्छेदन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

गजट नोटिफिकेशन होने के उपरान्त शव विच्छेदन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जनपद जौनपुर में तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु धन उपलब्ध कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

153–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में तालाबों के जीर्णोद्धार करने के लिए धन उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-1-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां।

पत्र मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर को प्रेषित किया गया। प्रदेश में तालाबों/पोखरों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद की आगामी कार्य योजना बनाते समय ऐसी परियोजनाओं को भी कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु जिला पंचायत के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं। तद्नुसार ही पत्र में उल्लिखित तालाबों पर भी जिला पंचायत द्वारा ही विचार किया जा सकता है।

जनपद जौनपुर में गन्ना सहकारी समितियों द्वारा की गयी अनियमितता सम्बन्धी जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

154–श्री अफजाल अहमद–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में गन्ना सहकारी समितियों द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में राम चन्दर यादव ग्राम कुहिया पो० सरायख्वाजा जनपद जौनपुर के पत्र दिनांक 10-11-2000 तथा 13-11-2000 जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

शिकायती पत्रों पर अपर तहसीलदार (सदर) जौनपुर से जांच करायी गयी । जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप तथ्यहीन एवं निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, पोस्ट सरायवाजा के ग्राम राजेपुर में गन्ना समिति निर्वाचन में हुई धांधली सम्बन्धी जिलाधिकारी को दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

155–श्री अफजाल अहमद–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अमरजीत सिंह ग्राम राजेपुर, पो० सरायवाजा जनपद जौनपुर द्वारा गन्ना समिति निर्वाचन में हुयी धांधली सम्बन्धी शिकायती-पत्र जो जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिलाधिकारी जौनपुर जनपद जौनपुर को 30-11-2000 तथा 6-12-2000 को दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन शिकायती पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

श्री अमरजीत सिंह, ग्राम–राजेपुर द्वारा जिला सहकारी गन्ना समिति लि०, जौनपुर मेहरावां ने गन्ना समिति के डेलीगेट निर्वाचन में नामांकन किया तथा जिस पर श्री नागेन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ, प्राइमरी समिति, समदहा क्षेत्र द्वारा लिखित आपत्ति करने पर निर्वाचन अधिकारी/अपर तहसीलदार, जौनपुर द्वारा आदर्श नियमावली, जिला सहकारी समिति लि०, जौनपुर महरावां के नियम–29 के आधार पर श्री अमरजीत सिंह का विगत तीन वर्षों से गन्ने की आपूर्ति न करने पर यथाविधि नामांकन निरस्त किया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में बाल विकास परियोजना पाली के कतिपय आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकत्री/सहायिकाओं के मानदेय भुगतान की जानकारी

156–श्रीमती माया प्रसाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के 6ठे बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-135 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के बाल विकास परियोजना पाली के आंगनबाड़ी केन्द्र धुरियापार, बउण्डरा, बनौली, पाली के आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं को जनवरी, 1999 से सितम्बर, 2000 तक के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

केन्द्र धुरियापार की एक सहायिका को छोड़कर शेष सभी केन्द्रों की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है।

बनौली नाम का कोई केन्द्र स्थापित नहीं है।

फ़रवरी, 2001 तक भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में समूह 'ग' के परीक्षा परिणाम

157–श्रीमती माया प्रसाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के तीसरे बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1998 को आयोजित समूह ''ग'' परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार परीक्षा परिणाम न घोषित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षा परिणाम तैयार कराये जाने की प्रक्रिया में कतिपय समस्यायें प्रकाश में आयीं, जिनका समाधान कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कासिमपुर खोला में चिकित्साधिकारी के रिक्त पद

158–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कासिमपुर खोला में चिकित्साधिकारी का पद रिक्त चल रहा है ? क्या उक्त चिकित्सालय पर किसी चिकित्साधिकारी को नियुक्त करने हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 460/2000-2001 दिनांक 4-9-2000 द्वारा अनुरोध करने के बावजूद अभी तक किसी चिकित्साधिकारी को नियुकत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कासिमपुर खोला, जिला मुजफ्फरनगर के चिकित्साधिकारी का पद अन्यत्र स्थानान्तरित होने के कारण वहां चिकित्साधिकारी नियुक्त नहीं है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कासिमपुर खोला, जिला मुजफ्फरनगर में चिकित्साधिकारी का पद उपलब्ध होने तक समीपवर्ती चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा कार्य देखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, चीनी मिल तिलहर में मृतक आश्रित कर्मचारियों का नियमितीकरण

159–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 17-9-98 जो चीनी मिल तिलहर शाहजहांपुर में कार्यरत श्रम आश्रित कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित रखे जाने के विषय में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र दिनांक 17-9-98 को सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास को आवश्यक कार्यवाही एवं जांच के लिये भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी हां ।

संदर्भित पत्र का परीक्षण किया गया । सहकारी चीनी मिलों में मृतक आश्रितों के सेवायोजन हेतु शासकीय नियम लागू नहीं होते । मिल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मृतक आश्रितों को नियमित सेवा में रखना व्यवहारिक नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विधान सभा मार्ग, कमलापति त्रिपाठी स्मारक से लगी दुकान से बेचे जाने वाले दूध-दही की जांच हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

160–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–क–2 न० 153539 दिनांक 21-10-2000 जो विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से भेजा गया था, तथा जो दूध में पानी, रबड़ी में अरारोट दही में सोख्ता मिलाकर जन-स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कमलापति त्रिपाठी स्मारक विधान सभा मार्ग, लखनऊ से लगी, यादव की दूध, दही की दुकान के दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच स्वास्थ्य महानिदेशक, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के माध्यम से करायी गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा है ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

मा० विधायक का पत्र दिनांक 21-10-2000 विधायक प्रकोष्ठ द्वारा जिला अधिकारी, लखनऊ को भेजा गया । चूंकि उक्त दुकान नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, इसलिए दूध एवं रबड़ी के नमूनों की जांच मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ द्वारा करायी गयी ।

मुख्य नगर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जांच परिणाम प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद, इण्डिया पालीटेक्निक इण्डिया के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जानकारी

161–श्री संजय गर्ग–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्डिया पालीटेक्निक इण्डिया, इलाहाबाद में स्थायी रूप से कार्यरत कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको वर्ष 1995 से अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों का नाम, पद नाम बतायेगी ? क्या यह सही है कि उक्त स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों का चयन विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया गया

था? यदि हां, तो वेतन भुगतान न करने के लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

संस्था में ऐसा कोई भी स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी नहीं है, जिसे वर्ष 1995 से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, किन्तु गैर अनुमोदित पदों के विरुद्ध कार्यरत 33 कर्मचारियों को माह जून, 99 के बाद वेतन भुगतान नहीं किया गया है ।

कार्यरत कर्मचारियों की सूची संलग्न है ।

इन कर्मचारियों की नियुक्ति चयन समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा संस्था स्तर पर की गयी थी ।

शासनादेश दिनांक 18-2-98 के द्वारा सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं में वेतन मद में स्वीकृत धनराशि से केवल अनुमोदित पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को ही वेतन भुगतान करने के आदेश दिये गये हैं । अतः दोषी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 152–153 पर ।)

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में रेलवे क्रासिंग से रजपुरा चौराहे तक स्वीकृत धनराशि से खड़न्जा निर्माण का कार्य

162–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1998-99, में विधायक निधि द्वारा लो० नि० वि० को एल० डी० रोड पर रेलवे क्रासिंग से रजपुरा चौराहे तक 1.5 कि०मी० खड़ंजा लगाने हेतु 3.98 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त खड़ंजे का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्ष 1998-99 में नहीं अपितु वर्ष 1999-2000 में सड़क के दोनों और 1.25 कि०मी० लम्बाई में 1.5–1.5 मी० चौड़ाई में खड़न्जा लगाने हेतु रु० 3.980 लाख अवमुक्त किया गया था ।

जी हां । परन्तु बाद में शासन द्वारा इसी मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत हो जाने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा खड़न्जा उखाड़ कर चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है । चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद पुनः लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के दोनों ओर खड़न्जा लगा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही, विकास खण्ड भदोही में ब्राह्मण बस्ती तक खड़न्जा कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

163–डा० पूर्णमासी पंकज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के वि० खं० भदोही में वर्ष 1998-99 में एस० आर० आई० अन्तर्गत बीरापट्टी मोड़ सनकडीह नलकूप से ब्राह्मण बस्ती तक 500 मी० मिट्टी कार्य व खड़ंजा निर्माण हेतु सी० एण्ड डी० एस० को 2.35 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं । अपितु रु० 2.50 लाख अवमुक्त किया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नर्सों के प्रशिक्षण हेतु साक्षात्कार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग हेतु अनुमन्य आरक्षण

164–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 जनवरी से 13 जनवरी, 2001 के मध्य नर्सों के प्रशिक्षण हेतु साक्षात्कार कितने पदों हेतु लिया गया है ? क्या उक्त साक्षात्कार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग कोटे के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया है ? क्या उक्त कोटे से चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

दिनांक 8 जनवरी, 2001 से 13 जनवरी, 2001 के मध्य कुल 453 सीटों हेतु साक्षात्कार लिया गया।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं विकलांगों हेतु दो-दो प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य है।

चयन परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

चित्रकूट जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चित्रकूट द्वारा कराये गये कार्यों की जांच

165–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चित्रकूट क्या कार्यदाई संस्था के रूप में निर्माण कार्य कराया है ? यदि हां, तो किस शासनादेश के अन्तर्गत उनसे कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

जनपद फिरोजाबाद के लाइनपार टुण्डला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की मांग

166–डा० ज्ञानवती सिंह तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टुण्डला, जनपद फिरोजाबाद में ग्रामीण अंचलों की जनता की सुविधा हेतु लाइनपार टुण्डला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं, क्योंकि लाइनपार टुण्डला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकट किराये के भवन में पहले से क्रियाशील है।

भवन निर्माण की स्वीकृति जिला योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता एवं समायोजन पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती की ग्राम सभा श्रीनगर को मुख्य मार्ग बेलास से सम्पर्क मार्ग निर्माण कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

167–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा श्रीनगर वि०ख० सिरसिया जनपद श्रावस्ती को मुख्य मार्ग बेलास से कब्रिस्तान होते हुये सीधे सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में राज्य मंत्री समाज कल्याण एवं प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-12-2000 जिलाधिकारी श्रावस्ती को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये दोषी अभियन्ता का स्थानान्तरण करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा देगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

क्षेत्रीय विवाद एवं न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण सम्पर्क मार्ग पूर्ण नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पर्क मार्ग का निर्माण क्षेत्रीय विवाद एवं न्यायालय में दायर वाद के निस्तारण के उपरान्त ही पूर्ण किया जा सकेगा ।

प्रदेश में गन्ना मिलों द्वारा बरसात व ठण्डक से किसानों व बैलों को बचाने हेतु बलरामपुर चीनी मिल द्वारा की गई व्यवस्था की जानकारी

168–श्री वसीम अहमद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रदेश में कितनी गन्ना मिलों द्वारा वर्तमान गन्ना पेराई सत्र के दौरान भीषण ठण्डक एवं शीतलहरी तथा बरसात के जानलेवा प्रभाव से गन्ना किसानों एवं उनके बैलों को सुरक्षित बचाव का प्रबन्ध किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि दि बलरामपुर शुगर मिल इकाई बभनान जनपद गोण्डा में इसका कोई भी प्रबन्ध नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये गन्ना मिल प्रशासन को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

चीनी मिलों में किसानों एवं उनके बैलों को शीत लहरी, भीषण ठंडक एवं बरसात से बचाने हेतु यार्ड की व्यवस्था का प्राविधान उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद नियमावली, 1954 के नियमों में की गयी है ।

बलरामपुर चीनी मिल इकाई, बभनान द्वारा गन्ना कृषकों एवं उनके बैलों को सुरक्षित रखने हेतु विश्रामालय/टीन के छाजन की व्यवस्था गन्ना आपूर्ति एवं खरीद नियमों में दिये गये प्राविधान के अनुसार की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

169–श्री रमेश राही–

[2 रे शुक्रवार में अता०प्र० सं० 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों में निर्मित इन्दिरा आवासों के भौतिक सत्यापन सम्बन्धी पत्र

170–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-99 जो जनपद शाहजेहांपुर के ग्राम बुंधबाना, लालपुर बाबू बुजुर्ग में निर्मित कराये गये इन्दिरा आवासों के भौतिक

सत्यापन के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं । प्रश्न में वर्णित ग्रामों में निर्मित कराये गये इन्दिरा आवासों के सत्यापन विषयक पत्र दिनांक 2-7-99 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज के कतिपय सम्पर्क मार्गों पर पुलिया निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

171–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत ब्लाक माधौगंज में कुरसथ भैजहटा मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जोकि जलिहापुर होता हुआ समुखा जाता है, वर्ष 2000 में कितनी पुलियों का निर्माण कराया गया ? पुलियों के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि पुलियों का निर्माण मानक के अनुरूप न होने के कारण निर्मित पुलिया एक माह के अन्दर ही टूट गयी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित करते हुये पुलियों का निर्माण पुनः कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जलिहापुर से समुखा सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 2000 में 2 नं० स्यूम पाइप पुलियों का निर्माण कराया गया ।

पुलियों पर मु० 46,338.0 की धनराशि व्यय की गयी ।

पुलियों का निर्माण मानक के अनुरूप कराया गया किन्तु मिट्टी भरा ट्रक फंस जाने के कारण एक पाइप का हिस्सा टूट गया । वर्तमान में क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की नगर पंचायत हरगांव के सरदार हरबंश सिंह स्मारक विद्यालय द्वारा विगत वर्षों में छात्रवृत्ति का प्रकरण

172–श्री रमेश राही–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर की नगर पंचायत हरगांव के सरदार हरबंश सिंह स्मारक विद्यालय द्वारा वर्ष 1999-2000, 2000-2001 में कक्षा एक से कक्षा पांच के छात्रों की छात्रवृत्ति में फर्जी छात्रों के नाम दिखाकर घोटाला किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं । प्रश्नगत विद्यालय की वर्ष 1999-2000, 2000-2001 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि ही नहीं दी गयी । अतः फर्जी छात्र संख्या दिखाकर घोटाला किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड नेबुआ–नौरंगिया के ग्राम आलम-मठियां में समाज कल्याण विभाग के प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण की मांग

173–श्री दीपलाल भारती–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड नेबुआ–नौरंगियां अन्तर्गत ग्राम–आलम-मठियां में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय 20 वर्ष से संचालित है किन्तु उक्त विद्यालय छत-विहीन है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 218786 दिनांक 26-12-2000 जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नगत विद्यालय निजी क्षेत्र का विद्यालय है । समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इस विद्यालय को आवर्तक अनुदान दिया जाता है । उक्त विद्यालय छत विहीन है ।

जी हां ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित विद्यालयों को भवन निर्माण हेतु कोई भी धनराशि देने की व्यवस्था न तो शिक्षा विभाग के नियमों में है और न समाज कल्याण विभाग के । उक्त स्थिति से मा० विधायक जी को जनपद स्तर से अवगत कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड बेहदर की ग्राम पंचायत खरिका के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग की जांच

174–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत खरिका, वि०ख० बेहदर, जनपद हरदोई के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना व अन्य योजनाओं में प्राप्त धन के दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-1-2001 सचिव पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

उक्त प्राप्त शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरदोई से कराई गई, जिसके अनुसार वर्ष 97-98 से 99-2000 तक ग्राम पंचायत को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत खरिका द्वारा कराये गये कार्यों में 85,559.00 रु० कमी परिलक्षित हुई, जिसके संबंध में संबंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड सिरसिया की ग्राम सभा श्रीनगर को मुख्य मार्ग से जोड़ने विषयक जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

175–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा श्रीनगर वि०ख० सिरसिया जनपद श्रावस्ती को मुख्य मार्ग बेलास से सीधे कब्रिस्तान होते हुये जोड़ने विषयक सचिव ग्राम्य विकास का पत्र दिनांक 19-2-2001 जिलाधिकारी श्रावस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र द्वारा क्या आदेश दिया गया था ? क्या उसका अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा उक्त सीधे मार्ग को यथाशीघ्र पूर्ण कराने व रुके हुए कार्य को तुरन्त प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय विवाद व न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण सम्पर्क मार्ग निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है ।

क्षेत्रीय विवाद एवं न्यायालय में दायर वाद के निस्तारण के उपरान्त ही कार्य पूर्ण कराया जा सकता है ।

जनपद मिर्जापुर के लालगंज ब्लाक के अभावग्रस्त स्थानों पर हैण्डपम्प लगाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

176–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक के अभावग्रस्त स्थानों पर जनहित में हैण्डपम्प लगाये जाने विषयक उ०प्र० जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा) के जिला अध्यक्ष श्री शशि भूषण दुबे का प्रत्यावेदन मूल रूप में प्रमुख सचिव, नगर विकास को श्री अखिलेश सिंह, विधायक की अनुशंसा पत्र सहित दिनांक 3-10-1998 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रत्यावेदन में उल्लिखित स्थानों पर हैण्डपम्प अब तक न लगाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या प्रश्नगत स्थानों पर हैण्डपम्प लगाये जाने के लिए मंत्री जी जिलाधिकारी, मिर्जापुर को निदेशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

दिये गये प्रार्थना-पत्र में बाबू उपरौध इण्टर कालेज, लालगंज में एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने की मांग की गयी है । उक्त विद्यालय के गेट के सामने एक हैण्डपम्प पूर्व से अधिष्ठापित हैं, जो सुचारु रूप से चल रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद, विकास खण्ड एका में खण्ड विकास की भूमि पर अवैध कब्जा/भवन निर्माण की जांच

177–श्री राजपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड एका में रोशन सिंह एकाउन्टेट (वर्तमान तैनाती खैरगढ़–फिरोजाबाद) ने खण्ड विकास की भूमि पर अवैध कब्जा करके भवन निर्माण कराया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटाकर उस भूमि को अपने कब्जे में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिन्होंने सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

यदि जांच में विकास खण्ड की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ, विकास खण्ड कोपरगंज व घोसी में गत वर्ष जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत ग्राम सभाओं में किये गये वृक्षारोपण के भुगतान का प्रकरण

178–श्री समर पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपरगंज एवं घोसी में माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2000 में जवाहर रोजगार योजना के धन से ग्राम सभाओं में इमारती एवं फलदार पौधों का वृक्षारोपण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या वृक्षारोपण का उपयुक्त समय माह नवम्बर एवं दिसम्बर है ? क्या यह भी सही है कि गांव सभाओं से वियरर चेक पौध आपूर्ति करने वाली फार्म को गांव सभाओं से दिलवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या असमय वृक्षारोपण कराने और गांव सभाओं से वियरर चेक आपूर्तिकर्ता फर्म को दिलवाने वाले खंण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

माह नवम्बर एवं दिसम्बर में विभिन्न प्रजाति के पौधों के रोपण में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं है। सिंचाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था होने पर वृक्षों का रोपण वर्ष पर्यन्त कभी भी करके सफल बनाया जा सकता है । जी नहीं । ग्राम सभाओं को पौध आपूर्ति करने वाली फर्म को वियरर चेक देने से संबंधित कोई निर्देश जनपद अथवा विकास खण्ड स्तर से नहीं दिया गया है, बल्कि ग्राम पंचायतों ने स्वतः इसका भुगतान किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 23-2-2001 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को आज की कार्यसूची में न लिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने दिनांक 23-2-2001 को एक अल्पसूचित प्रश्न लगाया था । मैंने पूछा था कि क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए कठोर वित्तीय अनुशासन, खर्च में कटौती के माध्यम से, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रश्न को कार्यसूची

में लिये जाने की कल मुझे सूचना मिली और जब मैं आज का एजेन्डा देख रहा हूं तो रातोंरात यह एजेन्डे से गायब है। मैं इसे क्या समझूं। प्रश्न गम्भीर नहीं था अथवा प्रश्न के प्रति सरकार गम्भीर नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया था कि जो प्रश्न पूछा गया है, वह काफी व्यापक है और प्रश्न के उत्तर हेतु काफी अल्प अवधि उपलब्ध होने के कारण प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है, यह अभी स्थगित है, जल्दी ही आ जायेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, प्रश्न पूछना हम सभी का अधिकार है और संरक्षण देना आपका दायित्व है। यदि इसी प्रकार माननीय मंत्री जी की "स्वीट विल" पर सदन चलेगा तो क्या इसका संदेश जाता है ? उनके पास समय पर्याप्त था, उत्तर देने का, मैसेज देने का।

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत शीघ्र ही आ जायेगा।

कार्यसूची में क्र०सं० 20 पर अंकित प्रश्न के उत्तर में विसंगति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या–20 पर मेरा प्रश्न लगा हुआ है, जो न्याय विभाग से संबंधित है। इसमें मैंने पूछा था कि क्या सरकार को पिछले 1 वर्ष में चिकित्सकीय लापरवाही, अवस्थापना विकास अधिनियम, रैगिंग निरोध बिल, 2000 तथा दीवारों पर अश्लील इश्तहार चिपकाने एवं कार्यालय में थूकने पर रोक लगाने के संबंध में राज्य विधि आयोग की संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रश्न का उत्तर माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया। उनका अपने विभाग से संबंधित किसी संस्तुति पर तो उत्तर हो सकता है कि शासन उस पर विचार कर रहा है लेकिन विधि मंत्रालय की तरफ से यह जवाब नहीं हो सकता कि सम्यक् परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा, मैं इस पर आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

शासन स्तर पर और शासन में सभी विभाग सम्मिलित हैं, सभी विभाग के पास यह सूचना गई होगी और अध्ययन करना प्रारम्भ हो गया होगा, माननीय मंत्री जी ने भी सभी से पता कर लिया होगा। उसी आधार पर उत्तर दिया होगा।

अल्पसूचित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न में परिवर्तित करने की आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का आश्वासन

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, मेरा एक अल्पसूचित प्रश्न था, वह अतारांकित प्रश्न संख्या–97 पर दिया हुआ है। मेरा कहना यह है कि निहित स्वार्थ वाले प्रश्न पहले लग जाते हैं और मेरा प्रश्न 97 नं० पर भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 02 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 5 सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

(नाम पुकारे जाने पर श्री अजय कुमार पोइया, श्री अफजाल अहमद, श्री समरपाल सिंह तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर सदस्यगण उपस्थित नहीं थे। केवल डा० वकार अहमद शाह सदस्य सदन में मौजूद थे, जिनकी सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद श्रावस्ती के ग्राम हुसैनपुर खुरेरी से गिलौली में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पुल का उपयोग न होने एवं खण्ड–6 में हीमवालिया माइनर की खुदाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर, जनपद श्रावस्ती में ग्राम हुसैनपुर खुरेरी से गिलौली में जो पुल सिंचाई विभाग एस०एन०टी०–6 के अन्तर्गत बना है उसका क्या औचित्य है ? मैने स्वयं अधिशासी अभियंता के साथ पिछले जून, 2000 में निरीक्षण किया था, उसके बाद भी कई रिमाण्डर देने के बाद उस पुल का कोई भी उपयोग नहीं हो सका। खण्ड–6 में हीमवालिया माईनर जो खेरा हसन से जब्दी-महुवा बुजुर्ग के पीछे से जाती है, उसको अभी तक नहीं खोदा गया है और उसका धन कागज में ही निकाल लिया गया है। विगत वर्ष उस माईनर के कारण पूरा इलाका पानी में डूब गया, मैंने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया परन्तु एक साल में भी कोई कार्य नहीं हुआ, विभाग बिल्कुल संवेदनशील है और अधिशासी अभियंता कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। विभाग द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के कारण उसमें कोई कार्य नहीं शुरू हो सका। इस वर्ष में भी आने वाली बाढ़ में पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा जनता में असुरक्षा की तीव्र भावना है।

अतः जनहित के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद महराजगंज एवं गोरखपुर के बाढ़ पीड़ितों को मानक के अनुरूप सहायता राशि न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2 मई, 2001 को नियम 300 के अन्तर्गत कल 4 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री विनोदमणि तिवारी की है।

श्री विनोदमणि–

मान्यवर, सदन नियमों, परम्पराओं से चलता है। पूर्वांचल में बाढ़ से हुई क्षति और पीड़ितें किसानों को राहत की मांग इस सदन में मैनें 20 अक्टूबर, 2000 को कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाई थी, उसके बाद 24 तारीख को पुनः इस सदन में औचित्य प्रश्न के रूप में संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था लेकिन जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा सदन में की गई घोषणाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जबकि 24-4-2001 को संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में अपने जवाब में बताया कि मैं जिलाधिकारियों से वार्ता करूंगा कि अब तक इसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ। मान्यवर, अधिकारी निरंकुश होता जा रहा है। सदन में कही गयी बातों को कोई मतलब नहीं रहा। अब तो जिलाधिकारी महराजगंज कहते हैं कि आप सदन में उठाकर इस सवाल को हल करा लो। मान्यवर, ऐसी स्थिति में सदन में कही गयी बातों का और सदन में की गई घोषणाओं का क्या औचित्य है ? मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं आपकी पीठ से निर्देश चाहूंगा, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि आप इस औचित्य के प्रश्न पर एक निर्देश जारी कर दें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की घोषणाओं और उन शासनादेशों के अनुपालन की कोई तिथि निश्चित कर दें।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 24 तारीख को मेरा भी विषय था।

श्री अध्यक्ष–

आपकी कोई सूचना नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने भी बात कही थी कि सम्पूर्ण पुनरीक्षण के बाद से.....

श्री अध्यक्ष–

यह लिखित सूचना मैंने तिवारी जी की लिया है। कोई अभिभाषण तो नहीं हो रहा है कि सभी माननीय सदस्यों को सुना जाये। आपकी सूचना नियम–300 में कैसे आती है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

बाढ़ में राहत कार्य नहीं किया गया और इन्होंने कहा था कि हम दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

सदन में की गयी घोषणाओं से क्या सदन का कार्य विनियमित होगा ? आप इसे बिना अनुमति से उठा रहे हैं। सदन नियमों और परम्पराओं से चलेगा और इसका पालन हम सब मिल करके करेंगे। नियम, परम्परा यही है कि हमने एक माननीय सदस्य को बुला लिया है और आप बिना अनुमति से बोल रहे हैं ? यह नियम–300 में कैसे आती है आप नियम–300 पढ़े।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह इस तरह से नियम–300 में आयेगी, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हो। मान्यवर, आप नियम–300 का जो (2) है उसमें है कि "औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा"। मान्यवर, सदन से सम्बन्धित कोई कार्य है, आपने इनको अनुमति दी। यह विषय उठ चुका है सदन के सम्मुख और इस पर संसदीय कार्य मंत्री की...

श्री अध्यक्ष–

मा० तिवारी जी की अलग सूचना थी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के लिए कोई सूचना की आवश्यकता नहीं होती।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की सूचना पर सारे सदन को बोलने की अनुमति नहीं है।

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 24 तारीख को विनोद मणि तिवारी जी ने एक प्रश्न उठाया था, तत्काल मैंने जानकारी की और एक पत्र लिखा, आपके कार्यालय में 25-26 को प्राप्त भी हो गया होगा कि कितना-कितना धन किस-किस मद में वितरित किया गया है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि जानकारी हो गई होगी। जानकारी के बाद प्रतिवाद करेंगे तो स्थित बता दिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

सदन में इस तरह के कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए । आपने सूचना दी है, आपने कह दिया इतनी धनराशि वितरित की गई । इस बात की सूचना आ गई । माननीय सदस्य ने कहा सदन में सूचना दी गई थी । उसके अनुरूप वितरित नहीं हुई है । मेरी दृष्टि से सूचना आती नहीं । शासन को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय, अनुपालन हुआ है ।

श्री विनोद मणि–

माननीय, जो सदन में घोषणा की गई थी उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, अगर गलत निकले तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री विनोद मणि एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है । मैं इसको निरस्त करता हूं । यह सूचना 24-4-2001 को भी प्राप्त हुई थी और उसके संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से दिनांक 25-4-2001 को स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

तेरहवीं विधान सभा के कार्यकाल को लेकर व्याप्त अनिश्चितता के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह एवं इसी पर प्रमोद कुमार की भी है । 13वीं विधान सभा के कार्यकाल को लेकर व्याप्त अनिश्चितता के संबंध में । यह मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय, यदि कोई मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है तो उस पर विचार न करें । लम्बित होने पर भी विधान सभा से संबंधित मामला है । उस पर विधान सभा में चर्चा करना तो आवश्यक है । हम किसी तरह से उच्च न्यायालय को प्रभावित करने का काम नहीं कर रहे हैं । एक चर्चा का विषय बना हुआ है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय तथा पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आपकी तरफ से एक बात आयी नियम–300 तो नियम–300 (2) में तभी उठाया जा सकेगा जब 300 (2) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें अनेक विभाग हैं । नियम–300 का (1) देखें जिसके अनुसार औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इन नियमों के विचारों से, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है बाकी तो आपका अधिकार है कि नियम–300 में आता है या नहीं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 13वीं विधान सभा के बारे में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है और उसका कारण है कि जब चुनाव हुआ था 1996. सितम्बर या अक्टूबर में मान्यवर, उसके बाद से 5 महीने तक विधान सभा की कोई बैठक नहीं हो पायी और बैठक न होने के कारण था राष्ट्रपति शासन । उस समय विधान सभा की बैठक नहीं हो पायी । संविधान के अनुच्छेद–172 में स्पष्ट दिया हुआ है कि नियत तिथि से 5 वर्ष के अन्दर जब बैठक पहली बार होगी तब से वह तिथि ली जायेगी । उसके अनुसार 26 मार्च, 2002 में विधान सभा के चुनाव होने चाहिए । लेकिन कुछ लोगों को शंका है कि संविधान में जहां अनुच्छेद–172 में स्पष्ट निर्देश है कि निर्धारित तिथि से 5 साल का कार्यकाल जोड़ा जायेगा । लोगों में एक भ्रांति पैदा हो रही है और भ्रान्ति यह है कि लोगों ने विधान सभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद तनख्वाह भी लिया और राज्यसभा एवं विधान परिषद् के चुनाव में वोट भी दिया । माननीय सदस्यों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है लेकिन इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है कि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है तो क्या वह 5 साल का कार्यकाल निर्वाचित होने के दिन से माना जायेगा या जब से तनख्वाह लिया है या कर्तव्यों का निर्वहन किया है तब से तिथि मानी जायेगी । पूरे कार्यपालिका में और यहां बैठे हुये माननीय सदस्यों में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है । भले ही मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, अपने हिसाब से उसका जजमेन्ट आयेगा । लेकिन आज जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके श्रीमुख से इस पर व्यवस्था आनी चाहिए । यही मेरा आपसे अनुरोध है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भलीभांति परिचित हैं और पूरा सदन इस बात से अवगत है कि गत विधान सभा का चुनाव अक्टूबर माह में सम्पन्न हुआ था और 17 अक्टूबर, 1996 को उत्तर प्रदेश की तेरहवीं विधान सभा का गठन हुआ । गठन के बाद विधान सभा की कार्यावधि माना जाये तो मान्यवर, 16 अक्टूबर, 2001 को विधान सभा का कार्यकाल समाप्त होता है लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद–172 में जो व्यवस्था दी गयी है कि राज्यों के विधान मण्डल की अवधि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा यदि पहले से विघटित नहीं कर दी जाती है तो, प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा ।

अनुच्छेद–172 में स्पष्ट व्यवस्था है कि विधान सभा के गठन से नहीं, विधान सभा के पहले अधिवेशन से इसका कार्यकाल 5 वर्ष माना जायेगा । पूरे प्रदेश में संवैधानिक बहस जैसी चल रही है। जहां पर पूरे प्रदेश के जनमानस को चिन्ता है कि विधान सभा का कार्यकाल 16 अक्टूबर, 2001 को समाप्त होगा अथवा जब पहला अधिवेशन हुआ है यानी 27 मार्च, 1997 को इससे विधान सभा का कार्यकाल 26 मार्च, 2002 को समाप्त हो रहा है । लोगों में भ्रम की स्थिति है कि यह विधान सभा अक्टूबर में विघटित होने वाली है या मार्च, 2002 में विघटित होने वाली है । 17 अक्टूबर को विधान सभा का गठन होने के बाद 17 अक्टूबर, 1996 से माननीय सदस्य वेतन का आहरण कर रहे हैं और दूसरी सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं । राज्य सभा के चुनाव हुये, उसमें माननीय सदस्यों ने मतदान किया । लेकिन यह अलग स्थिति बन जाती है । संविधान में जो व्यवस्था है कार्यकाल किसी व्यक्ति या विधायक का नहीं होता है, कार्यकाल विधान सभा का होता है और संविधान में जो व्यवस्था की गयी है वह

विधान सभा की पहली बैठक से होगा, भले ही, माननीय विधायकों ने वेतन या अन्य सुविधायें प्राप्त की हों । कार्यकाल पहली बैठक के दिन से ही माना जायेगा । विधान सभा के कार्यकाल को लेकर एक संवैधानिक प्रश्न उठा है । इस अनिश्चितता के कारण पूरे प्रदेश की कार्यपालिका पंगु होती जा रही है, जहां कहीं जाइये लोग यही पूछते हैं कि विधान सभा कब भंग होने वाली है ? कब तक चलेगी ? पूरे प्रशासन में शिथिलता आ रही है । कुछ लोगों का कहना है कि अक्टूबर में चुनाव होंगें । मान्यवर, दो-तीन माह पहले ही चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है, विधान सभा में विधान सभा कि अवधि के 1 वर्ष पहले ही निष्प्रभावी बनाने की साजिस चल रही है । यह प्रश्न विधान सभा के अपने जीवनकाल से जुड़ा हुआ है, सदन के 404 सदस्यों की कार्यावधि से जुड़ा हुआ प्रश्न है । संविधान के अनुच्छेद 172 में विधान सभा का कार्यकाल निर्धारित है । इसमें कहीं कोई डिस्क्रीशन के इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं है । पहले उपवेशन के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि होगी ।

श्री अध्यक्ष–

क्या इस विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से की गई व्यवस्था कि विधान सभा कब विघटित होगी या विधान सभा का कार्यकाल कब तक रहेगा, केन्द्र सरकार के ऊपर बाध्यकारी होगी ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, बाध्यकारी नहीं होगा लेकिन यह सदन अपने कार्यों के बारे में स्वयं मास्टर है, आप जैसे गरिमामयी अध्यक्ष मिले हैं, जो कानून विद् हैं और संविधान के ज्ञाता हैं उनके साथ बैठ कर, यदि विधान सभा किसी निर्णय पर पहुंचती है भले ही वह भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय पर बाध्यकारी न हो लेकिन वह एक दिशानिर्देशक के रूप में कार्य करेगा और उससे विधान सभा की गरिमा बढ़ेगी और उससे हम सबका सम्मान बढ़ेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप एक सुविचारित व्यवस्था दें । ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि विधान सभा अपने आब्जरवेशन नहीं कर सकती या अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था नहीं दी जा सकती । यह सदन अपने विजनेस का स्वयं मास्टर होता है और अपने बारे में स्वयं नियम और कानून बनाता है । अतः मैं मान्यवर, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस संबंध में आप अपनी स्पष्ट व्यवस्था देने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, चूंकि पहले ही यह प्रश्न आ गया है कि जब तक यह मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है, इस पर चर्चा करना चाहिए या नहीं, पहले इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं उसके बाद औचित्य के प्रश्न पर बोलना चाहूंगा । मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद–194 (2) देखने की कृपा करें, जिसमें हमारे अधिकारों को भारत के संविधान ने स्पष्ट किया है और उसमें कहीं विधायिका और न्याय पालिका, में टकराव नहीं है । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद–194 (2) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि–

"राज्य के विधान-मण्डल में या उसकी किसी समिति में विधान मण्डल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिये गये किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और कोई व्यक्ति, ऐसे विधान-मण्डल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार छापी नहीं होगी" ।

मान्यवर, यह संरक्षण हमें मिला हुआ है कि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, सदन चर्चा कर सकता है और सदन की कोई समिति इस पर विचार कर सकती है । इस चर्चा से न तो हम न्यायालय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

को प्रभावित करते हैं, नं अवमानना की श्रेणी में आते हैं, हम और आप अपने विचारों को रख सकते हैं। मान्यवर, संविधान द्वारा यह अधिकार हमें ग्रांट किया गया है और इस पर विचार करना अनुपयुक्त नहीं होगा। मान्यवर, यह मेरे संज्ञान में है कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 2002 तक कार्यकाल रहेगा। उन्होंने जो पत्र लिखा है वह मेरी जानकारी में है और मैं सूचित कर रहा हूं परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव अक्टूबर की बजाय मार्च में हों। मेरा विचार है कि अक्टूबर, 2001 तक यह अवधि होनी चाहिये। निर्वाचन आयोग ने जो कहा है मेरे विचार से वह उचित नहीं है। चुनाव 5 वर्ष में होना चाहिये। आपकी पीठ से समय-समय पर कहा गया है कि यह सदन नियमावली से और भारत के संविधान में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार चलेगा और परंपराओं से चलेगा। परंपरायें हम लोग डालते हैं और उनका अनुपालन किया जाता है। परम्परायें यह कहती हैं कि हम 5 वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद जनता के बीच में जाकर हमें जनादेश प्राप्त करना चाहिये। क्या मार्च में चुनाव होने से हम जनता के साथ विश्वासघात नहीं करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में या संविधान में वह कौन सी धारा या अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष होता है या विधायक 5 वर्ष के लिये चुना जाता है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अनुच्छेद 172 में 5 वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान की मंशा क्या है, मैं उस पर आ रहा हूं। मान्यवर, नैतिकता, परंपराओं के आधार पर संविधान के मर्मज्ञ लोगों ने क्या यह सोचा था कि विधायक एक ओर वेतन लेंगे, राज्य सभा के लिये मताधिकार का प्रयोग करेंगे, विधान परिषद् के सदस्यों के चयन में मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अनैतिकता के आधार पर अपना कार्यकाल 5 साल से साढ़े 5 साल तक कर लेंगें ? क्या संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा होगा ?

श्री अध्यक्ष–

आप मुझे यह बता दें कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है और जो विज्ञप्ति होती है उसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि संविधान की अमुक-अमुक धारायें निलंबित रहेंगी। जो राज्य सभा और विधान परिषद् के लिये निर्वाचन होता है क्या उन अनुच्छेदों को राष्ट्रपति महोदय ने अपनी विज्ञप्ति में निलंबित किया था अगर नहीं किया था तो जो निर्वाचित विधान सभा के सदस्य हैं, वह विधान परिषद् और राज्य सभा के चुनाव में भाग ले सकते थे। अगर निलंबित कर दिया था तो निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराकर गलती की। नोटीफिकेशन में देखें जिसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। जहां मेरे मस्तिष्क में भ्रम होगा वहां मैं आपसे स्पष्ट कराना चाहूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप जो निर्देश देंगें यथा संभव मैं उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। अगर कमी होगी तो आपसे सहयोग लूंगा। मान्यवर, आपने जो कहा मैं उसका उत्तर दूंगा लेकिन उसके पहले कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जो मरे उत्तर देने में सहायक सिद्ध होंगे। तो मुझे अनुमति दें कि मैं कुछ तर्क, तथ्य और विधि सम्मत राय रख सकूं। मान्यवर, मैंने एक प्रश्न उठाया है कि 1996 में हम विधान सभा के लिये निर्वाचित हुये। चुनाव होने के बाद क्या प्रक्रिया हुयी, ऐसा नहीं हुआ कि विधान सभा गठित नहीं हुई। जब हम चुनकर आ गये तो विधिवत् महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधान सभा का गठन कर दिया। विधान सभा गठित हो गयी, अभिभाषण हुआ या नहीं हुआ वह बात नहीं आती है। मेरा

कहना है कि विधान सभा इक्जिसटेंस में आ गयी चाहे वह एक दिन के लिये आयी, एक सेकेंड के लिये आयी या एक सेकेंड के 100वें हिस्से के लिये आयी। जिस समय राज्यपाल ने विधान सभा गठित कर दी उसी समय विधान सभा अस्तित्व में आ गयी और जब अस्तित्व में आ गयी और यदि विधान सभा आहूत नहीं हो पायी यह विपरीत परिस्थिति हुई लेकिन इस सच्चाई से आप कैसे इन्कार कर सकेंगे कि जिस समय महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधान सभा गठित कर दी वह क्षणांस भले ही हो उस समय 13वीं विधान सभा का सृजन हुआ।

श्री अध्यक्ष–

संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद–172 में बजाय इसके कि प्रत्येक विधान सभा अपने प्रथम सत्र की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी उन्होंने यह क्यों नहीं कर दिया कि विधान सभा के गठन से उसका कार्यकाल पांच वर्ष होगा। संविधान निर्माताओं ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसका अर्थ वह भली भांति जानते थे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप योग्यतम अधिवक्ता हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं शंकाओं को आपके सामने रख रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप खुद इस बात से सहमत होंगे कि कई जगह संविधान साइलेंट है इसीलिए ऐसी जगह व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका है, अगर संविधान में सब चीजें पूरी तरह से स्पष्ट कर दी जाती तो न्यायपालिका की क्या जरूरत होगी, तथा हमको, आपको अधिवक्ता बनने की क्या जरूरत होती। जहां पर संविधान साइलेंट है वहां परिस्थितियों के आधार पर उसको पढ़ना पड़ता है। मान्यवर, अधिसूचना जारी होने के उस क्षण से विधान सभा का अस्तित्व आ गया। एक बच्चा पैदा हो गया।

श्री अध्यक्ष–

अस्तित्व की बात हो गई कार्यकाल की बात है।

श्री हुकुम सिंह–

वकील बनने की क्या जरूरत थी यह सवाल हो गया पेट के सवाल की क्या जरूरत थी।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वकील बनना व्यवसाय होता है पर मंत्री बनना व्यवसाय नहीं हुआ करता। [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

[× × ×]

श्री प्रमोद कुमार–

जब वकालत नहीं चलती है तो लोग राजनीति में आ जाते हैं। मान्यवर, अनुच्छेद 173 देखने के पूर्व 179 भी देख लें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। इसका अन्तिम वैसाक्ष है

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

"परन्तु यह और कि जब कभी विधान सभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात् होने वाले विधान सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा।"

श्री अध्यक्ष–

179 की प्रथम पंक्ति पढ़ दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार–

विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य/यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कब होगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

इसके पूर्व तक जब तक अध्यक्ष नहीं आ जायगा।

श्री अध्यक्ष–

जब तक अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होगा, तब तक विधान सभा कार्य नहीं करेगी।

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां मान्यवर, अब कृपापूर्वक 171 का संज्ञान लेने की कृपा करें। 171 के 3 (घ) को देखें। मेरे सम्पूर्ण आर्गूमेन्ट का यही सार है। यहां पर विधान परिषद् की संरचना पर उसके मतदाता कौन होंगे, यह सुनिश्चित किया गया है। "यथाशक्य एक तिहाई भाग राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगी जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं" तो मान्यवर, कौन निर्वाचित करेगा ? विधान सभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं। अब जरा राज्य सभा की संरचना में 80 का "4" देखें "राज्य सभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।" विधान सभा के सदस्यों और विधान परिषद् के सदस्यों का अधिकार प्रस्तुत किया। मेरा आशय उनको मत कौन देगा ? मत देगा विधान सभा का सदस्य। अब प्रश्न यह उठता है कि विधान सभा अगर गठित नहीं होगी, विधान सभा जीवित नहीं होगी, विधान सभा अस्तित्व में नहीं आयेगी, तो राज्य सभा का सदस्य चुनने का अधिकार नहीं होगा। अगर विधान सभा के सदस्य नहीं हैं तो हमें विधान परिषद् का सदस्य चुनने का अधिकार नहीं है। जिस क्षण विधान परिषद् के सदस्य चुनने के लिए विधान सभा के सदस्यों के रूप में मान्यवर, अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो किस मताधिकार का प्रयोग किया। विधान सभा के सदस्य के रूप में।

श्री अध्यक्ष–

यह अनुच्छेद 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति शासन लगने के बाद निलम्बित कर दिया गया था कि नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार–

इसी पर तो मैं आपका विनिश्चय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह विज्ञप्ति मेरे सामने आ गयी है। मान लीजिए अनुच्छेद 171 और 80 निलम्बित नहीं किये गये तो क्या आप निर्वाचन में भाग ले सकते थे ? राज्य सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भाग ले सकते थे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने आपके समक्ष 80 और 171 रख दिया। हमने विधान सभा के सदस्य के रूप में मताधिकार का प्रयोग किया तो इसका मतलब विधान सभा अस्तित्व में थी ?

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए एनिमेटेड सस्पेंशन का प्रयोग किया गया है। यानि कुछ कार्य कर सकेंगे और कुछ कार्य नहीं कर सकेंगे। विधान सभा की बैठक आहूत न हो सकी लेकिन शेष कार्य जो संविधान के द्वारा अनुमन्य हैं, वे करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मान लीजिये यदि किसी को तीन वर्ष का कारावास का दण्ड सुना दिया जाय। जब तक वह बेल पर रहेगा एक्जीक्यूशन आफ दि सेन्टेन्सेस सस्पेंडेड रहेंगे। इसको कदाचित यह नहीं सोचना चाहिए कि उस सजा से वह मुक्त हो गया। जो सजा सुनाई गई है वह बेल के समय में जो एक्जीक्यूशन आफ दि सेन्टेन्स है, वह रुका रहता है। मैं यहां पर यही कह रहा हूं कि जिस समय कुछ अधिकार सस्पेंड किये गये उस समय विधान सभा अस्तित्व में थी। अस्तित्व में थी, तब ही तो किये गये। जहां 172 साइलेंट है परिभाषित नहीं है वहीं 80 और 171 की तरफ देखना चाहिए। 80 और 171 से जो अधिकार लिये हैं वह विधान सभा के सदस्य के रूप में लिये गये और यह अधिकार एक जीवित विधान सभा का है। हम यह नहीं कह सकते कि पांच वर्ष के कार्यकाल को मानने के लिए कुछ चीजें सस्पेंड कर दीं और कुछ चीजें कन्टीन्यू करते हुए किसी अधिकार का प्रयोग कर लिया। जिस क्षण वेतन ले लिया, भत्ते ले लिये एक विधान सभा के सदस्य के रूप में, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया विधान परिषद् या राज्य सभा के चुनाव में। हमने विधान सभा के सदस्य के रूप में जो अधिकार प्रदत्त हैं उनका उपयोग कर लिया इसका मतलब उस समय विधान सभा अस्तित्व में थी।

श्री अध्यक्ष–

इसमें विवाद नहीं है कि विधान सभा अस्तित्व में नहीं थी या गठित नहीं थी। विधान सभा गठित कैसे होती है ? निर्वाचन आयोग जैसे ही विज्ञप्ति देते हैं। धारा–73 के अन्तर्गत जैसे ही आफिशियल गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाती है। आपको क्या-क्या अधिकार हैं इसका राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन में उल्लेख है कि अमुक-अमुक अधिकार बन्द रहेंगे, अमुक-अमुक का आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जैसे निर्वाचन करने का अधिकार आपको मिल गया है उनको निर्वाचित नहीं किया गया। उनका प्रयोग विधान सभा का गठन होने के बाद किया। बैठक नहीं कर सकते क्योंकि इसको राष्ट्रपति के अनुसार निलम्बित कर दिया गया था।

श्री प्रमोद कुमार–

172 जिन बिन्दुओं पर साइलेंट है।

श्री अध्यक्ष–

कहां साइलेंट है ? पढ़ लीजिये।

श्री प्रमोद कुमार–

हमको कहीं न कहीं यह मानना पड़ेगा कि जब विधान सभा का गठन हो गया तो पहले अरलीएस्ट क्षण में हम विधान सभा को कॉल करेंगे। हमको यह मानकर चलना पड़ेगा कि.....

श्री अध्यक्ष–

यह अवधारणा कैसे मान लेंगे ? विधान सभा का उपवेशन कैसे होता है ? महामहिम राज्यपाल मंत्रि-परिषद् की संस्तुति पर सदन को आहूत करेंगे। जिस क्षण या क्षणांश का उल्लेख किया गया कि उस समय विधान सभा गठित हो गई, तो उस समय तो कोई भी मंत्री शपथ नहीं लेता।

श्री प्रमोद कुमार–

यह तो पूरी एनामोली हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

समय का अन्तराल इसमें निहित है इसलिए अनुच्छेद 172 में दूसरी भाषा का प्रयोग किया गया और सेक्शन 73 रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल एक्ट में अलग भाषा का प्रयोग करना पड़ा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कृपापूर्वक परिभाषित कर लेने दें । विधान सभा जब गठित हो गई उस क्षणांश से विधान सभा अस्तित्व में आ गयी । कुछ अधिकार सम्पेड कर दिये कुछ....

श्री अध्यक्ष–

आइये अब समाप्त करिये । आगे बजट पर साधारण चर्चा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 172 और 80 को देखें कृपापूर्वक आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा । जिस क्षण विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ हो गया उसी दिन से मानना पड़ेगा श्रीमन्, हमारा कार्यकाल पांच साल का है और विधान सभा का साढ़े पांच साल का ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए पूछा गया विधान सभा के सदस्य जिस निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं या उसका कार्यकाल विधान सभा के साथ-साथ चलता है ? विधान सभा का गठन पांच वर्ष के लिए होता है, फिर तो उपचुनाव में निर्वाचित होकर जो माननीय सदस्य आते हैं वह कहें कि उपचुनाव की तिथि से कार्यकाल पांच वर्ष का जोड़ा जाए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा विधान सभा के सदस्य पांच वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं यह कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो रहा है । हमने वेतन भत्ते लिये हैं, हमने वोटिंग की है राज्य सभा और विधान परिषद् में, हमें एक परम्परा का पालन करना पड़ेगा। हम पांच वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, संविधान के साइलेंट नियमों का सहारा लेकर साढ़े पांच साल करें, यह सही नहीं है, यह अनैतिक होगा । इस विधान सभा को अक्टूबर, 2001 में विघटित किया जाना चाहिए । मैं मुख्य मंत्री जी के इस कथन से सहमत हूं कि मार्च हो सकता है लेकिन विपक्ष चाहे तो अक्टूबर में चुनाव करा लेंगे । हम चाहते हैं परम्परा का पालन हो । संविधान के नियमों का पालन हो, उसके अनुसार अक्टूबर, 2001 में चुनाव कराये जाएं ।

श्री हुकुम सिंह–

इस प्रदेश में एक बहुत सुदृढ़ व्यवस्था बनी है हर मुद्दे के ऊपर हर विषय के ऊपर, कार्यकाल विधान सभा का हो चाहे लोकसभा का हो, यह कौन तय करता है ? लोक सभा और विधान सभा कार्यकाल तय नहीं कर सकती है । स्पेसिफिक प्राविजन संविधान में है इसका हवाला कई बार दिया जा चुका है ।

श्री लालजी वर्मा–

लोक सभा संविधान को बदल सकती है । हर संविधान को बदलने की व्यवस्था दी गई है ।

श्री हुकुम सिंह–

लोक सभा भी अकेले नहीं बदल सकती है ।

मैं अनुच्छेद 172 पढ़ना चाहूंगा– ''इयूरेशन आफ स्टेट लेजिस्लेचर'' हिन्दी में है राज्यों के विधान मण्डलों की अवधि, आगे है–

एवरी लेजिस्लेटिव असेम्बली आफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिजोल्ब्ड शैल कान्टीन्यू फार फाइव ईयर्स फ्राम दी डेट अपाइन्टेड फार इट्स फर्स्ट मीटिंग एण्ड नो लांगर एण्ड दी इक्सपाइरेशन आफ द सैड पीरियड आफ फाइव ईयर्स शैल आपरेट एज ए डिसोल्यूशन आफ द एसेम्बली;

इसको हिन्दी में परिभाषित किया गया है–''प्रत्येक राज्य की विधान सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा, अधिवेशन का अर्थ अधिवेशन ही है, दूसरा नहीं है। अधिवेशन को बुलाने का प्रोसीजर अनुच्छेद 174 में दिया गया है, कहीं बैठ जाने को, कहीं इकट्ठा होने को या राज्य सभा में मतदान करने के लिए, पे एलाउन्स के लिए अधिवेशन नहीं कहा गया है। अधिवेशन एक विशिष्ट व्यवस्था है।'' राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। ''अधिवेशन तब होगा जब राज्यपाल आहूत करे''। बिना राज्यपाल के आहूत के अधिवेशन नहीं होगा। पांच साल के कार्यकाल का अधिवेशन है। तो क्या प्रमोद कुमार और डा० अशोक बाजपेयी जी का यह कहना कि राज्य सभा में मतदान किया इसलिए इसको 174 के अधीन अधिवेशन मान ले, यह उचित है ? अधिवेशन बुलाने का एक तरीका है, एक जगह है, किसी स्थान पर बुलाया जायेगा। क्या कोई मीटिंग इस परिसर में हुई और परिसर में मीटिंग होने का तरीका है। उसमें हमको पता है कि हमें क्या-क्या करना है। यह अलग बात है कि एकडमिक डिस्कसन था वह हो गया। लेकिन नियमों में यह प्राविधान है कि जो सबजूडिस मामला है उस पर विचार नहीं होना चाहिए। दूसरा संविधान सभा है, चुनाव आयोग है यह एक संस्था है और उसके ऊपर न्यायपालिका है जिसमें यह प्रकरण लम्बित है। डा० अशोक बाजपेयी जी चिन्तित थे कि अव्यवस्था हो जायेगी, भ्रम की स्थिति पैदा हो जायेगा और यह चर्चा का विषय बन गया है। अगर यह चर्चा का विषय है तो पब्लिक को डिबेट करने दें। जब आप चर्चा कर सकते हैं, तो पब्लिक को भी करने दे। मान्यवर, यह मामला हाईकोर्ट में लम्बित है। माननीय प्रमोद कुमार जी बहस करेंगे, पता नहीं किसके पक्ष में करेंगे। दूसरी बात आप यह कहते हैं कि चुनाव अक्टूबर में कराना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष–

यह कहते हैं कि पांच साल अक्टूबर में पूरा हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह संविधान में दिया हुआ है। उच्च न्यायालय इसको तय करेगा। अगर यह इतना ही चिन्तित हैं, तो इसके लिए प्राविधान है। आप मुक्त होना चाहते हैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि, इसके लिए व्यवस्था है अलग से। नियमों में प्राविधान है, क्या करना है ? अगर नहीं आता है, तो पढ़ कर सुना देता हूं। सबसे पहले नियमों में प्राविधान है एक प्रोफार्मा है उसको भरकर साइन करके दे दीजिये और मुक्त हो जाइये। मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिए इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर,मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूं बल्कि मैं तो इन्हें मुक्त कराना चाहता हूं। इनका भी प्राविधान दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कई बार इन्होंने कोशिश कर ली और आपके मित्र भी कोशिश कर चुके हैं और वह चले गये। माननीय पाल साहब का यह शिकार कर चुके हैं। मुक्त तो आप नहीं कर सकते। जनमत के आधार पर बैठे हैं, बैठे रहिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हमारा इरादा कतई ये नहीं है कि विपक्ष अपना त्याग-पत्र दे दे, चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी में गरिमा और नैतिकता हो, उन्होंने चुनौती दी है कि विपक्ष कहेगा तो हम चुनाव अक्टूबर में करायेंगे, मैं उनको उस चुनौती की याद दिलाना हूं कि विपक्ष अक्टूबर में चुनाव चाहता है अगर साहस है तो अक्टूबर में चुनाव करायें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह जी और प्रमोद कुमार जी को इस सूचना के समर्थन में और संसदीय कार्य मंत्री जी को शासन की ओर से सुनने के पश्चात्, मैं समझता हूं कि चूंकि यह प्रकरण न्यायालय में लम्बित है इसलिए इस पर कोई व्यवस्था देना इस समय उचित नहीं प्रतीत होता है। यह एक बौद्धिक प्रश्न है अच्छा है और माननीय कुंवर साहब से और अन्य माननीय सदस्यों ने विद्वतापूर्वक अपने विचार रखे हैं उस विषय पर संविधान एवं नियमों के बारे में निर्वचन के बारे में मैं समझता हूं कि प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने के कारण इस प्रश्न को अग्राह्य ही किया जाना उचित होगा इसलिए मैं इस प्रकरण को अग्राह्य करता हूं।

नेता विरोधी दल की अनुपस्थिति के कारण बजट पर साधारण चर्चा प्रारम्भ न हो पाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की अगली सूचना है। यह कहां नियमों में आती है ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, नियमावली के नियम–187 में बजट पर सामान्य चर्चा के लिए 5 दिन का समय निर्धारित है। यह सामान्य परम्परा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस चर्चा का शुभारम्भ किया जाता है। कल इस सदन में चर्चा की मद आयी, माननीय नेता विरोधी दल अनुपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने सूचित कर दिया था कि एक अति आवश्यक कार्य से उनको बाहर जाना है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अपनी जगह किसी को नामित कर देते। परिणाम यह हुआ कि यह मद स्थगित हुई और एक दिन का समय निकल गया। आप देखें कि विपक्ष इतना गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष–

प्रक्रिया नियमावली में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का प्रारम्भ माननीय नेता विरोधी दल करेंगे। चर्चा का प्रारम्भ विपक्ष के विधायक माननीय श्री राम विशुन आजाद द्वारा कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि कोई औचित्य का प्रश्न इसमें निहित नहीं है इसलिए इस प्रश्न को निरस्त करता हूं।

दिनांक 10 अप्रैल, 2000 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०–2 के अनुपूरक उत्तर के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

मा० दिनांक 10 अप्रैल, 2000 को.....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(संलग्न शोधन वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

। श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित/तारांकित प्रश्न संख्या–2 नत्थी (क) के संबंध में श्री अधिष्ठाता, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मंत्री जी आप यह स्पष्ट कर दीजिये कि जो प्रति शैय्या मानक बताया है । डा० डंग साहब का स्पष्ट प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओ० पी० डी० ही ज्यादा करते हैं, उसके लिए अलग मानक निर्धारित हैं । आपने बताया कि आउटडोर में जो दवायें दी जाती हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है ?"

(i) उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "उसकी व्यवस्था अलग है, वह इसमें नहीं आता ।"

(ii) उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है :–

"उसकी व्यवस्था सम्मिलित है । वह इसमें आता है ।"

2—(i) श्री रघुबर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक में पूछा था "मान्यवर, घूरा सदन यह जानना चाहता है कि एक मरीज पर आउटडोर पर क्या व्यय आता है ?"

(ii) उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "इसमें पहले भी सदन को एक प्रश्न के संदर्भ में बता चुका हूं कि प्रति मरीज के हिसाब से 14 रुपये 28 पैसे पड़ता है ।"

(iii) उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है :– "औषधि मद में प्रति मरीज के हिसाब से वार्षिक व्यय 14 रुपये 88 पैसे पड़ता है ।"

3—(i) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "प्रति मरीज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या अन्तर है ? कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है ?"

(ii) उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि–14.80

(iii) उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है–14.88

4—मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रतियां संलग्न हैं ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 हेतु निर्धारित श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में रोगियों के लिए दवाओं का कोई मानक निर्धारित है ?	जी हां औषधियों की मास्टर सूची में स्थित प्रा० स्वा० केन्द्र तथा सा० स्वा० केन्द्रों के लिए क्रमशः श्रेणी क एवं ख वर्गीकृत की गयी है, और नगरीय क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों के लिए श्रेणी "ग" वर्गीकृत है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

यदि हां, तो क्या ?

सामान्यतः जिन रोगों का उपचार प्रा० स्वा० केन्द्र पर किया जाना अपेक्षित है, उन श्रेणी "क" एवं "ख" वर्गीकृत है एवं जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय जो संदर्भन चिकित्सालयों के रूप में भी कार्य करते हैं, में प्रयोग की जाने वाली औषधियों को श्रेणी "ग" में वर्गीकृत किया गया है।

क्या यह सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उक्त मानकों में अत्यधिक विषमता है ?

जी नहीं।

यदि हां, तो क्यों ?

प्रश्न नहीं उठता।

क्या सरकार इस विषमता को कम करने पर विचार करेगी ?

प्रश्न नहीं उठता।

यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न नहीं उठता।]

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2--5-2001 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री विनोद मणि की है, दूसरी श्री लालजी वर्मा तथा श्री राम अचल राजभर की है, तीसरी श्री उदयराज यादव की, चौथी श्री दद्दू प्रसाद की है, पांचवीं श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह की है, छठी श्री जगदम्बिका पाल की है, सातवीं श्री प्रमोद कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेयी और श्री अखिलेश सिंह की है, आठवीं श्री राम कुमार एडवोकेट की है, नवीं श्री कौकब हमीद, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री प्रदीप कुमार और श्री आर्य राम शरन की है तथा दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की है।

अनुरोध है कि 2-2, 3-3 मिनट में अपनी-अपनी बात कह देंगे, तो दो सवा दो बजे तक इसको समाप्त करके साधारण चर्चा बजट प्रारम्भ हो जायेगी।

श्री विनोद मणि–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद महराजगंज नेपाल से सटा होने के कारण नेपाल की आतंकवादी गतिविधियों का खतरा वहां बना रहता है ऐसे जनपद में जहां पुलिस को चुस्त व अनुशासन में रहने की जरूरत है ठीक इसके विपरीत मुख्य मंत्री सचिवालय में बैठे हुए सर्वशक्तिमान अधिकारी के नाजायज राजनीतिक दबाव के कारण मेरे जनपद में पुलिस का अनुशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। घटना के संबंध में मैं बताना चाहता हूं 18-4-2001 को एस० ओ० कोठी पार जो बैलों की तस्करी कराने में लिप्त रहा करते थे पत्रकारों के फर्जी उत्पीड़न के मुकदमें कायम करने में उनकी मंशा रहती थी। वर्तमान में एस० पी० महराजगंज ने उन एस० ओ० को पुलिस लाइन में स्थानान्तरण कर दिया। मान्यवर, उसके बगल का थाना निचलौल जहां का थानाध्यक्ष तीसरी बार मंत्री की कृपा से वहां पर तैनात है, पूरा सदन जानता है कि थानेदार अवकाश लेने के लिए एस० पी० के यहां जाते हैं लेकिन मेरे जनपद के निचलौल थाने के एस० ओ० ने एस० पी० से अवकाश लेने की जरूरत नहीं समझी और सम्बन्धित मंत्री से अवकाश लेकर चले गये इस मामले में एस० पी० ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया मान्यवर, थानाध्यक्षों का स्थानान्तरण एस० पी० के स्तर से होता है लेकिन हमारे जनपद के दो थानेदारों का स्थानान्तरण रुकवाने के लिए माननीय मंत्री जी के सहयोग से मुख्य मंत्री सचिवालय में बैठे हुए एक

वरिष्ठ अधिकारी ने दूरभाष पर यह आदेश जारी किया डी० आई० जी० गोरखपुर को कि दो घंटे में उन्हें इन्हीं थानों पर तैनात करके सूचित करें । यह आदेश जारी होता है उस समय जब महाराजगंज एस० पी० अवकाश पर थे । उसका फैसला सी० ओ० स्तर के अधिकारी से स्थगित करा दिया । मान्यवर, एस० पी० के 18-1-2001 के आदेश को स्थगित करा दिया गया । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की बार-बार घोषणाएं आ रही हैं कि ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा भ्रष्ट और कर्तव्यनिष्ट अधिकारी जो नहीं होंगे उनको दंड दिया जायेगा । मुझे दुख है कि माननीय, मुख्यमंत्री जी की इस नीति को उनके मंत्रि-मंडल में बैठे हुए सहयोगी और उनके मुख्य मंत्री सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी ही इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां नेपाल की आतंकवादी गतिविधियों का खतरा बना रहता है अभी गोरखपुर में नेपाल के माओवादियों से एक मीटिंग किया और मीटिंग करके सकुशल वापस चले गये गोरखपुर की पुलिस को जानकारी नहीं हुई, अखबारों में मामला आया । मान्यवर, हम ऐसे संवेदनशील जनपदों में जहां ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है वहां के संबंधित जनपद के मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके द्वारा एस० पी० महराजगंज कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार हैं लेकिन उनको हतोत्साहित किया गया और उनके आदेश को सी० ओ० से स्थगित कराया गया । मान्यवर, यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का है। इसलिए है क्योंकि मैं उस जनपद में रहता हूं जहां तस्करी आतंकवादी घटनायें आये दिन प्रकाश में आती हैं.। मान्यवर, इन जनपदों की सुरक्षा में लगाये गये तमाम पुलिस के अधिकारियों को माननीय मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त हो गया है । मेरे जनपद महाराजगंज की हालत बद से बदतर है, वहां कोई एस० पी०, डी० आई० जी० से अवकाश नहीं लेता । माननीय मंत्री जी की जेब भरने वाले थानेदार माननीय मंत्री जी से अवकाश लेकर बाहर चले जाते हैं, इतनी बदतर हालत किसी जनपद की नहीं है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका परिणाम बुरा होगा, यदि पुलिस विभाग में अनुशासन खत्म हो जायेगा तो निश्चित रूप से इससे लॉ एण्ड आर्डर प्रभावित होगा । यह विषय लोक महत्व का इसलिये है क्योंकि हमारे जनपद के माननीय मंत्री जी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये, अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिये, पिछले 3 महीने से थानेदारों की नियुक्ति का कुचक्र चला रहे हैं । वहां आज ईमानदार अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश आतंकवाद, तस्करी के अपराधों से पीड़ित है, अतः यह व्यापक जनहित का विषय है ।

(इस समय 1 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए ।)

लाखों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, नियम और रीति-नीति का सवाल है । हम आपकी पीठ से चाहेंगे कि आप सदन की कार्यवाही रोक कर, इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह बहुत ही स्थानीय प्रश्न है । एस० पी० ने दरोगा को हटाया और एस० पी० की छुट्टी देने पर स्टे कर दिया, यह स्थानीय विषय है । दूसरी बात माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि वहां 5 एस० पी० हैं, मैंने जानकारी की, वहां केवल एक ही एस० पी० है । किसी अधिकारी को सर्टीफिकेट देना कौन कैसा है, कौन कैसा है, उचित नहीं रहेगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता । दरोगाओं के स्थानीय तबादले होते रहते हैं । कार्यस्थगन के रूप में यह प्रश्न नहीं आना चाहिये । इसलिये इसे निरस्त किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और संदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः मैं निरस्त कर रहा हूं ।

अगली सूचना श्री लालजी वर्मा तथा श्री राम अचल राजभर की है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि यह एक सामान्य प्रकरण है, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन एस० पी० ने 18–1 को आदेश किया और सी० ओ० ने 22 को उसे रोक दिया, इस पर मैं जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठें। मैं आपकी सूचना को अस्वीकृत कर चुका हूं। यह विभागीय मामला है। अगर कोई ऐसा मामला है तो एस० एस० पी० ऊपर लिखेगा, उसके विरुद्ध कायवाही होगी।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण की जांच आई० जी०, गोरखपुर से करा लें।

श्री अधिष्ठाता–

अगर सी० ओ० ने एस० एस० पी० के आदेश का उल्लंघन किया है तो वे इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को देंगे और कार्यवाई के लिए कहेंगे यह विभागीय मामला है, कृपया आप बैठें।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आप इसकी आई० जी०, गोरखपुर से जांच करा लें कि किन परिस्थितियों में और किसके दबाव में ऐसा किया गया, सारी सूचना आ जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

आप इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं और आप जानते हैं कि यदि एस० एस० पी० की अवमानना सी० ओ० ने की है तो वह इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को देंगे और कार्यवाई करायेंगे। यह विभागीय मामला है।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, सचिव मुख्य मंत्री के स्तर से भी हस्तक्षेप हो रहा है, कौन अधिकारी जांच करेंगे ? मेरा तो कहना है कि इसमें मुख्य मंत्री सचिवालय इन्वाल्व है। मान्यवर, आप इसकी जांच करा लें। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है, कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा अम्बेडकर नगर जिले की, मान्यवर, अम्बेडकर नगर जिले में कुल 5 विधान सभा सीटें हैं और 5 विधान सभा सीटों में 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के एम० एल० ए० हैं। एक लोक सभा सीट है, बहुजन समाज पार्टी के हाथ में है, जिला पंचायत है, उसका अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का है। 9 ब्लाक प्रमुख होते हैं उसमें से 5 बहुजन समाज पार्टी के हैं। मान्यवर, इस तरह से वहां पर बहुजन समाज पार्टी की आम जनता में जो पकड़ है उसको तोड़ने के लिए सरकार ने वहां पर कानून-व्यवस्था को चौपट करने के लिए मान्यवर, एक एस० पी० को तैनात कर रखा है और मान्यवर, जो एस० पी० हैं उनकी देख रेख में, जब कोई माननीय जन प्रतिनिधि किसी समस्या का जिक्र करते हैं चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों तो ऐसे दरोगाओं के खिलाफ, सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन न लेकर उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं और उसके बदले मान्यवर, जो निरीह

जनता है उसको उत्पीड़ित करने का काम भी किया जा रहा है । आज पूरे जिले में भयंकर अपराध की स्थिति है । आये दिन लूट की घटनायें हो रही हैं, कहीं रुपया छीना जा रहा है, इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । इस तरह की अन्य कई घटनायें हैं, बलात्कार और राहजनी की घटनायें हो रही हैं और इन घटनाओं को रोक पाने में वहां की पुलिस पूरी तरह से अक्षम है, वहीं दूसरी ओर मान्यवर, निरीह लोगों को जबरन पकड़कर थाने ले जा कर उनकी पिटाई करने का काम किया जाता है । अधिवक्ताओं की पिटाई करने का काम किया जाता है । रफीगंज पुलिस थाने में राजितराम भार्गव जो वकील है उनकी पिटाई की जाती है लेकिन उस पुलिस चौकी के खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं हुई । श्री राम विलास माली को, थाना सम्मनपुर में 23 दिनों तक थाने में बैठा कर, उत्पीड़न किया जाता है और जब तमाम जनता का दबाव पड़ता है तब उसे छोड़ दिया जाता है। जगदीश राजभर को थाने में उल्टा टांग कर पिटाई की जाती है और जब जनता का दबाव पड़ता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है । मान्यवर, इसी तरह की अनेक घटनाएं हैं ।

मान्यवर, कपिल देव वर्मा एक बहुउद्देश्यीय कर्मी हैं उनको पकड़ कर लाते हैं और 151 में चालान कर देते हैं । मान्यवर, इसी तरह की अनेक घटनायें हैं । कल ही एक घटना का यहां उल्लेख हुआ है । हमारे एक माननीय विधायक के पुत्र को और एक जिला पंचायत सदस्य को पुलिस ने रोक कर प्रताड़ित करने का काम किया । मान्यवर, वहां की पुलिस कानून व्यवस्था को सुधारने में पूरी तरह से असमर्थ है । अपहरण की घटनायें भी हो रही हैं पहले कभी नहीं होती थीं । मान्यवर, अभी 24 अप्रैल को हमारे एक असरफ अंसारी जी हैं, उनका लड़का समझ कर एक रियाज अहमद हैं उनके लड़के का अपहरण कर लिया जाता है और जब पता चलता है कि यह असरफ का लड़का नहीं है तो उसे दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है । मान्यवर, इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को देने के बाद भी कोई कार्यवाई नहीं होती । इस तरह की स्थिति है । मान्यवर, आम जनता भयभीत है, लोगों में भय व्याप्त है, निरीह जनता को उत्पीड़ित करने का कार्य पुलिस कर्मी कर रहे हैं, अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है । मान्यवर यह महत्वपूर्ण है कि जब अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया जायेगा तो उससे अपराध और अधिक बढ़ रहे हैं । मान्यवर, अम्बेडकर नगर जिले में कोई ऐसा सब इंसपेक्टर नहीं है जो 30-35 साल का हों, जिसके कारण जहां धर-पकड़ होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है । मान्यवर, जो अपराध में लिप्त है उनके खिलाफ कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने का कार्य नहीं हो रहा है । इसलिए इस विषय पर मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय है इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री प्रदीप कुमार–

मान्यवर, वहां एम० पी० उसी पार्टी का है, एम० एल० ए० उसी पार्टी का है और जिला पंचायत अध्यक्ष उसी पार्टी का है, तो फिर लुटेरे किसके होंगे ?

श्री राम अचल राजभर–

अधिष्ठाता महोदय, अम्बेडकर नगर में पुलिस की निष्क्रियता और कार्यवाई न करने एवं एस० पी० अम्बेडकर नगर राजनीति और जातिवाद से प्रेरित होकर बसपा के माननीय जनप्रतिनिधियों को एवं किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को उन के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है । आम आदमी की भांति किया जा रहा है । मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं मान्यवर, कई घटनायें हैं जैसे मु० अपराध संख्या 62/2000, 17/2001, 33/2001, 123/2001 और धारा 147, 148, 149, 336, 504, 506, 307, 323 अपराधों में एक ही गांव के और एक ही परिवार के सारे मुल्जिमान हैं । जिसमें 13/3-2001 को मेरे लड़के अजय कुमार के नाम से दर्ज कराया था । कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की मैंने एफ० आई० आर० दर्ज करायी, लेकिन आज तक एस० पी० से बराबर सम्पर्क करने के बावजूद भी

कोई संतोषजनक कार्यवाई नहीं हुई । मान्यवर सारे लोग एक ही परिवार के हैं । इस तरह से जिला अम्बेडकर नगर में कानून व्यवस्था चरमरा गयी है, ध्वस्त हो गई है । मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो निष्क्रिय पुलिस अम्बेडकर नगर में है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये । जैसा कि अभी लालजी वर्मा कह रहे थे कि वहां कोई भी सब इंस्पेक्टर नहीं है जो 30-35 साल का हो । मान्यवर मैं संरक्षण चाहता हूं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने लिए कदम उठाया जाये और जो उक्त मुकदमे में अपराधी अम्बेडकर नगर के हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाई करने के निर्देश दिये जायें । मान्यवर आज हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है । सम्मनपुर का जो एस० ओ० है जो मेरे लड़के के साथ बदतमीजी किया था इस पर चर्चा कराके उसके विरुद्ध सकत से सकत दण्डात्मक कार्यवाई की जाय एवं मुझे तथा मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाय । अन्यथा मैं तो असुरक्षित हूं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा चाहे विपक्ष के या पक्ष के माननीय जनप्रतिनिधि हों, विधायक, एम० पी० हों, किसी के परिवार के साथ इस तरह की घटना होती है तो हम लोग पीठ से ही निवेदन कर सकते हैं, आप हमें संरक्षण प्रदान करें । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि मान्यवर, आप हमें संरक्षण दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जनपद अम्बेडकर नगर के बारे में जो चिन्ता माननीय वर्मा जी, माननीव राम अचल राजभर जी ने व्यक्त की है और कुछ प्रकरणों का उल्लेख करने के साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जैसे पुलिस कर्मी होने चाहिए वैसे नहीं हैं । यह बात सही है । यह केवल एक जनपद की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है । लगभग 3000 सब इन्सपेक्टर्स की पुलिस फोर्स में कमी है । पिछले 4 वर्षों में जब भी प्रयास किया गया इनकी भर्ती के लिए, यह नहीं हो पाया और माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो गया । अब हमने पुनः प्रक्रिया शुरू की है और हमें उम्मीद है कि 15-20 दिन के अन्दर जो परिणाम रुका हुआ था उनका परिणाम निकल जायेगा और नई भर्ती हो जायेगी । आपने चिन्ता व्यक्त की कि नौजवान सब इन्सपेक्टर नहीं होंगे तो दौड़-धूप नहीं कर पायेंगें । यह कठिनाई हर जनपद की है । हम इस कठिनाई के प्रति सचेत हैं और कार्यवाही कर रहे हैं ।

कुछ घटना का उल्लेख राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जी ने किया । आपने कहा कि मुरलीपुर के जगदीश राजभर का उत्पीड़न किया गया । यह 27-3-2001 को बांद हुई । संतराम वर्मा नामक व्यक्ति देवहट के निवासी, जो कोतवाली टांडा में पड़ता है । 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी की और मुकदमा अपराध संख्या 103/2001 धारा 458 के अन्तर्गत दर्ज किया गया । जो इसके विवेचक थे, चूंकि शंका व्यक्त की गयी थी इसलिए 8-4-2001 को जगदीश राजभर जी को थाने पर बुलाया और बुलाने के बाद, उनसे जानकारी/पूछ-तांछ करने के बाद उन्हें उसी दिन छोड़ दिया गया ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आप एस० डी० एम० से केवल इतना जांच करा लें कि क्या उसकी इतनी पिटाई हुई है कि आज भी वह चलने के लायक नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह–

राजभर जी ने भी कुछ उल्लेख किया है थाना सम्मनपुर के बारे में, मुकदमा अपराध संख्या 17/2001 धारा 324, 504, 506 एवं 31/10 एस० सी०, एस० टी० एक्ट का अभियोग दर्ज हो गया एक अभियुक्त नामजद था । विवेचना हो गयी है और 23-3-2001 के आधार पर आरोप-पत्र न्यायालय में चला गया है । मान्यवर, एक निर्धारित प्रक्रिया है, अपराध संख्या वही है, धाराएं वही हैं और थाना और गांव वही है मगर आपका वर्जन कुछ और है और पुलिस का वर्जन कुछ और है । इसमें विवेचना के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है, आपने एक बात और कही है कि एक वर्ग विशेष का उत्पीड़न

किया जा रहा है जो राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावी हो चुका है तो आपको कष्ट होता होगा । एम० पी० और विधायक भी आप ही हैं लेकिन शासन तो अपने विवेक से, संविधान के अनुरूप कार्य करता है । किसी राजनीतिक पार्टी के अनुरूप नहीं करता है अगर शासन किसी राजनीतक पार्टी के अनुरूप चलेगा तो न हम सुरक्षित रह पायेंगे और न ही आप सुरक्षित रह सकेंगे । अगर आपकी कोई स्पेसिफिक शिकायत आयेगी, तो निश्चित रूप से संज्ञान लिया जायेगा और उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम अचल राजभर–

मान्यवर, उस थाने के एस० ओ० द्वारा मेरे लड़के को मारा गया है, एस० ओ० ने मेरे लड़के को मारा और बेइज्जत किया तथा उसे दो घन्टे तक रोके रखा गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इनके पुत्र का मामला इस सदन में आया है और क्योंकि इससे पहले यह मामला यहां पर आ चुका है, मैं नहीं चाहता था कि इनके पुत्र का मामला यहां पर आये । चूंकि माननीय अध्यक्ष जी के समाने यह प्रकरण आ चुका है और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर थे, अब जब एक प्रकरण आया है तो मुझे उसका परीक्षण करा लेने दीजिए ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राम विलास माली, भुलई यादव को 23 जून को बन्द किया गया, उनको पीटा गया, उनकी तोड़ाई हुई ।

श्री राम अचल राजभर–

मान्यवर, 50 सम्मनपुर ने मंशाराम यादव और भुलई यादव एवं राम विलास की तोड़ाई हुई और बेलन चलाया गया और उसके बाद भी पांच, दस हजार रुपये लेकर उनको छोड़ा गया । लगभग 16, 17 दिन बाद ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अगर इस तरह से कमजोर लोगों को मारा जायेगा, पीटा जायेगा तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे ? इस मामले कि जांच वहां के किसी लोकल अधिकारी से कराने, की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यगण और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है, इसको निरस्त कर रहा हूं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, सरकार इस तरह से कमजोर वर्गों के लोगों को पीट रही है, सरकार जो बहुजन समाज पार्टी के हितैषी है उनको पीट रही है, तो मैं मांग करता हूं कि इस मामले की जांच डी० एम०, एंस० डी० एम० या कमिश्नर से कराने की कृपा करें और अगर यह घटना सही है तो जिनके द्वारा यह घटना की गई है, जो पुलिस कर्मी दोषी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि इस पर वार्ता हो चुकी है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर संज्ञान ले लिया है, अब इसके बाद तो कोई बात बचती नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, विधायक जी ने जिस घटना का यहां पर उल्लेख किया उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । जो मैंने और 3 घटनायें बतायी हैं, राम विलास, जगदीश राजभर और कपिल देव इनके बारे

में जांच करा लें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विवेचना के लिये लाये गये थे और छोड़ दिया गया। लेकिन मेरा कहना है कि उनको उल्टा टांग कर उनकी पिटाई की गयी। तो इसकी ए० डी० एम० या एस० डी० एम० से जांच कराने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको निरस्त कर चुका हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय वर्मा जी की जो पीड़ा है उसको दिखवा लें।

श्री हुकुम सिंह–

मैं दिखवा लूंगा।

* श्री उदयराज यादव–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रदेश की एक गंभीर समस्या को सुनाने का मुझे अवसर दिया। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक विशेष गंभीर समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं। यह किसी दल से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। आज हर गांव, हर शहर और हर कस्बे में यह समस्या देखने को मिल रही है। आज प्रदेश में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है और भीषण पेयजल संकट पैदा हो गया है। आज यह समस्या केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि इस समस्या का सामना जानवरों को करना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इंडिया मार्क–II जो हैण्ड पम्प लगाये हैं उसमें से 75 प्रतिशत खराब हो गये हैं। गतवर्ष जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उसकी संख्या इतनी कम है कि उनसे शहर और गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है।

गांवों में कोई कुंआ ऐसा नहीं है जिसमें पानी हो। नहरों, तालाबों में पानी नहीं है जानवर प्यासे मर रहे हैं। सरकार की ओर से बराबर यह घोषणा की जाती है कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जायगा लेकिन पानी पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, आपने अपने क्षेत्र में भी देखा होगा कि नहरों में पानी हैं और वह सूखी पड़ी हैं। गर्मी का महीना है, नहर तालाब, कुयें सूख गये हैं और लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। इस सरकार के कार्यकाल में यह स्थिति आ गयी है कि पहले यह सुना जाता था कि खाना न मिलने के कारण भूख से लोग मर रहे हैं लेकिन आज पानी न मिलने की वजह से आदमी मर रहा है। अभी 1-2 दिन पहले मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया कि एक क्षेत्र विशेष में 15 दिन में इंडिया माक–II हैंड पम्प लगाये जायेंगें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक क्षेत्र विशेष के लिये पानी की आवश्यकता है ? क्या पूरे प्रदेश को पानी की आवश्यकता नहीं है ? अन्य जो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, क्या उनके यहां पानी की आवश्यकता नहीं है ? मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता केवल इतना कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा गंभीर समस्या और कोई नहीं हो सकती है। आप सदन की पूरी कार्यवाही रोक कर इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पेयजल की समस्या को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी और आगे भी अवसर मिलेगा। सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार ने बराबर यह निर्देश दिये हैं कि जहां पर ऐसी समस्या है उसका समाधान किया जाय। इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जितनी भी व्यवस्था हो सकती है। वह कदम उठाये जा रहे हैं। अगर कोई विशेष मामला होता कि फला गांव में पेयजल संकट है तो उसको दिखवा लिया जाता। पूरे प्रदेश के माननीय सदस्य बैठे हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें उठाते हैं। अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई उसमें भी सबने अपनी समस्या रखी। विभाग का बजट भी आयेगा, उसमें भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। यह प्रश्न कार्य स्थगन के रूप में नहीं आता इसलिए इसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री उदयराज यादव–

अभी मुख्य मंत्री जी ने 150 करोड़ रुपये एक क्षेत्र विशेष के लिये इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगाने के लिए जारी किये हैं। क्या बाकी क्षेत्रों में कोई इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है ?

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती अतः इसे निरस्त कर रहा हूं। चौथी सूचना माननीय श्री दद्दू प्रसाद की।

श्री दद्दू प्रसाद–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में व्याप्त विराट सूखे की ओर ले जाना चाहता हूं। विशेष रूप से जनपद चित्रकूट में सितम्बर-अगस्त, 2000 के बाद कोई बारिस नहीं हुई है। जनपद चित्रकूट और पूरे बुन्देलखण्ड के किसान एक खेत में एक फसल लेते हैं। खरीफ की फसल सूख गई उसके बाद रबी की फसल भी सूख गई और 22 मार्च को जनपद चित्रकूट में भयंकर ओलावृष्टि हुई। मैंने अपमी सूचना पर कुछ गांव का उल्लेख किया है, जो रबी की फसल खड़ी हुई थी, 22 मार्च की ओलावृष्टि में वह फसल भी नष्ट हो गई। मैंने 5 जनवरी को मा० मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया था व जनपद चित्रकूट और बुन्देलखण्ड में व्याप्त सूखे की ओर उनका ध्यान दिलाया था। मैंने कहा था कि राजस्व वसूली रोक दी जाये और सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाये। जनपद चित्रकूट में पलायन जारी है मजदूरों का। अभी तक लगभग डेढ़ लाख मजदूर वहां से पलायन करके इलाहाबाद, सूरत, कलकत्ता, दिल्ली की ओर पलायन कर गये हैं उनके पीछे जो उनके बच्चे बचे हैं वह भूखों मर रहे हैं, जो ओलावृष्टि हुई उसमें भी दो व्यक्तियों की मौत हो गई, उनको कोई अनुदान सरकार की ओर से नहीं दिया गया। इसलिए मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था पांच जनवरी को। मैं आपके माध्यम से भी, सदन के माध्यम से भी सरकार से मांग करता हूं कि सूखा प्रभावित क्षेत्र तो मुख्य मंत्री ने घोषित कर दिया बुन्देलखण्ड को परन्तु वहां रोजगार सृजन हों, रोजगार सृजन के लिए जनपद चित्रकूट के लिए कम से कम पांच करोड़ रुपये घोषित किया जाये जिससे वहां मजदूरों को रोजगार मिले, उनका पलायन रुके। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय विषय है, जनहित से जुड़ा हुआ विषय है, मुख्य मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया कि बुन्देलखण्ड में भयंकर आर्थिक विषमता है, तो उसका उपचार क्या है ? वहां पर केवल पर्यटन को बढ़ाने से कोई उपचार नहीं होने वाला है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें। जनपद चित्रकूट में विकास के लिए, पलायन रोकने के लिए तत्काल 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि तमाम बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है वहां पर राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गयी है। राहत कार्य जारी हैं और पेयजल की व्यवस्था के लिए नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पम्पों की मरम्मत तथा नलकूपों के लिए 3-5 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। जिन क्षेत्रों की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं [illegible] र ओलावृष्टि की बात है वहीं की सूचना प्राप्त करके वहां पर कार्रवाही की जायगी

श्री ददूू प्रसाद–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि चित्रकूट में दो ही ट्यूबवेल हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वहां पेयजल के लिए व्यवस्था भी की गई है लेकिन सरकार उन मजदूरों के पलायन को रोकने, रोजगार के अवसर देने के लिए क्या कर रही है, उसके लिए कोई धनराशि क्यों नहीं प्रदान की जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है । राहत कार्य जारी हैं और चिन्हित क्षेत्रों की सूचना लेकर हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती इसलिए मैं इसको निरस्त करता हूं ।

श्री ददूू प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । यह सरकार संवेदनशील नहीं है इसके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है । वहां पर मजदूर पलायन कर रहे हैं । भीषण संकट उत्पन्न हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायं । मैंने एक व्यवस्था दे दी है ।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कार्यवाही स्थगन के महत्वपूर्ण, लोकमहत्व व अविलम्बनीय सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर किया जा रहा है विवाह हो तलाक हो घर हो या बाहर, हर जगह महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है । इस सबके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार महिला आयोग के गठन की सूचना दिये जाने के बाद भी महिला आयोग का गठन करने में अक्षम साबित हो रही है । हमारी भारतीय संस्कृति के इस परिवेश में जहां पर समाज में मां को सर्वोच्च स्थान दिया गया है हमने प्रकृति के विभिन्न तत्वों को सम्मान देते हुए मां का स्वरूप तुलसी मां की पूजा की जाती है जल के रूप में उसमें देखा और गंगा को मां की सर्वश्रेष्ठ स्तुति की जाती है यदि विद्या प्राप्ति के लिए मां सरस्वती की आराधना, शक्ति प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की और अपने दुश्मनों के नाश के लिए भी मां काली की आराधना की जाती है यानि मां को हमारी संस्कृति में सर्वोच्च स्थान दिया गया है । हमारे हिन्दुस्तान के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समाज के रूप में यहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के पैगम्बर मुहम्मद साहब सललल्लाह अलैहवसल्लम ने भी कहा है कि यदि कहीं जन्नत है तो मां के पैरों के नीचे । कुरान शरीफ में एक आयत है "सुरे निशां" । तो मान्यवर, मेरे परिवेश में भी आज समाज में उत्पीड़न की शिकार महिला हो रही है । उत्तर प्रदेश में अत्याचार की घटनाओं में ज्यादातर मां की कोख पर हो रही हैं । आज भ्रूण से लेकर औरत की अन्तिम यात्रा तक उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है । आज हमने उसी पवित्र मां को निर्बल निरीह और एक उपभोग की वस्तु बनाकर रख दिया है उसको जो दर्जा दिया जाना चाहिए वह दर्जा नहीं दिये जाने का काम समाप्त हो रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो कि वास्तव में चौंकाने वाले हैं । भ्रूण हत्या के कारण पुरुष और महिलाओं का रेशियो समाज में लगातार घटता जा रहा है । आप देखें आपको ताज्जुब होगा कि 1991 में राष्ट्रीय औसत 1 हजार पुरुषों पर 927 महिला थे, सन् 2001 में 937, सन् 1901 में 972

महिलायें तथा उ० प्र० में 1991 में 879, 2001 में 898 महिलायें हैं । इसी तरह से मान्यवर, राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता के क्षेत्र में लगातार महिलाओं का स्तर गिर रहा है । पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 70.23 प्रतिशत है जबकि महिलाओं का 42.98 प्रतिशत है । यह तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो इस बात को पारदर्शित करते हैं कि किस तरह से आज के समय में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है । इसको देखकर कैसे सोचा जा सकता है कि महिलाओं के हित की बात आप करते हैं ? उनके विकास की बात आप करते हैं परन्तु मैं बधाई देना चाहता हूं जनपद देवरिया, आजमगढ़ और जौनपुर के लोगों को जहां पर महिलाओं की इस दर में बढ़ोत्तरी हुई है । यह सब जनगणना के आंकड़ों से स्थिति सामने आयी है । देवरिया में 1000 पुरुषों में 1003 महिलायें, आजमगढ़ में 1026 और जौनपुर में 1021 महिलायें इस तरह के आंकड़े हैं जो कि समाज को नई दिशा देने में, आगे बढ़ाने में काम कर सकेंगे ।

महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकना होगा । राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लें दहेज की हत्याओं के संबंध में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है । पूरे मुल्क के केसेज दहेज हत्या के 6222 हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश की संख्या सबसे ज्यादा है । उत्तर प्रदेश के ही 2041 दहेज हत्या के केसेज हैं । बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश से पीछे हैं वहां के आंकड़े क्रमशः 1021, 678 और 406, 482 हैं । इसी तरह से उ० प्र० में महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेज देखिये 1998 में 1382, 1999 में 1369 और 2000 में 1639 महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले देखिये । 1998 में 2565, 1999 में 2253 और 2000 में 3018, इस तरह से उत्पीड़न की इन घटनाओं से इसमें 25 से 60 फीसदी पिछले तीन सालों में बढ़ोत्तरी हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी जो सूचना है उसकी विषय वस्तु से बाहर जाकर न कहें । विषय की ग्राह्यता पर आइये ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं उसी पर बोल रहा हूं । थोड़े आंकड़े देना जरूरी था । मान्यवर, जब तक महिलाओं के उत्पीड़न को नहीं रोका जायेगा उनका विकास नहीं हो सकता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जब तक महिलाओं में आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा नहीं दिया जायगा । जब तक महिलाओं के आत्मसम्मान के प्रति समाज में जन-जागरण का अभियान नहीं चलाया जायेगा, महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग होकर उनको अधिकार नहीं दिलाए जायेंगे, तब तक महिलाओं का उत्थान होने वाला नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में अपनी बात कहिए ।

श्री संजय गर्ग–

श्रीमन्, पंचायत राज में तीन प्रतिशत आपने आरक्षण दिया है लेकिन पंचायत की बैठकों में महिलाओं की जगह कितना प्रधान पति भागीदारी करते हैं यह किसी से छिपा नहीं है । केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय महिला कोष से महिलाओं को ऋण देने की व्यवस्था की गयी है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें परन्तु बड़े अफसोस की बात कि हमारी प्रदेश सरकार उसके प्रति गम्भीर नहीं है । राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा प्रदेश की जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 412.650 लाख रु० ऋण के रूप में बांटने के लिए आवंटित किये थे । परन्तु प्रदेश सरकार ने मात्र 19193 महिलाओं को मात्र 426.065 रु० वितरित किये बाकी पैसा वापस चला गया ।

हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं को अनदेखा किया जा रहा है । अगर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो कैसे जागरूकता आएगी ? श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में महिला आयोग के गठन को किस तरह से ट्रालने का काम किया जा रहा है, मुझे ताज्जुब हो रहा है । कुसुम राम के भूत से और ज्यादा न डरें, महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का गठन जरूरी है । जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा की जानी चाहिए । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है जिसमें अपनी पैनी दृष्टि के साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का गठन वह कब तक कराने जा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं इससे पूर्व कि इस बारे में कहूं, जिस खूबी के साथ नियम 56 का विस्तारीकरण हो रहा है तो किसी और मद की तो आवश्यकता ही नहीं रह जाती है । आगे बजट पर चर्चा होनी है सारे विषय रखे जाने हैं लेकिन मुझे लगता है यहां से बिहार और बिहार से लेकर राजनीति आ गई सारे विश्व की स्थिति आ गई, कैसे अनुपात बढ़ रहा है ? महिला आयोग के गठन में यह अनुपात बराबर हो जाएगा । इन्होंने सरकार का पक्ष भी रख दिया कितने मुकदमें कायम हुए हैं । जो आंकड़े हमने तैयार किये थे मान्यवर, इन्होंने बता दिये । मैं इतना कहना चाहता हूं कि महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए, बराबर का दर्जा देने के लिए, दर्जा देने की बात आयोग के गठन से नहीं होती है । आम शासन प्रशासन में, आम व्यवस्था में उनकी भागीदारी होगी तभी उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा । महिलायें पुलिस फोर्स में ही नहीं वरन् बड़े-बड़े पदों पर महिलायें भागीदारी करें ऐसी व्यवस्था है, सारे अवसर हैं, कमी हमारे समाज में है । समाज को पुरुष प्रधान कहा जा रहा था, जब प्रश्न चल रहा था ऐसे सदस्य जो विद्वान हैं, कानून का अध्ययन किया है, जब वही महिलाओं को निरीह प्राणी की संज्ञान देते हैं । महिलाओं की सुरक्षा की बात वह नहीं करते हैं । वह महिलाओं को ऐसे स्थान पर रख देते हैं कि वह बहुत बेचारी हैं पैरों पर खड़ी होने वाली नहीं है उसका ऐसा चित्रण माननीय सदस्य ने किया जैसे उसका कोई स्थान समाज में नहीं जबकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला हमारे देश की प्रधान मंत्री रही हैं । मान्यवर, शासन द्वारा प्रदेश के 11 जनपदों में महिला थानों की स्थापना की गई । महिला भी थाना प्रभारी बनें ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े । लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, झांसी, फैजाबाद आदि स्थानों पर अपराध अनुसंधान में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, गोरखपुर में जोनल महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है । एक चीज उल्लेखनीय है । 498(1) में प्राविधान किया है आरोप में दोनों पक्षों को समझौते सुनने का अधिकार है । समाज में चेतना पैदा हो रही है । मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि केवल वाहवाही लूटने का प्रयास न करें । यह कार्य-स्थगन के रूप में नहीं आता है इसलिए इसे अग्राह्य किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय संजय गर्ग जी और माननीय दद्दू प्रसाद व माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री जगदम्बिका पाल जी की है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी थी उसका जवाब नहीं आया है । मैं यह सूचना चाह रहा हूं कि महिला आयोग का गठन यह करेंगे कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठ जायें । मैंने अगली सूचना ले ली है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह तो बता दें कि महिला आयोग का वह गठन करेंगे कि नहीं ?

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह बता दें कि वह करेंगे कि नहीं ?

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, यह सरकार महिला उत्पीड़न के प्रति जागरूक नहीं है । यह महिला आयोग का गठन नहीं करना चाहती है और यह महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री संजय गर्ग के साथ श्री कौकब हमीद व श्री समरपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व और तात्कालिक प्रश्न पर अनुज्ञा दी । मान्यवर, सरकार की तरफ से घोषणा हुई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 20 लाख टन गेहूं की खरीददारी होगी और 4067 क्रय केन्द्रों की स्थापना की बात कही गयी । लेकिन इसमें एक कठिनाई आ रही है जिसके कारण किसान अपना गेहूं क्रय केन्द्र पर लाने के बाद भी वापस ले जा रहा है । तमाम गांव चकबन्दी में लगे हुए हैं और जिनके पास जोत बही नहीं है उन्हें जो चकबन्दी का फार्म 23 और 5 होता है उसमें उनको मालिकाना दर्शाया जाता है । लेकिन सरकार का यह कहना है कि जिनके पास जोत बही नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसे निर्देश गये हैं कि उनकी गेहूं की खरीद नहीं की जायेगी । तमाम ऐसे गांव हैं जो चकबन्दी में लिप्त हैं । जो चकबन्दी का फार्म–5 और 23 है उसमें उनका मालिकाना हक दर्शाया गया है तो आज इसकी घोषणा कर दें कि उनकी भी गेहूं की खरीददारी की जायेगी । मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में कल भयंकर तूफान आया और अग्निकाण्ड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं । राजधानी में बंशगढ़ी में आग लगी और उसमें 10–12 जानवर मर गये और एक औरत बुरी तरह से जल गयी तो उनके अहेतुक के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, जब जिलाधिकारियों से किसान अपनी फरियाद लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम सी० आर० 27 से पैसा नहीं निकालेंगे तो वह अधिकार जिलाधिकारियों को क्यों दिया गया । मान्यवर, उनकी तो क्षण भर में पूरी खड़ी सारी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है अगर किसी गांव के लोगों ने दो दिन का अनाज, भोजन दे दिया तो काम चल गया । मान्यवर, मैंने गांवों का भी उल्लेख किया है देवरा आदि इन तमाम गांवों में राहत कार्य नहीं हो रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो सूचना दी है वह प्रदेश में गेहूं खरीद से सम्बन्धित है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उससे जुड़ा हुआ सवाल है । मान्यवर, धान खरीद की सौ करोड़ रुपये अभी बाकी हैं आप गेहूं खरीदने जा रहे हैं आपने कहा है कि जब तक बाजार में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत नहीं आ जायेगी खरीददारी जारी रहेगी । मान्यवर, गेहूं क्रय केन्द्रों पर पैसा नहीं पहुंचा है, बोरे नहीं पहुंचे हैं और इस पर सभी लोग चिन्तित हैं मान्यवर, हमारी 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है मैंने खेत-खलिहान में अग्निकाण्ड का और तूफान का उल्लेख किया है किसान के पास स्टोरेज नहीं है । वह खेत-खलिहान में भी अपना अनाज रखता है । दिल्ली से कल तूफान शुरू हुआ और पूरे प्रदेश में व्यापक ढंग से फैल गया और बरसात भी हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं को नुकसान हुआ है । मान्यवर, गेहूं की खरीद की जो बात है वहां पर जोतबही के आधार पर गेहूं क्रय किया जा रहा है ।मैं भैंसा गांव अपने

निर्वाचन क्षेत्र में देखा जो जोतबही लेकर नहीं गये वह वापस आ गये तो जिनके पास नहीं है उसमें आप चकबन्दी का फार्म 5 और 23 के आधार पर गेहूं क्रय किया जाये ताकि किसानों का उत्पाद खरीदा जा सके और उन्हें पैसे का भुगतान समय से हो सके। मान्यवर, जो खरीदारी की व्यापक घोषणा हो रही है लेकिन वास्तविकता उसके विपरीत है। मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी जब जवाब दें तो इसको शामिल कर लें या इस पर चर्चा मंजूर कर लें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह धान और गेहूं की खरीद के संबंध में यहां 2 बार चर्चा हो चुकी है। खाद्य मंत्री जी के स्तर पर और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर विस्तार से उत्तर दिया और आश्वासन दिया। आपने एक नया प्रश्न उपस्थित किया है कि जिन किसानों के पास जोत बही नहीं उनके उत्पाद की खरीदारी के बाबत। जहां चकबन्दी चल रही है और जोतबही नहीं मिली है तो इस संबंध में मैं माननीय सदस्य की भावना से माननीय खाद्य मंत्री जी को अवगत करा दूंगा, यदि कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो वे संशोधन करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् चूंकि आश्वासन आ गया है इसलिए नियम–56 के अन्तर्गत इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आजकल यह सरकार अपने तुगलकी फैसलों के लिए मशहूर होती जा रही है। नित नये प्रयोग करती है और इसका जहां प्रयोग होता है वह जनता की हित के विपरीत जाता है उसी तुगलकी फैसले की कड़ी में एक फैसला यह भी है कि सरकार ने शिक्षा विभाग में निर्णय ले लिया है कक्षा 9 की परीक्षा केन्द्रीय रूप में संचालित होगी अभी तक कक्षा 8 की परीक्षाएं होती थीं कक्षा 10 की परीक्षा होती थी और कक्षा 9 और 10 मिलाकर हाईस्कूल की परीक्षा हुआ करती थी इस सरकार ने कक्षा 9 की परीक्षा भी पूरी तरह से केन्द्रीय रूप से संचालित करने का प्रयास किया लेकिन इसके लिए उसे तैयारी करनी चाहिए। तैयारी इसकी कुछ भी नहीं है पर्चा लाने के लिए, पर्चा पहुंचाने के लिए कापियां जांचने के लिए बहुत सुरक्षा के उपाय करने पड़ते हैं मान्यवर, उसके लिए सरकार तैयार नहीं है न ही परीक्षा केन्द्रों को तैयार किया गया और परीक्षाएं संचालित करना शुरू कर दिया, नतीजा क्या हो रहा है कि एक-एक दिन में एक-एक जनपद में, पांच-पांच, छः-छः जगहों पर पर्चे आउट हो रहे हैं। जब परीक्षा केन्द्र के बाहर जाते हैं तो 100, 200, 500 में पर्चा सामान्य रूप से मिल रहा है। मान्यवर, यह जो रोज बोर्ड की परीक्षाओं के पर्चे आउट हो रहे थे तो उससे पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा था इनके पर्चे आउट होने के बाद न जाने कितने परीक्षार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी तुगलकी फैसलों से बाज आये।

शिक्षा विभाग में नित नये फैसलों से बाज आये, कभी निर्णय हो जाता है कि महापुरुषों का जन्मदिन नहीं मनायेंगे कभी कोई निर्णय हो जाता है। मान्यवर, सत्तारूढ़ दल में कोई महापुरुष तो पैदा ही नहीं हुआ है लेकिन देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महापुरुष पैदा हुए हैं समाज सुधारक हुए हैं। मान्यवर, यह सरकार तमाम फैसले, तुगलकी फैसलों को वापस ले और जैसी परीक्षाएं पहले हुआ करती थी वैसे कराये। अगर उसको इस रूप में परीक्षा कराना है तो बिना समुचित प्रबन्ध के नहीं हो ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का विषय है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय इसलिए है कि परीक्षा पूरे प्रदेश में चल रही है लोक महत्व का इसलिए है कि लोग प्रभावित हैं। अतः आप सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेयी तथा श्री अखिलेश सिंह का नाम पुकारे जाने पर और उनके उपस्थित न रहने पर)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिन कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है उन कमियों से शासन अवगत है और उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है परीक्षा क्यों करायी जा रही है उसके लिए मान्यवर, कक्षा 10 का पाठ्यक्रम अलग किया गया है उसके बाद यह निश्चय किया गया कि कक्षा 9 की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर जनपद स्तर पर करायी जाए उसमें 4 अधिकारियों की एक समिति बना दी गयी है। चारों अधिकारी यह विचार करते रहते हैं कि कैसे नकल रोकी जाये, कैसे पर्चा आउट होने से बचा जा सके ? इस पर शासन अवगत है कि परीक्षाओं की सेंसिटीविटी बनी रहे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार न तो उचित वातावरण बना पा रही है, न गेहूं के मामले में स्पष्ट उत्तर दे पा रही है, धान के मामले में समुचित उत्तर नहीं दे पा रही है, सिर्फ 9-9 हजार रुपया एक-एक मंत्री जेब खर्च ले रहा है। यह सरकार छात्रों और किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से वाकआउट कर रहा है।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद कुमार और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। अतः इसे निरस्त करता हूं।

*श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, उन्नाव जनपद में फ्लोराइड एवं खारापन की अधिकता से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित न होने से पैदा हुए पेयजल संकट के संबंध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जनपद उन्नाव में फ्लोराइड और खारापन से प्रभावित करीब 616 गांवों में पेयजल की समस्या है। इनके 54 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में विभाजित कर वहां पर नलकूप लगाये गये हैं उनका संचालन, रखरखाव और बदलाव संबंधी कोई व्यवस्था न होने के कारण सरकार की ओर से जो तीन विभाग हैं विद्युत विभाग, वित्त विभाग और जल निगम तीनों विभागों में आपसी सामंजस्य न होने की वजह से 72 ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं, जिससे ग्रामीण अंचल में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और फ्लोराइड युक्त पानी पीने से विकलांगता का प्रकोप बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इन तीनों विभाग में सामंजस्य बिठलवा कर वहां पानी की व्यवस्था की जाय, जिससे बढ़ रही विकलांगता पर रोक लगाई जाय। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग आपसे करता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसको आधार मानकर मैंने जानकारी प्राप्त की है। यदि वहां कोई कठिनाई होगी तो उसे दूर किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिए निरस्त कर रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नवीं सूचना श्री कौकब हमीद, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री प्रदीप कुमार और श्री आर्य रामशरन की है ।

*श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मन्यवर, यह अति लोक महत्व का प्रश्न है और पूरे प्रदेश की सम्पूर्ण जनता की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है । पूरे प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था की जो स्थिति है, उससे सभी लोग भलीभांति अवगत हैं और इस सदन के अन्दर बराबर माननीय सदस्य इसकी चर्चा करते रहते हैं । आज भी सुबह 2-3 सदस्यों द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कानून व्यवस्था के ऊपर चिन्ता व्यक्त की गई है । इस समय पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है । कहीं कोई कानून का राज नहीं है ।

मान्यवर, जब मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अमन-चैन कायम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, तब से लेकर आज तक लगातार बजाय इसके कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो, गिरावट आती चली जा रही है, अपराधों की बाढ़ ही आती जा रही है । राजनाथ सिंह जब मुख्य मंत्री बने, तभी एक विधायक की निर्मम हत्या घर में घुसकर हत्यारों ने कर दी और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई । मेरठ के अन्दर तक्षशिक्षा कालोनी में तीन लोगों की हत्या कर दी गई और घर में घुस कर लुटेरे सामान लूट ले गये । इसी प्रकार मेरठ के पल्लवपुरम् में लुटेरे घर में घुसकर सामान लूट ले गये और परिवार के लोगों की हत्या कर दी । इसी प्रकार मेरठ में ही शास्त्रीनगर मोहल्ले में, जो बेस्ट कालोनी है, सेन्ट्रली लोकेटेड है, वहां घर में घुसकर परिवारजनों की हत्या कर दी गई और लुटेरे सामान लूटकर ले गये, इस तरह से अपराधों की पूरे प्रदेश में बाढ़ सी आ गई, क्योंकि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाई, अपराधी सरकार के चंगुल से दूर रहे, बेखौफ घूमते रहे और प्रदेश की जनता अपने रहमोकरम पर जिन्दा रही ।

अभी तिवारी जी ने महाराजगंज की व्यवस्था के बारे में बताया, वहां जंगलराज कायम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस के लोग राजनीतिज्ञों के इशारे पर चल रहे हैं । उसके बाद हमारे बसपा के लालजी वर्मा ने अम्बेडकरनगर के बारे में चिन्ता व्यक्त की । इसी तरह माननीय संजय गर्ग ने महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में तमाम घटनाओं का ब्यौरा दिया कि किस तरह से पूरे प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनायें बढ़ रही हैं । दहेज हत्याओं की घटनायें बढ़ रही हैं और सरकार किसी के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रही है । हमारे यहां मेरठ के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और उसका शिलान्यास करने माननीय मुख्य मंत्री जी वहां आये थे, उन्होंने मंच से लोगों से पूछा कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार है, एक स्तर से लोगों ने कहा कि कोई सुधार नहीं है और पुलिस हम लोगों की जानमाल की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं इसे मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा हैदरगढ़ का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं सुधार करके दिखाऊंगा । मान्यवर, यह तो कोई बात नहीं हुई कि हैदरगढ़ का चुनाव चल रहा है, हम चुनाव के बाद देखेंगे, क्या तब तक आप जनता को मरने देंगे ? लेकिन चुनाव के बाद भी पिछले एक महीने के अन्दर अगर आप पूरे प्रदेश को छोड़ केवल लखनऊ में ही 85 घटनायें हुयी । राजाजीपुरम् में एक महिला से 90 हजार रुपये लूट लिये गये । 20 मार्च को चौक के व्यापारी को धमकी देकर उससे पौने दो लाख रुपये लूट लिये गये । 21 अप्रैल को सीतापुर में एक व्यापारी से 4 लाख रुपये लूट लिये गये । इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं । 21 अप्रैल को कैसरबाग में एल०आई०सी० का कर्मचारी जो रुपया जमा करने जा रहा था उससे 8 लाख रुपये लूट लिये गये और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही । मान्यवर, बुलन्दशहर के अन्दर क्या हुआ, एक ही दिन के अन्दर 11 लोगों की निर्मम

हत्या हुई, मुजफ्फरनगर में 5 लोग एक दिन में बदमाशों द्वारा मौत के घाट उतार दिये गये । पुलिस क्या कर रही है ? झूठे मुकदमे लगाती है, सीधे-साधे लोगों पर गैंगेस्टर लगाती है और बदमाशों को खुला छोड़ रखा है जनता का कत्लेआम करने के लिए । पुलिस निरंकुश हो गयी है।

मान्यवर, मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाएं भी यहां सबसे ज्यादा होती हैं पुलिस निर्दोष को मारने में कोई कोताही नहीं बरतती और दोषी खुलेआम घूम रहे हैं । मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर जंगलराज कायम है और यह पूरे प्रदेश के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है । आज पूरे प्रदेश की जनता अगर जिन्दा है तो वह ऊपर वाले की कृपा कर या अपराधियों के रहमोकरम पर । इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय विषय पर आज सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ।

*श्री कौकब हमीद

मान्यवर, कोई भी सरकार इस बात पर चलती है और मान्यवर, इस सरकार के इकबाल को नकार दिया है यहां की जनता ने, यहां जो बदमाश पैदा हो रहे हैं उसने और इनके पुलिस प्रशासन ने नकार दिया है । मान्यवर, कानून का दंगा बाकायदा इस सरकार ने कराया, वह हिन्दू-मुस्लिम द्वारा कराना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ । उन्होंने पिटवा दिया पुलिस से, यह इनका इकबाल है, कई लोगों को मार दिया और कई को जेल भिजवा दिया । अगर इकबाल हुआ होता तो हर 50 मिनट के अन्दर दलित की हत्या, 213 दिन के अन्दर 244 हत्याएं दलित की, यह इनका इकबाल है । जब मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि मैं 15 दिन में कानून-व्यवस्था ठीक कर दूंगा तो वह एक गलतबयानी करते हैं और उसका नतीजा सामने है, श्री निर्भय पाल शर्मा की हत्या और मेरठ कैंट के अग्रवाल अपने भतीजे के साथ यहां नहीं आ पा रहे थे, इस सदन में नहीं आ पा रहे थे । बड़ी-बड़ी बातें करने से काम नहीं होता। मान्यवर, महिलाओं पर उत्पीड़न जो इस सरकार के दौरान हुए हैं उसमें इस 2000 में 2401. अब से 3 साल पहले सिर्फ 1902 थे । हर चीज में बढ़ोत्तरी है । यही नहीं बुलन्दशहर के अन्दर खुलेआम 11 आदमी मार दिये गये । यहां अपहरण के बाकायदा रिकार्ड हैं, वह अपहरण लिखे भी नहीं जाते । मैं पहले ही बता चुका हूं कि 8000 केस इस वक्त गैंगेस्टर के रजिस्टर्ड हैं । ये कोई बनाये हुए आंकड़े नहीं हैं यह सरकारी आंकड़े हैं । एक साल के अन्दर 155 केस अदालत से खारिज होते हैं इस प्रकार इनको निपटाने में लगभग 70 साल लग जायेंगे । मैं गुजारिश करूंगा आपकी पीठ से कि आप सरकार को निर्देश दें कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर एक ह्वाइट पेपर दे । जो मंत्री जी ने कह दिया उससे मसला हल नहीं होता । सही बतायें कि इतना कम कर दिये । ढाई मार दिये, 5 मार दिये, इससे मसला हल नहीं होता । मान्यवर, मैं गुजारिश करूंगा आप सारे काम को छोड़कर इस पर चर्चा करायें ।

श्री हुकुम सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, कानून व्यवस्था की चर्चा कार्य स्थगन के रूप में की न जाने कितने अवसर मिले और उस अवसर का फायदा आपने उठाया नहीं, अब उठाना चाहते हैं और मान्यवर, दो बार कहना चाहूंगा कानून व्यवस्था खराब होने की बात कही गयी हमने काफी आदमी गिरफ्तार किये तथा गैंगेस्टर में भी तमाम लोगों के विरुद्ध मुकदमें कायम करा दिये हैं । अगर कानून व्यवस्था खराब है है तो गैंगेस्टर ऐक्ट में इतने कैसे बन्द हो गये । मान्यवर, जो पकड़े गये वे निर्दोष हैं, जो नहीं पकड़े गये वे दोषी हैं । मान्यवर, जो मशीनरी लगी हुई है उस मशीनरी की जिम्मेदारी है देखें कि कहां अपराध होता है ? घटना की विवेचना करने के बाद अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है । इनकी एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिकायत है कि अपराधी क्यों गिरफ्तार किये गये हैं यह मानते हैं कि जो गिरफ्तार किये गये वे निर्दोष हैं जो नहीं गिरफ्तार किये गये, वे दोषी हैं । मान्यवर, उसके बाद तो न्यायालय है मुकदमा न्यायालय में जायेगा और दोषी और निर्दोष कर फैसला हो जायेगा । जो नहीं पकड़े गये दोषी हैं । मान्यवर 1-1-2001 से 31-3-2001 तक का जो है । मान्यवर, समरपाल सिंह विधान सभा सदस्य हैं वह बैठक में मौजूद भी नहीं थे जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था तो आप वहां नहीं थे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब कहा कि बताओ कानून व्यवस्था में सुधार है मैंने सुना था। देखते नजारा, जो पब्लिक सुनने को आयी थी । मान्यवर, 1-1-2001 से 31-3-2001 तक डकैती की संख्या में 4.5 प्रतिशत की कमी आयी, गृहभेदन में 2.2 प्रतिशत की कमी आयी, रोड होल्ड अप में 27.7 की कमी आयी । इसी प्रकार हर प्रकार के अपराधों में कमी आयी । 105 अपराधियों को एन० एस० ए० में, 299 के विरूद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट, 992 के विरूद्ध गुण्डा ऐक्ट में, 7057 को, शस्त्र ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाई की गई । मान्यवर, अपराध को रोकने की तरकीब आपके पास है तो आप बता दीजिए मजबूती से कार्यवाई हो जायेगी । मान्यवर, बराबर उत्तर प्रदेश पर प्रहार रहा है जो अनधिकृत रूप से हथियारों को बेचने का संरक्षण का बंद करा दिये, बन्दूक बनाने की 109 फैक्ट्री पकड़ी गई । हैण्ड ग्रेनेड–2. बम–1. रायफल–15. पिस्टल–18 यह फैक्ट्री मेड और देशी 3861. बन्दूक 270. कारतूस–9349 यह 1-1-2001 से 31-3-2001 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माल बरामद किया है । इसके बावजूद एक सामाजिक संरचना नजर आ रही है, एक आत्मविश्वास आया है कि हम सरकार के हाथों में सुरक्षित हैं । वरना लोगों ने इस अपहरण को उद्योग बनाकर रख दिया था । हमने उस उद्योग को समाप्त किया और आगे भी समाप्त करेंगें । आज गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नोयडा की बात करते हैं जहां पर उद्योगपति पलायन कर रहे थे, अपहरण के डर से कि लोगों के संरक्षण में अपहरण किये जा रहे थे, यह आप जानते हैं । प्रदेश सरकार ने मजबूती के साथ उन ताकतों को समाप्त करने का काम किया है । आगे भी हम आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेंगें । मान्यवर, यह कार्यस्थगन प्रस्ताव बनता नहीं है अतः इसे निरस्त करेंगे की क्या करें ।

श्री कौकब हमीद–

पहले पलायन कर रहे थे और आज आ गये, यह कब से सुधार आया है । यह दो-तीन साल की बात है या 15 दिन की बात है ?

श्री हुकुम सिंह–

अपहरण को उद्योग का दर्जा किसने दिया, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है । किसने समाप्त किया, वह हम लोग हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः इसे निरस्त करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि उद्योगों का पलायन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रहा था वह कानून-व्यवस्था ठीक होने से रुक गया और उद्योग लगने लगे । पिछले 3 महीने में कितने उद्योग लगे ? लोनी क्षेत्र के अन्तर्गत ट्रोनिका सिटी बनायी गयी थी वहां एक भी उद्योग स्थापित नहीं हो पाया । सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली से हटने वाले उद्योगों को इस क्षेत्र में लगाया जाये लेकिन कानून-व्यवस्था ठीक न होने की वजह से एक भी उद्योग नहीं आये ।

श्री हुकुम सिंह–

समरपाल सिंह जी आप दायें-बायें देखते नहीं है । पहले लोनी क्षेत्र के ट्रोनिका सिटी में उद्योग के सारे प्लाट खाली नहीं है । नोयडा और ग्रेटर नोयडा में शिविर लगाकर पंजीकरण किया गया और हजारों की संख्या में उद्योगपति आये, आपको पता नहीं है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, एक भी फैक्ट्री का नाम बता दें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी, सदन में गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

नवाब साहब, नवाबी अब चली गयी है, सदस्य के रूप में आप बात कर लें । जितने फ्लाट ट्रोनिका सिटी में थे उसके साढ़े तीन गुना बुकिंग हो चुकी है ।

श्री रूप चौधरी–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, जितने वहां प्लाट थे उससे कहीं ज्यादा की बुकिंग हो चुकी है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब कानून व्यवस्था बेहतर हो गयी, तो वहां कानून व्यवस्था बेहतर होने के बाद कौन से उद्योग लगे हैं इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, प्रदेश सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है, मान्यवर, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं कि वहां जो उद्योग लगे हैं उनमें से यह किसी भी एक उद्योग का नाम बता दें । यह सरकार इस विषय में कोई सही जबाब नहीं दे रही है इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं, मान्यवर, चौधरी मुल्तान सिंह डेन्टल कालेज टूण्डला जनपद, फिरोजाबाद जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है में, वर्ष 1999-2000 में सी० पी० एम०टी० 1998 द्वारा चयनित 25 छात्रों को फ्री-सीट पर भेजा गया और 35 छात्र की मैनेजमेंट कोटे से आये, इस तरह से कुल 60 छात्र थे । फ्री-सीट पर जो 8 हजार प्रति छात्र ली जाती है, उसकी जगह पर 65 हजार फीस ली गई । स्टूटेण्ट्स ने ड्राफ्ट से पेमेंट किया है, वहां पर हास्टल नहीं है, प्राइमरी स्कूल को हास्टल बना दिया गया और उसके लिए 50 हजार रुपये सालाना छात्रों से लिया गया, वहां पर एक भी हैण्ड पम्प नहीं है, छात्र घड़े से पानी लेते हैं और उसी घड़े के पानी से मरीज भी अपने हाथ धोते हैं, वहां पर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है और वहां पर लैट्रिन की भी कोई व्यवस्था नहीं है । अस्पताल जो 10 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए उसकी जगह पर वह 22 किलोमीटर दूर है । पेमेंट सीट पर जो 75 हजार रुपये सालाना फीस लेनी चाहिए उसकी जगह पर 1 लाख 35 हजार रुपये फीस के रूप में लिया गया है । इस तरह से 60 छात्रों का भविष्य अधर में है उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं पर रोक लग गयी है, डेढ़ दर्जन छात्र लखनऊ में घूम रह हैं जिसमें से 4 छात्र हमारे प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र के हैं । इन छात्रों में से उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश, राजस्थान के भी दो चार छात्र हैं, और बीस, तीस छात्र अन्य जनपदों के हैं, छात्रों ने जब इस संबंध में विरोध प्रकट किया तो उनके साथ वहां

के डायरेक्टर उनके लड़कों, तथा उनके गुण्डों द्वारा मार-पीट की गई और वहां पर जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनके साथ मार-पीट की जाती है और उनसे पैर दबवाने का काम कराया जाता है, वहां के छात्र 23 मार्च को मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यमंत्री ने डी० एम० की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जिसकी रिपोर्ट 10 दिन पहले आ गई है । वहां के प्रधानाचार्य ने कालेज छोड़ दिया है और लखनऊ में ज्वाइन कर लिया है, वहां पर न तो अध्यापक है, और न बिल्डिंग है, और जो बिल्डिंग है भी उसकी चुनाई गारे से की गयी है । मान्यवर, 35 छात्रों ने 10-10 लाख रुपये डोनेशन देकर एडमीशन पाया था वह छात्र केवल एक वर्ष क्लियर कर पाये हैं कुलाधिपति महोदय ने 24-2-2000 को आदेश दिया था और अनियमितताओं का उल्लेख किया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में चौधरी मुल्तान सिंह डेंटल कालेज टूण्डला जनपद, फिरोजाबाद की मान्यता प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । मान्यवर, वहां के छात्रों के साथ मारपीट करके उनको भगा दिया गया और छात्र लखनऊ में घूम रहे हैं उनके लिये ठहरने की कोई जगह नहीं है । उनसे हेपेटाइटिस–बी का टीका लगाने के लिये उनसे धन लिया गया लेकिन उनके टीका नहीं लगवाया गया जिससे कई छात्रों को हेपेटाइटिस–बी और पीलिया हो गया है । वहां पर काउंसिल उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी और 25 छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था । आज जो स्थिति है कि उन छात्रों को सेकिंड इयर की अनुमति नहीं दी गयी है । बच्चों से फीस ली गयी है वह बच्चे कहां जायं ? 60 बच्चों का भविष्य चौपट होने जा रहा है । मैं इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन छात्रों को कहीं अन्यत्र कालेज में उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिलवायी जाय और उनको संरक्षण दिया जाय । वहां ऐसी परिस्थितियां हैं । प्रबन्ध तंत्र धमकी दे रहा है इसलिये मेरी मांग है कि उन बच्चों को संरक्षण दिया जाय और दूसरी जगह से संबद्ध करके उनकी परीक्षा करायी जाय और इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करायी जाय।

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, जैसा माननीय नरेन्द्र सिंह भाटी जी ने कहा चौधरी मुल्तान सिंह डेंटल कालेज, टूंडला में छात्रों का प्रवेश किया गया और वहां पर उनके साथ जो ज्यादतियां हुयीं हैं उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां के छात्र मुझसे मिले थे । वहां पर अनियमितताओं का पता चलने पर सरकार ने जिलाधिकारी से जांच करायी और जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । उस कालेज को कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है और भारत सरकार और डेंटल काउंसिल आफ इंडिया को लिखा जा रहा है कि इस कालेज के खिलाफ कार्यवाही करें । चूंकि डेंटल कालेज की मान्यता डेंटल काउंसिल आफ इंडिया से मिलती है इसलिये जैसे ही वहां से निर्देश प्राप्त होंगे तुरंत कार्यवाही की जायगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, छात्रों की परीक्षा के लिये क्या कर रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि छात्रों के भविष्य का सवाल है उनकी परीक्षा दूसरी जगह कराने की संबंध में शासन क्या व्यवस्था कर रहा है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, डेंटल कालेज की जो मान्यता होती है वह डेंटल काउंसिल आफ इंडिया से मिलती है । सरकार इस प्रकरण पर गंभीरता से विचार कर रही है और उस पर निर्णय लेगी ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, आप जानते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि यह छात्रों के भविष्य की बात है । आप कालेज के खिलाफ कार्यवाही तो करेंगें लेकिन जो छात्रों का वर्ष बेकार जा रहा है उनकी परीक्षा की घोषणा आपको करनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह बच्चे कंपटीशन से आते हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं है चूंकि छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है इसलिये सरकार उनकी परीक्षा कराने के संबंध में क्या निर्णय कर रही है ? यह सदन जानना चाहता है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

नेता प्रतिपक्ष और कई अन्य सदस्यों ने इस पर अपनी बात रखी मैं इसकी लीगल टेक्निकल्टी देखकर निर्णय लूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

लीगल टेक्नीकल्टी क्या हो सकती है । बच्चे चयनित हैं सी०पी०एम०टी० से नियमानुसार एडमीशन हुआ है । फीस भी जमा की । उनका ट्रांसफर दूसरे कालेज में कर देना चाहिए वहीं परीक्षा हो जाये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

लड़कों का भविष्य खराब न हो । परीक्षा उनकी हो जाये । यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

यह सारा प्रकरण डेंटल काउंसिल आफ इंडिया के अन्तर्गत है । हम छात्रों के हित का पूरा ध्यान रखेंगे । लेकिन लीगल टेक्नीकल्टी को देखना पड़ेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

लीगल टेक्नीकल्टी क्या हो सकती है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

डेंटल काउंसिल आफ इंडिया से इनकी फीस निर्धारित होती है । फीस पर डेंटल काउंसिल आफ इंडिया, से मार्ग दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा । मैं भी एक शिक्षक हूं इस नाते छात्रों की समस्या का कैसे, समाधान हो, इस पर गम्भीरता से विचार कर लेंगे ।

श्री शिव सिंह चक–

मान्यवर, वह छात्र दर-दर भटक रहे हैं । वह मुझसे भी कल मिले थे । विधान सभा के सामने वह धरने पर बैठे हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह वर्ष उनका खराब न हो तथा उनका भविष्य खराब न हो ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सदन की चिन्ता है, जो बच्चे काउंसिल से जाते हैं उनकी सरकार व्यवस्था करती है । सरकार की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है । सरकार पूरी तरह से शामिल रहती है । जिन बच्चों की इस समय परीक्षा नहीं हो पाई है उनका जीवन अन्धकारमय हो जायेगा उनके सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट वक्तव्य आ जाना चाहिए । उनके लिए आप क्या चिन्ता कर रहे हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

अधिष्ठाता महोदय, छात्रों का हित कैसे सरंक्षित हो इसको ध्यान में रखकर टोटलिटी में विचार कर लेंगे और निर्णय करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

उनका भविष्य अन्धकारमय न हो इसके लिए निर्णय सरकार लेगी ।

इस सूचना पर माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–56 के अन्तर्गत सूचना नहीं आती इसलिए मैं इसे निरस्त कर रहा हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री अशोक बाजपेई तथा कुंवर रेवती रमण सिंह की सूचना अस्वीकृत हुई। नियम–311 में एक सूचनार्थ श्री वकार अहमद शाह और मुश्ताक सोलंकी की मैं इसे नियम–56 में सुन लेता हूं।

डा० वकार अहमद शाह–

अधिष्ठाता महोदय, कानपुर के दंगे में बोलने का मुझे मौका दिया गया है। इस दंगे में दुखद अध्याय यह रहा कि 16 मार्च, 2001 को वहां जो झगड़ा हुआ था, वह क्यों हुआ, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। वहां 16 लोगों की मौत हुई इसमें 13 मुस्लिम समुदाय के लोग थे उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने वहां 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। आज तक उनको कोई सहायता नहीं मिली। इसके अलावा वहां बराबर दंगे होते चले जा रहे हैं अभी 28 तारीख को परेड में 138 मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें जलाई गईं और इस प्रकार से [× × ×] कुछ ऐसे तत्व जो चाहते हैं कि हिन्दु मुस्लिम समाज में दंगा हो इस प्रकार के दंगे करा रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मुझे आपत्ति है। अगर इस प्रकार के सेंस्टिव इश्यू पर महत्वपूर्ण संस्थाओं का नाम लिया जायगा तो यह ठीक नहीं है। आपने कृपापूर्वक इसको नियम–56 में ले लिया है तो इस प्रकार के बिन्दु पर बिन्दुवार सीमित होकर कहना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

यह बड़ा संवेदनशील मामला है तो इस प्रकार के मामले पर हमें अपनी भाषा पर नियंत्रण रख कर कुछ कहना चाहिए। इससे पूर्व संस्थाओं के नामों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, मैं तो केवल इतना कह रहा था कि यह सब अफवाहों के आधार पर फैलाया जा रहा है। यह दंगा किसी और की साजिश है जो समाज में एकता नहीं चाहते हैं। मेरे क्षेत्र बहराइच में 1100 साल से दरगाह पर जेठ के महीने में मेला लगता है वहां पर 70 फीसदी हिन्दू भाई मेले में शरीक होते हैं लेकिन दो साल से वहां सुहलदेव उत्सव मनाने का षडयंत्र रचा जा रहा है। आज भी वहां प्रचार हो रहा है और माननीय मुख्य मंत्री जी 13 तारीख को वहां जा रहे हैं। यह अफवाह भी फैलायी जा रही है कि दरगाह के सूरजकुण्ड को खोदा जायेगा। लेकिन वहां का पूरा प्रशासन उदासीन बना हुआ है कानपुर की तरह वहां भी दंगा भड़क सकता है। इस तरह की अफवाहों पर रोक लगाई जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यहां अगर कुछ बात कही जा रही है तो उसका कुछ आधार तो होना चाहिए। बिना आधार के यहां पर कोई बात नहीं कही जा सकती।

श्री जटा शंकर सिंह–

मान्यवर, बहराइच के संदर्भ में विधायक श्री वकार अहमद द्वारा सदन को गुमराह किया जा रहा है यह कहकर कि वहां पर दरगाह में दो साल से सुहलदेव का मेला लगाया जा रहा है। श्रावस्ती के राजा सुहलदेव बहुत ही पूज्य राष्ट्रभक्त, सांस्कृतिक महापुरुष थे। वहां पर आक्रमणकारी सय्यद मसूद गाजी को राजा सुहलदेव ने एक युद्ध में मार गिराया था और वहीं पर उनके प्राण निकले थे तब से वहां पर सैय्यद का मेला और साथ ही साथ महराज सुहलदेव मेला भी लगता चला आ रहा है। वहां पर

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कोई साम्प्रदायिक तनाव आज तक नहीं हुआ है और न ही ऐसी कोई अफवाह फैलाई जा रही है। वहां पर यज्ञ होता है, बड़े-बड़े आयोजन होते हैं। मान्यवर, यह कहना कि वहां पर कोई षडयंत्र रचा जा रहा है, यह एक कुत्सित भावना है। माननीय मुख्य मंत्री जी का फर्ज है वह हर तरह के आयोजनों में जायं, चाहे वह महाराजा सुहलदेव को पुष्प अर्पित करने ही जा रहे हैं तो वह साधुवाद के पात्र हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम–311 में डा० वकार अहमद शाह की जो सूचना थी, उसको नियम–56 में आपने सुनने का आग्रह किया था, उसको स्वीकार किया था और प्रारम्भ में ही जब आपत्ति आई, मैंने आग्रह किया था कि कोई ऐसी बात सदन से बाहर न निकले जिससे प्रदेश की शांति और अमन के लिए खतरा बने। हम जिम्मेदार माननीय सदस्यों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उसको कोई तोड़ने जा रहा है, अगर इस तरह का एक भी शब्द बाहर छपे तो उसका क्या परिणाम होगा। कल उसके कारण यहां चर्चा होगी। इसलिए यह उचित नहीं है। मैंने आपकी बात को भी सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को भी सुना। दोनों को सुनने के बाद मैं इसको निरस्त कर रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय....

नेता विरोधी दल के भाषण के समय मा० मुख्य मंत्री एवं उच्चाधिकारियों को सदन में उपस्थित रहने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक मान्य परम्परा रही है कि जब नेता विरोधी दल बजट पर बोलें तो उस समय वित्त मंत्री जी तो यहां हैं ही, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी रहना चाहिए और इससे संबंधित जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको भी रहना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मान्य परम्परा का यहां पालन होना चाहिए।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

बजट चूंकि प्रस्तुत किया था माननीय वित्त मंत्री जी ने। बजट के ऊपर यह चर्चा है, और उत्तर भी वित्त मंत्री जी ही को देना है। आम तौर से यह विभाग मुख्य मंत्री जी के पास रहा है इसलिए आप यह अनुमान लगा रहे हैं। उत्तर इन्हीं को देना है। वैसे भी कैबिनेट में यह नम्बर दो पर हैं।

श्री अधिष्ठाता–

नेता प्रतिपक्ष के भाषण जो कि वे बजट चर्चा में देते हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों को तो यहां रहना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है, मैं इसको अभी सुनिश्चित कराता हूं।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने ऋण से अत्यधिक बोझिल उत्तर प्रदेश का बजट सदन में जो प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में अगर यह कहा जाय कि वो केवल आंकड़ों

नोट :– † दिनांक 1 मई, 2001 की कार्यवाही से।

का मकड़जाल है और इस बजट से प्रदेश की जनता को कहीं दूर तक कोई भला होने वाला नहीं है। चाहे वह किसान हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यवसायी हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या दलित हो, सभी को निराशा इस बजट से हुई है और निराशा होना स्वाभाविक इसलिए भी है कि हमारे वित्त मंत्री की भी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि उनका प्रशासनिक व्यय सौ गुना बढ़ गया है पीछे से और जो आय है उसके स्रोत घटते चले जा रहे हैं और इसी वजह से जो प्रदेश का विकास होना चाहिए था और विकास के लिए जो धन लगना चाहिए था वह विकास के लिए धन न लगा करके केवल अधिकारियों के ऐशो-आराम और वेतन भत्ते और तमाम तरह के दूसरे उपाय धन लूटने के बना रखे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी की भी मजबूरी है और मजबूरी के संबंध में यह कहना है कि मजबूरी तो है लेकिन आंकड़े गलत प्रदर्शित नहीं करने चाहिए थे, जो वास्तविक स्थिति थी उसको सदन के पटल पर रखना चाहिए था जिससे प्रदेश की जनता यह जान सकती थी कि प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है ? श्रीमन्, आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें घाटा प्रदर्शित किया है कुल मिलाकर लगभग 717.80 क़रोड़ का। श्रीमन्, यह सही नहीं है आपने लोक लेखा से धन लेकर और जो शुद्ध घाटा था उससे उस ब्याज को भी घटा दिया सही घाटा समेकित निधि का घाटा था और यह 2476.59 करोड़ का है। 2521.94 करोड़ लोक लेखा से ले लेंगे पिछला घाटा 2000-2001 का है उसको जोड़ते हुए 717.80 करोड़ घाटा प्रदर्शित कर दिया। लोक लेखा को आय का स्रोत कैसे बता सकते हैं ? लोक लेखा टैक्स की वसूली की धनराशि नहीं है। लोक लेखा में आता है सारे अधिकारियों, कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फण्ड, वादी की जमा की हुई सिक्योरिटी की धनराशि, ठेकेदार की सिक्योरिटी की जमा की हुई धनराशि, इससे मिलकर लोक लेखा बनता है। लोक लेखा की राशि की किसी समय आवश्यकता पड़ सकती है और पड़ती है, विवाह, शादी, बीमारी, मकान बनवाने में सरकारी कर्मचारियों को वह अग्रिम लेते हैं कोई वाद खत्म होता है तो सिक्योरिटी वापस होती है किसी संस्था का रिजर्व फंड है वह संस्था अगर खत्म होती है तो उसको पैसा वापस करना होता है। तो लोक लेखा का पैसा वापस होने वाला है यह दूसरे की अमानत है। प्राविडेन्ट फंड पर ब्याज भी आपको देना पड़ता है। सरकार ब्याज भी देती है, रिजर्व फंड पर ब्याज देती है। जब ब्याज देती है तो फिर आपकी आमदनी कहां हुई ? वह तो कर्ज की धनराशि हुई और जो कर्जे की धनराशि है उसको आपको लौटाना पड़ेगा। तो कैसे जो समेकित निधि का घाटा है उसको समायोजित करके आप कम कर सकते हैं। मान्यवर, इसीलिए स्थिति यह बनती है कि जो वास्तविक घाटा हुआ करता है वह वर्ष के अन्त में बढ़ जाता है और उसके लिए फिर अनुपूरक मांग प्रस्तुत करते हैं। इस साल तो आपने दो-दो बार प्रस्तुत कीं। श्रीमन्, हमारे बहुत से विद्वान साथी यह जानते होंगे कि इस वर्ष जो सप्लीमेन्टरी बजट प्रस्तुत की गयी उसमें कोई मद के लिए टैक्स नहीं है। यह आंकड़े सही नहीं हैं। जनता जान ले कि यह घाटा नहीं है, जनता यह जान ले कि टैक्स नहीं लगाया गया है और यह कर रहित बजट है। इसीलिए विगत वर्ष जो आपका राजकोषीय घाटा था जो आपकी समेकित निधि का भी घाटा था वह वास्तविक घाटा जो आपने दिखाया था लगभग छः सौ करोड़ लेकिन बढ़ गया 618.87 करोड़ और अन्त में जब पुनरीक्षित हुआ तो वह 2220.57 करोड़ हो गया। इसलिए हुआ कि आंकड़े सही नहीं थे। आंकड़े गलत मत दीजिये। जनता को सही चित्र जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति का है वह देखने को मिले इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए थे। आपने कहा कि कर रहित बजट है और पिछली बार कर रहित बजट प्रस्तुत हुआ और बाद में टैक्स लगाये गये। ड्राइविंग लाइसेंस पर दो गुना टैक्स लगा दिया गया। कल ही मैंने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन वाहन पर दो गुना और धीरे-धीरे जनता पर लगातार डालते रहे। दुख की बात तो यह है कि फिर भी ऋण लेने की आपको आवश्यकता पड़ी। विगत वर्ष भी आप देखेंगे जब 2000-2001 में आपकी जो ऋणग्रस्तता थी वह थी 77 हजार 66 करोड़ और इस वर्ष यह बढ़ने का पूरा-पूरा अनुमान है। 2001-2002 में 85 हजार 598 करोड़ के आसपास ऋण हो जायेगा और जब इतना ऋण हो जायेगा तो ब्याज अदायगी में 11.12 करोड़ चला जायेगा। तो आप कैसे विकास करेंगे प्रदेश का ? यह सब क्यों

हुआ और कब से हुआ ? श्रीमन्, 1995 के पहले 21,000 करोड़ रुपये इस प्रदेश पर ऋण था अब आज यह बढ़कर 4 गुना हो गया है, जब से आपकी सरकार आयी है कुछ दिन मायावती जी की सरकार रही एक बजट उन्होंने प्रस्तुत किया। श्रीमन्, क्यों है ऐसा ? आपके अनुत्पादक खर्च लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या जरूरत है 90 मंत्रियों की 15–20 मंत्री भी इस प्रदेश में रहे हैं और उनका खर्चा भी कम रहा है लोगों के ऐशो आराम पर आज तमाम व्यय हो रहा है। आपका 100 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय बढ़ गया है उससे इस देश की हालत जर्जर हो गयी है। इंजन मैं मान लूं माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था के सारे डिब्बे पटरी से नीचे उतर गये हैं कहीं इंजन में आपने इतनी शक्ति देखी कि इंजन उन डिब्बों को खींचकर पटरी पर लायें। अब जी उपाय शेष रह गया है वह यह कि इंजन बंद कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए कि अब गाड़ी चलने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता आपकी प्रशंसा करेगी और इसलिए प्रशंसा करेगी कि वस्तुस्थिति ऐसी आ गयी है कि भाजपा सरकार स्वयं के सदस्यों और मंत्रियों की वजह से अब पटरी पर अर्थव्यवस्था को नहीं ला सकती है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर, अच्छा ही हुआ। मान्यवर,अभी प्रश्न उठा था विधान सभा के कार्यकाल पर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि विपक्ष चाहे तो हम अक्टूबर में चुनाव करा लेंगे मैं तो कहता हूं कि कल करा लीजिए अगर हिम्मत हो तो पता चल जायेगा। जो भी हो मैं नहीं कहता कि क्या होगा ? अक्टूबर में तो करा ही लेना चाहिए। सारा विपक्ष–प्रमोद तिवारी जी, कुंवर रेवती रमण सिंह जी तथा अन्य माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि पांच साल से ज्यादा विधान सभा नहीं चलनी है। चुनाव पांच साल के अन्दर होने चाहिए परम्परा ऐसी रही है लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की घोषणा शायद वित्त मंत्री जी को अधिकार नहीं है कि कह सकें। माननीय मुख्य मंत्री जी को शायद वह समझा बुझाकर अक्टूबर में चुनाव करा दें और इसकी आज ही घोषणा करवा दें ताकि प्रदेश की जनता राहत की सांस ले सके और जो लगातार ऋण के बोझ से जकड़ता जा रहा है, उससे छुटकारा मिल सके। आपका इस साल का जो बजट है उसमें पिछले बजट से बढ़ोत्तरी हुई है करीब 8 प्रतिशत। हर वर्ष जो हमारे कर्मचारी हैं उनका इंक्रीमेण्ट लगता है और कर्मचारियों को फण्ड पर ब्याज मिलता है तो प्रशासनिक खर्च और महंगाई की वजह से हर वर्ष 10 प्रतिशत खर्चा बढ़ जाता है तो 10 प्रतिशत भी पूरा दिया होता तो बजट में तब भी विगत वर्ष से इस चालू वर्ष में एक भी विकास काम नहीं हो चुका था। हालांकि आपने कुछ नयी मदें जोड़ी हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी सरकार हो, चाहे प्रदेश की हो या केन्द्र की हो उसका यह कर्तव्य हुआ करता है कि देश की जनता की खुशहाली के लिए एक-एक पैसा बजट का इस तरह से व्यय हो जिससे खुशहाली बढ़े। श्रीमन्, यह तभी सम्भव हो सकता है जब पूंजीगत व्यय आपका बढ़े, जब आयोजनागत व्यय आपका नहीं बढ़ता है तो फिर विकास की सम्भावनायें कम हो जाती हैं। श्रीमन्, विगत वर्ष आयोजनागत व्यय आपका था 11,442.42 करोड़ और इस वर्ष जो आपने रखा है वह 10,156.80 तो इसमें आपने स्वयं ही इस प्रदेश की खुशहाली के लिए कम धन आवंटित किया है ज्यादातर आयोजनेत्तर व्ययों में खर्च हो जायेगा पैसा। आयोजनागत कार्यों में पैसा खर्च नहीं हुआ और जैसे आयोजनागत कार्यों में पैसा खर्च होता पिछले 4-5 वर्षों में तो आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति यह नहीं होती। हम कुछ यहां पर आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करेंगे चाहे कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा हो या सिंचाई या दूसरी मदें हो, पिछले वर्ष से इस वर्ष माइनस बजट है तो उनमें किस तरह से बढ़ोत्तरी की जा सकती है ? कैसे उसके जरिये जनता की खुशहाली हो सकती है। कैसे सिंचाई बढ़ाई जा सकती है? कैसे कृषि क्षेत्र का बढ़ावा हो सकता है ? कैसे स्वास्थ्य में बढ़ोत्तरी हो सकती है ? तो संक्षेप में कुछ इस तरह के आंकड़े यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्रीमन्, इस वर्ष जो बजट आवंटन हुआ भूमि विकास एवं जल संसाधन पर 2.88, यह 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बल्कि चौथाई पशुधन पर 0.74 ठीक है, दुग्धशाला विकास पर ऋण 19.16 करीब 1/5 पिछले साल से, दुग्ध विकास पर पैसा कम रखा, पंचायतीराज पर ऋण 8.45 परसेन्ट, कृषि

पर 6.9 परसेन्ट, चिकित्सा शिक्षा पर ऋण 1.5, चिकित्सा आयुर्वेद और यूनानी पर ऋण 2.72 नगर विकास पर ऋण 18.48, चिकित्सा व स्वास्थ्य पर 3.36 और नियोजन पर ऋण 44.86, परिवहन विभाग जो बहुत ही खस्ताहाल है ऋण 1.83, पर्यटन पर ऋण 51.83 और पर्यावरण पर जो सारे विश्व की समस्या है इसमें पर्यावरण विभाग का है ऋण 32.26 और प्राविधिक शिक्षा पर ऋण 27.84, मुस्लिम वक्फ पर ऋण 6.89, राजस्व दैवी आपदाओं पर ऋण 36.6, इसी तरह से, वन विभाग पर ऋण 27.48, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ऋण 82.2, माध्यमिक शिक्षा पर 4.75, माध्यमिक शिक्षा में छात्रवृत्ति देंगे, उसमें भी आपने रखा है, ऋण 7.02, उच्च शिक्षा में ऋण 20.83 और समाज कल्याण पर आपने, जो व्यय करेंगे, इस वर्ष, वह पिछले वर्ष से 9.16 प्रतिशत कम है। यह सब कम प्रतिशत की बातें बतला रहा हूं। छात्रवृत्ति जो देंगे आप, दलित छात्रों को, उसमें भी आधी से ज्यादा कमी कर दी है। ऋण 50.86 प्रतिशत और सैनिक कल्याण जो जूझते हैं, उनके लिए ऋण 13.38 प्रतिशत। इस प्रकार श्रीमन्, यह प्रमुख विभाग हैं, इन सबमें पिछले वर्ष से ऋणात्मक धन आपने आवंटित किया है। विगत वर्ष हमारे माननीय सदस्यों ने देख लिया कि कितना विकास हुआ और इस साल क्या होगा ? हम इसमें 4-6 प्रमुख विभागों के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में, उनकी दशा के बारे में यहां पर अपनी बात संक्षेप में रखना चाहेंगे। विस्तार पर रखने में 2-3 दिन भी रखा जाय तो सम्भव न होगा। इस समय देश की जो स्थिति है, आम जनता की जो स्थिति है, उसके बारे में हम थोड़ा सा दृष्टिपात करना चाहेंगे। श्रीमन्, इस प्रदेश और देश में, बल्कि दुनिया में जो धनी हैं, वह धनी होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। दुनिया में 3 ऐसे शरमायेदार हैं जो दुनिया के विकासशील देश हैं, उनमें 60 करोड़ लोगों के पास कितना धन है, उतना धन उन केवल 3 लोगों के पास है। श्रीमन्, जितने विकसित देश हैं, यहां पर आधे लोग, 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 2 डालर, जिनका प्रतिदिन का खर्च आता है, उनकी सामर्थ्य इतनी है कि वह 2 डालर प्रतिदिन खर्च करते हैं। लेकिन इसके विपरीत हिन्दुस्तान में सारे देश का औसत एक अमेरिकन डालर एक दिन खर्च करने लायक हमारा देश नहीं है।

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए।)

इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है ? श्रीमन्, हमारे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है, बिहार को छोड़कर, सारे प्रदेशों में जो औसत आय है उस सबसे पिछड़ा हुआ है। पंजाब में प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 18213 रुपये है, मध्य प्रदेश में जो दो साल सूखे गुजरे हैं, उसकी प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी है 7455 रुपया और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक व्यक्ति की जो औसत आमदनी है वह है 6713 रुपया सालाना, केवल बिहार हमसे नीचे है। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, हमसे ज्यादा औसत आमदनी वाले हैं। केवल हम बिहार से ही आगे हैं, हम बिहार की राह पर ही चल रहे हैं। हमारा जो नियोजन है उससे सम्भव है कि हम बिहार की जो स्थिति है उसी स्थिति पर पहुंच जायें, ऐसा हमें खतरा महसूस हो रहा है। श्रीमन्, अब हम बात करना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में पहले खेती पर व्यय जो होता था वह अब से ज्यादा था और उस समय विकास दर जो थी वह 3.7 थी, कृषि विकास दर और अब आ गयी है 1.5 पर, यानि आधे से भी कम। जो विकास की दर है धीरे-धीरे ह्रासोन्मुखी होती जा रही है। आबादी बढ़ रही है। अभी जनगणना में शायद 17 करोड़ से भी ज्यादा प्रदेश की आबादी हो गयी है और जो सारे देश की आबादी है उसका लगभग 1/6 है और खेती की पैदावार हमारी नीचे चली जा रही है। जब खेती की पैदावार नीचे होगी, आबादी बढ़ेगी, तब हालत क्या होगी निकट भविष्य में, अगले वर्षों में, भुखमरी फैलेगी। हमारे उच्च नेता, नाम नहीं लूंगा, हरियाणा में पहुंचते हैं और कहते हैं कि अब किसान को गेहूं और धान से अपना ध्यान हटाना चाहिए, गेहूं और धान पैदा करने से किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। बड़े दुख की बात है, अगर गेहूं–धान पैदा नहीं होगा और पैदा नहीं हुआ होता तो फिर इस आबादी को खिलाने के लिए अन्न कहां से आता। क्या विदेशी गेहूं का आयात करके इस देश और प्रदेश की जनता को मिला करके

जिन्दा रखा जा सकता है और कब तक जीवित रखा जा सकेगा ? इस बीजेपी सरकार के समय से चार वर्ष के अन्दर चार गुना कृषि उत्पाद, विदेशी कृषि उत्पाद इस देश में आने लगा है । श्रीमन्, इसीलिए आपने दुग्ध विकास पर ऋणात्मक पीछे से बहुत कम धनराशि, मैंने अभी प्रस्तुत किया था सदन में आंकड़ा कि दुग्ध विकास पर 29 परसेन्ट से भी अधिक धनराशि कम कर दी है । श्रीमन्, इसलिए कि विदेश से दूध आ रहा है 5-6 रुपये । यहां दूध की जरूरत नहीं है । दूध पर टैक्स लगाने की घोषणा कर चुके हैं । दूध उत्पाद को एक लीटर पर अब 15 पैसे टैक्स देना पड़ेगा । जो विदेशों से दूध मंगायेंगे टैक्स देकर महंगा पड़ेगा । यहां का किसान जो पशुपालन भी करता है, खेती भी करता है, कुछ लोग अलग से डेरी खोले हुए हैं । कौन डेरी खोलेगा ? क्यों पशुपालन करेंगे ? क्या घाटे का सौदा कोई करना चाहेगा ? अन्ततोगत्वा मैं यह कहना चाहता हूं कि किस तरह हरित क्रान्ति इस देश में आयी थी वह सब नष्ट हो जायेगी । हरित क्रान्ति आयी, पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई और उसकी वजह से हमारे देश में बहुत स्टाक है और जो स्टाक है वह खराब हो रहा है । इस सरकार की, भाजपा सरकार की नासमझी, अदूरदर्शिता से भण्डारों में करोड़ों मीट्रिक टन गेहूं और चावल सड़ने की स्थिति में है । क्या समुद्र में फेंका जायेगा । 3 रुपये में बेंचा जायेगा । हम धान उत्पादकों को लागत मूल्य देंगे, समर्थन मूल्य देंगे । पाकिस्तान ने दिया और पाकिस्तान ने क्यों 700 रुपये में जो चावल है वह अफ्रीका देशों, अरब देशों में भेज दिया 2 रुपये में क्यों नहीं दे रही है । विदेशी मुद्रा लाने की कोशिश करें, 600 रु० में बेंच दीजिए और इसलिए बेच दीजिए कि कम से कम विदेशी मुद्रा तो अर्जित होगी । विश्व का बाजारीकरण हो रहा है सिर्फ धान की जरूरत हिन्दुस्तान में क्यों ? क्या इससे देशी की खुशहाली बढ़ेगी, देश का पैसा तो विदेश में जायेगा । जो पूंजीपति हैं वह उन चीजों को खरीदकर ऐशो-आराम कर सकते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहा है वह सिर्फ 40-45 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हैं । ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं । गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले ये लोग विदेशी सामान खरीद करके उनका उपभोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित तरीके से देश गरीबी की तरफ बढ़ेगा और मैं फिर यह दोहराना चाहता हूं कि गरीबी तब मिटेगी जब बेकार को काम मिलेगा । अगर बेकार को काम नहीं मिलता है और काम नहीं तो दाम नहीं । उसको काम मिलेगा तो दाम उसकी जेब में आयेगा । जब दाम होगा तो क्रय करने की शक्ति बढ़ सकेगी । जो उसकी आवश्यकता की चीजें हैं उसके उद्योग-धंधे खुलेंगे । इस देश के उद्योग-धंधों को चौपट करने के लिए बी०जे०पी० की सरकार ने कसम खा ली है कि नष्ट ही कर देंगे । मैं एक बहुत साधारण उदाहरण देना चाहूंगा । हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी के प्रचलन से देश के बहुत से भूखे और नंगे लोगों को रोजी-रोटी और पहनने के लिए कपड़े का अवसर दिया और पिछली सरकारें खादी पर साल भर किसी न किसी रूप में छूट देती रही लेकिन यह स्वदेशी के ठेकेदार, मुख्यमंत्री जी स्वदेशी का कक्ष खोलेगें, वह खादी का कपड़ा ही पहनें । खादी पर जो रिबेट साल भर मिलता था वह रिबेट भी बन्द कर दिया । आप लोग पता लगा लीजिए, रिबेट नहीं मिल रहा है । गरीब जो सूत कातने वाला है, बुनकर हैं, जो कपड़ा तैयार करते हैं क्या उनकी रोजी-रोटी पर लात मारना नहीं है ? श्रीमन्, अगर स्वयं नहीं कर सकते तो दूसरे की नकल करिये । जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने किसानों के 10 हजार रुपये तक के कर्ज माफ कर दिये वह कहां से पैसा आया, उस समय क्यों नहीं ऋण बढ़ा बुनकरों को 10 हजार रुपये तक के कर्ज माफ कर दिये और ब्लाक स्तर पर जगह-जगह मीटिगें करवाकर विधवाओं, विकलांगों और वृद्धों को पेंशन बंटवायी थी । लेकिन आपके कार्यकाल में दो-दो-साल हो गये वृद्धों, विकलागों को पेंशन नहीं मिल रही है । ऐसा एक केस नहीं हजारों केसेज हैं, लोग रो रहे हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है । हमारे सत्ता पक्ष के विधायक साथी भी महसूस कर रहे होंगें कि यह सही है । हम लोग समाज कल्याण विभाग को लेटर भी लिखते हैं, विभाग कहता है कि पैसा नहीं है । श्रीमन्, क्या वह दिन नहीं थे जब हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थायें की थी । हमने शिक्षा कक्षा–12 तक सबके लिए फ्री कर दिया था, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे जिस जाति, धर्म और मजहब का हो । जो शिक्षण शुल्क 6.61 रुपये के आसपास लगता था कक्षा

9-10 में और 11 रुपये कुछ पैसे कक्षा 11-12 में लगता था उसकी जगह कक्षा 9-10 में 24 रुपये कुछ पैसे और 11-12 में करीब 34-35 रुपये कर दिया । आपने शिक्षण शुल्क 4 गुना बढ़ा दिया और उसके बाद भी घाटे की बात करते हो । आप लोग शिक्षा को बरबाद करने पर तुले हो, शिक्षा वृद्धि कर दी । उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि आपने कह दिया कि इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल में कोई भी अध्यापक रिटायर हो जायेगा उसकी जगह नहीं भरेंगे । हमने पीछे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के समय यह बात कही थी उसे दुहरा रहा हूं । गणित का अध्यापक, फिजिक्स का लेक्चरर अवकाश प्राप्त कर गया और उसकी जगह नीचे से प्रमोशन पा जाते हैं लेकिन क्या वह गणित, फिजिक्स, केमेस्ट्री पढ़ा सकते हैं ? मान्यवर, क्या वह साइन्स पढ़ा सकते हैं जो साइन्स के अध्यापक होंगे उनको जहां वित्त विहीन कालेज होंगे वहां एक हजार और दूसरी जगह पर दस-बारह हजार रुपये मिलेंगे तो उनमें इन्फीरियारिटी काम्पलेक्स, हीन भावना पैदा होगी । तो जब एक तरफ दस-बारह हजार रुपये और एक तरफ एक हजार रुपये अध्यापक को दिये जायेंगे तो क्या वह साइन्स, मैथ, फिजिक्स पढ़ा सकेंगे ? क्या उन अध्यापकों को कष्ट नहीं होगा । तो क्या यह गलत नहीं है, इसको आप बराबर कर दीजिए। आपने नकल अध्यादेश लागू कर दिया, नकल नहीं होने देंगे, लेकिन स्कूलों में टीचर नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो फिर मैं वही कहना चाहता हूं कि आपने लड़कों के खिलाफ नकल अध्यादेश लागू करके उनके साथ खिलवाड़ किया है, क्या नकल विरोधी कानून सिर्फ हिन्दुस्तान में ही जरूरी है, क्या हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जहां नकल अध्यादेश लागू करना जरूरी है ? क्या यह निश्चित है कि दूसरे देशों में पर्चा सेट नहीं किया जाता, क्या वहां नकल नहीं होती ? क्या इंग्लैन्ड और दूसरे देशों में पर्चा सेटिंग नहीं की जाती है ? अगर आप नकल ही बंद करना चाहते हैं तो प्रश्न पत्र आब्जेक्टिव टाइप बनाइये जो पढ़ा हुआ छात्र होगा सिर्फ वही कर पायेगा अन्य लोग नकल नहीं कर सकेंगे । लेकिन सरकार विकल्प क्या ले रही है, न टीचर दे रही, न सुविधायें दे रही है परीक्षायें नहीं देने दे रही है, मैं कहता हूं प्रश्न पत्र ही ऐसा क्यों नहीं बनाती है कि लड़के नकल न कर सकें । क्यों आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र नहीं बनाते । आज स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है । क्या यह स्थिति नहीं है आज शुल्क बढ़ा दिया गया है परन्तु सब्जेक्ट टीचर नहीं है । विद्यालयों को ग्रान्ट-इन-एड पर लेना चाहिए पिछली बार भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ग्रान्ट-इन-एड पर लेने की बात कही गयी थी और 68 विद्यालयों को ग्रान्ट-इन-एड पर लिया गया है, इस पर जोर दिया जाना चाहिए । लेकिन अब तक इसका जी- ओ० नहीं हुआ । क्या सरकार के माननीय वित्त मंत्री एक अप्रैल से इसका जी० ओ० करवायेंगे ? पिछले दो माह से शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बार दोनों महीनों का वेतन दिलवायेंगे ? क्या जून तक इसकी कोई व्यवस्था हो जायेगी ? यही नहीं, आप देखें आपके जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं तथा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कालेज चलते हैं उनके लिए आपने वेतन की व्यवस्था की है ? मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर-सरकारी विद्यालय चलते थे उनको भी सरकार सहायता देती थी । लेकिन वह सहायता बंद कर दी गयी । क्या पहले सहायता नहीं मिलती थी, अगर किसी ने पहले कोई गलती कर दिया है तो आप क्या वही गलत काम करते रहेंगे ? कांग्रेस रेजीम में कोई गलत काम हुआ तो कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस का इसीलिये अता पता नहीं है, जनता उससे दूर हो गयी है । क्या आप अपनी वही हालत करवाना चाहते हैं । समय तो वही आपका भी आ गया है । अब ज्यादा समय नहीं लगेगा । 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं सारी की सारी स्थिति आपके सामने आ जायेगी कि आप कहां पर हैं । जो पहले प्राइवेट विद्यालय चलते थे, प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाती थी । जूनियर हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, में शेडयूल कास्ट के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी, जो ग्रांट-इन-एड पर होते थे उनको भी कुछ हिस्सा मिल जाता था, जो अध्यापकों के वेतन में दे दिया जाता था । सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कुछ न कुछ धनराशि मिल जाय । अगर यह क्षतिपूर्ति और ग्रांट-इन-एड न मिलती होती तो आपने जो एक जिले में दो गवर्नमेंट इण्टर कालेज खोले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 हजार, 2 हजार छात्र ही शिक्षा पा

सकते लेकिन आज एक जिले में हजारों, लाखों छात्र शिक्षा पा रहे हैं। अगर प्राइवेट मैनेजमेंट अपना योगदान न देते क्या सरकार इतने छात्रों को पढ़ाने की व्यवस्था कर सकती थी ? अगर सरकारी प्रोत्साहन न मिलता तो क्या इतने कालेज खोले जा सकते थे ? इसलिये सरकार को क्षतिपूर्ति और सहायता देनी चाहिये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिस पर गौर करियेगा। आज भारतीय भाषायें विलुप्त करने का काम सरकार कर रही है। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को ठेस पहुंचाने की चेष्टा सरकार कर रही है। आप बड़े हिन्दी वादी बनते हैं लेकिन जब भाषण देना होता है तो देश में और विदेश में अंग्रेजी में भाषण देते हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है, जो कहते हैं उसके विपरीत करते हैं। त्रिभाषा फारमूला को किसने लागू किया था, कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। इसका फायदा भी हुआ था, इसका फायदा हुआ था कि तामिलनाडु में कोई अंग्रेजी पढ़ेगा तो तीसरी भाषा हिंदी भी पड़ेगा और इससे धीरे धीरे हिंदुस्तान भर के लोग हिंदी सीखेंगे और हिंदी के समर्थन में वह बोलने लगेंगें और आपस में भाईचारा बढ़ेगा। भाषा से भावनात्मक लगाव होता है। इस भावानात्मक लगाव को कायम करने की कोशिश त्रिभाषा फारमूले के जरिये की गयी थी, जिसको आपने खत्म कर दिया है। आप का दृष्टिकोण अलगाववादी है। आप अलगाववादी दृष्टिकोण को समाप्त करिये। अगर आपका अलगाववादी दृष्टिकोण रहा तो देश वैसे ही आपने, टुकड़ों-टुकड़ों में प्रदेशों में बांट दिया है आगे क्या करेंगे ? देश की स्थिति बदतर मत बनाएं। त्रिभाषा फार्मूला आपको लागू करना पड़ेगा। दूसरे प्रदेशों में है भी आप जब लागू करेंगे तो दूसरे प्रदेश अनुकरण करेंगे। त्रिभाषा फार्मूला लागू करने से यह होगा कि जो लड़के अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे, संस्कृत पढ़ना चाहेंगे, उर्दू पढ़ना चाहेंगे उनको इसका अवसर मिलेगा। संस्कृत ऋषियों मुनियों की भाषा है वेद पुराण संस्कृत में लिखे गये, बाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गयी। वेद स्मृतियों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया उस भाषा को आप मिटाना चाहते हैं। थोड़ा तरस खाइये। मैं जो थोड़े से सुझाव दे रहा हूं उन पर ध्यान दीजिए। हमारे बहुत से शिक्षक बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने भिक्षाटन करके मुख्य मंत्री जी को कुछ राशि भेजी कि मंत्रिमण्डल गरीब हो गया गरीब शिक्षकों की उपेक्षा कर रहा है इसलिए हम लोग भिक्षाटन करके उसके ऐश आराम के लिए कुछ धन भेज रहे हैं। यह तो देखिये कि उनका मन्तव्य क्या है। वह चाहते हैं कि हमको भी रोजी रोटी मिले तथा इतना तो मिले जिससे जीवन यापन ठीक से हो सके। यही उनकी मांग है। यही उनकी इच्छा है। हमारे यहां दलहन और तिलहन विदेशों से आता है इसके बदले दूसरी चीजें जाती हैं लेकिन इसका बहुत सा पैसा चला जाता है। हम दलहन और दिलहन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें, यह मैं सुझाव देना चाहता हूं। जायद की फसलें कट गई हैं, लाह कट गयी है, मटर कट गया है दूसरी फसलें कट गई हैं आलू खुद गया है। उर्द, मूंग सूरजमुखी बहुत सी फसल इसके बाद होती है। फर्रुखाबाद में कुछ प्रयोग हुआ है वहां जायद में मूंगफली करने का काम शुरू कर दिया है अच्छी उपज होने लगी है जब ज्यादा लोग बोयें तभी चिड़िया नहीं खाएगी। सिंचाई की व्यवस्था अगर ठीक से हो जाए तो अच्छी खासी उर्द, मूंग, सूरजमुखी हो सकती है। इसके बदले आप 200–400 रुपए पारितोषिक किसानों को देंगे सिंचाई की व्यवस्था करेंगे तो इससे इन फसलों का उत्पादन बढ़ेगा इससे देश और प्रदेश को फायदा होगा तथा दूसरे प्रदेश से तिलहन और दलहन जो मंगानी पड़ती है, वह मंगानी नहीं पड़ेगी। देश की खुशहाली बढ़ेगी, किसानों की खुशहाली प्रदेश की खुशहाली बढ़ेगी। इस पर ध्यान दें। आज चीनी मिलें कम होती चली जा रही हैं गन्ने का क्षेत्र कम होता चला जा रहा है। यह क्षेत्र कम न हो यदि आप जरा सा ध्यान दें। आपके शीर्ष नेताओं ने कहा कि गेहूं की तरफ से ध्यान हटा लीजिए गन्ने की तरफ से ध्यान हटा लीजिए, तो वहां पर ध्यान लगायें। आप गन्ना उन क्षेत्रों में बुआइये जहां पर पानी 4 से 5 फीट तक ऊपर चढ़ जाता है भर जाता है वहां पर गन्ना खूब पनपेगा लेकिन वहां पर धान नहीं उगेगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी गन्ना है वह सड़ता नहीं है गलता नहीं है। आपके यहां पटसन और जूट बाहर से आता है अपने प्रदेश में संभावनायें हैं तलाशिये। काश्तकारों को बढ़ावा दीजिए। जो नदियों में कछार है जैसे घाघरा, रामगंगा वहां पर जो क्षेत्र हैं जहां 4

से 5 फीट तक पानी भर जाता है वहां पर पटसन लगाइये पटसन भी नहीं गलता है गन्ने की तरह। इस समय तो कोई फसल नहीं खड़ी है इस पर वक्त लगाइये . आपको काफी फायदा होगा जो बांगलादेश को पैसा देना पड़ता है जूट आयात कराने पर वह नहीं देना पड़ेगा। हमारे सभी विधायक यह जानते हैं कि बुन्देलखण्ड की क्या स्थिति है। वहां समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है । वहां पर आज भी अंग्रेजों के जमाने के घर मिल जायेंगे वहीं कच्चे पक्के खपरैल और पुराने दरवाजे, यही नहीं पूर्वी जनपदों में 50 प्रतिशत से अधिक ऐसे गांव हैं जहां फूस की झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं है एक आध पक्का मकान कहीं मिल जाय तो मिल जाय। यह सब आपकी मालूम है, लेकिन आपको दर्द नहीं होता, होता तो आप परिवर्तन के लिए कुछ करते, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ करते। लेकिन आप जागरूक हैं ही नहीं। नीम के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि नीम की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे काश्तकारों को बड़ा लाभ होता है। इस क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए। मा० कृषि क्षेत्र में लाभ होता होगा। शायद कुछ चीजें तैयार हो गई हैं काश्तकार लोग जानते भी होंगे। नीम से खाद तैयार की गयी है। यह खाद डाली जाती है तो जो यूरिया डाली जाती है उसका असर ज्यादा दिन तक बना रहता है। कीटनाशक दवायें भी नीम के तेल और खली से तैयार होने लगी हैं। तमाम नीम के पेड़ फलने फूलने लगे हैं। कुछ लोग फली को एकत्र करते हैं और बेचते हैं मजबूरी में क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण नहीं, बड़े कारखाने नहीं जहां इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। सरकार को चाहिए कि इनको प्रोत्साहन दे ताकि वे इससे कीटनांशक दवायें और उसके तेल से दवायें तैयार करें जिस तरह से विदेशों में लोग इसका प्रयोग करना चाहते हैं। अगर हम लोग इसका सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे तो हमको विदेशों से कीटनाशक दवाओं को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से मैं खेती के बारे में भी अपनी बात रखना चाहता हूं। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दलहन, तिलहन और जायद नहीं उगाया जा सकता है बरसात के कारण। आज खाद पड़ते-पड़ते खेत बर्बाद हो गये हैं। जीवांश की मात्रा खेतों में निरन्तर कम होती चली जा रही है जिससे फसल की पैदावार में कमी हो रही है। खेती ऊसर हो रही है। हमारे बहुत से साथी अवगत होंगे कि भूमि सुधार योजना चली थी। आज खेतों के ऊसर होने का कारण है उसमें पड़ने वाली खाद जिससे जीवांश की मात्रा कम हो रही है और खेत ऊसर हो रहा है। ऊसर भूमि विकास के लिए ढेंचा बुआ दिया, सनई बुआ दिया, इनको बुआने से खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी। पहले ऐसा किया गया कुछ समय तो लोगों ने बोआ लेकिन बाद में पीछे हटने लगे और वह खेत फिर से ऊसर होने लगे। बहुत से लोगों के सामने ऐसी समस्यायएं होंगी। मैं चाहूंगा ऐसे लोगों की जो ऊसर भूमि सुधार में लगे हैं जिनकी भूमि परिष्कृत हुई है, सुधार हुआ है, उनको प्रोत्साहित करें कि वे ढेंचा बोएं यह एक अच्छी खाद है भूमि सुधार के लिए। जिनके पास एक एकड़ जमीन है उनको 200–400 की छूट दे दें कि आप हरी खाद बोएं आपको छूट मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार पंचायत स्तर पर, ब्लाक स्तर पर ऐसे कास्तकारों को चिन्हित करके दें, जिससे खेतों में जो जीवांश की मात्रा घटती जा रही है, वह घटेगी नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं सजेशन के तौर पर। मैं यह नहीं कहता कि जो छोटे काश्तकार हैं एक से पांच एकड़ के नीचे वाले हैं उनका लगान माफ कर दीजिए। लेकिन इनको आप बीज दीजिए 25 प्रतिशत छूट देकर। दो एकड़ से नीचे वाले जो काश्तकार हैं उनको फ्री दीजिए अच्छे गेहूं और धान के बीज। क्यों दीजिये मैं यह भी बता देता हूं। जो दो एकड़ से नीचे वाले काश्तकार हैं वे इतना अनाज पैदा नहीं कर पाते हैं कि कुछ बीज के लिए रख लें, और यदि वे कुछ बचा भी पाये तो वही पुराना बीज होने से पैदावार कम होना स्वाभाविक है और अगर सवैया पर बोए, जो बड़े किसान हैं, जिनके पास ज्यादा है उनसे सवैया पर छोटा किसान लेकर बोता है। पुराना बीज है तो पैदावार कम होती है। आप पांच एकड़ से कम वाले जो काश्तकार हैं उनको उन्नतशील बीज दीजिए, फ्री दीजिए उसको न्याय पंचायत स्तर पर दीजिए ब्लाक पर तो जा नहीं पाएगा यह आप शुरू कर दें तो निश्चित रूप से पैदावार में बहुत बढ़ोत्तरी होगी। प्रदेश और देश का जो राजस्व है उसमें बढ़ोत्तरी करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, अब मैं बात कर रहा हूं स्वास्थ्य की। अभी करीब 123 नये स्वास्थ्य भवनों के निर्माण के लिए आप कह रहे हैं। आप 110 बना दीजिए 100 बना दीजिए। लेकिन जो अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करवा दीजिए। जिनमें किवाड़ लगनी है, छत लगनी है वह पूरा करवायें। चाहे वह पुरुषों के अस्पताल हों चाहे पशुओं के अस्पताल हों, जो अधूरे हैं उनको पूरा करायें क्योंकि इनमें जो धन लगा है, वह बेकार हो रहा है इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। अगर उसका सदुपयोग हो जाए तो नये अस्पताल अलग दो-चार कम भी बन जायेंगे तो कोई खास बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य–

जैन साहब सुन रहे हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

अगर कोई नहीं सुनना चाहता है तो न सुने जैन साहब को क्यों कह रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री धनीराम वर्मा–

एक कहावत है–अंधे के आगे रोइए, अपने दीदा खोइए" इनको तो कोई जानकारी इस देश प्रदेश की है नहीं तो मतलब क्या है सुनने से।

मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

आपके पीछे कोई नहीं है हम तो सुन रहे हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

वह अगर सुनेंगे तो क्या कर पायेंगे। आपके अधिकारी मंत्रियों को सुनना चाहिए था, तो 90 में से 9 नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि जनता के प्रति जरा सा भी ध्यान नहीं है कि जनता खुशहाल हो, इसलिए अच्छी राय मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऐशो आराम के लिए सोचते हैं, जनहित की बात नहीं सोचते हैं इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्या यह ठीक बात है कि बरग्पा ने 6 महीने प्रदेश पर राज करने के बाद सत्ता आपको सौंप दी, चाहे मजबूरी में यह खुशी से, प्रदेश के दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को यही उपहार देना था। समाज कल्याण में 50 प्रतिशत की कटौती, दलितों के वजीफे में 50 प्रतिशत की कटौती और पिछड़ों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। अल्पसंख्यकों के उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का ध्यान नहीं है, उनकी कोई पढ़ाई लिखाई का ध्यान नहीं है। क्या इस तरह से प्रदेश की खुशहाली बढ़ाने की योजना है? कैसे आप प्रदेश को दूसरे प्रदेशों के मुकाबले खड़ा कर सकते हैं। क्या आप दुनिया के विकसित देशों के सामने कह सकते हैं कि मैं भी विकसित हूं। यदि इस प्रदेश का 85 प्रतिशत व्यक्ति खुशहाल नहीं होगा तो फिर देश और प्रदेश कैसे खुशहाल हो सकता है? जब आपको इसकी चिन्ता नहीं है तो फिर आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो आप जबरदस्ती ज्यादा दिन बैठने का प्रयास कर रहे हैं तो आप बैठने वाले नहीं हैं। महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के वनों और प्रदेश के पर्यावरण की कटौती पर जो 29 प्रतिशत पीछे बजट कम कर दिया है, क्या यह घातक नहीं है? चाहे यह प्राणियों के लिए हो, मनुष्यों के लिए हो या जीव जन्तुओं के लिए हो। "एक बच्चा एक हजार पेड़" का जो आपने मोटो लिखा हुआ और दूसरी तरफ आप बजट में कटौती कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो प्रधानों के जरिये वृक्ष लगाने की कोशिश की गयी लाखों रुपया उनको दिया गया लेकिन एक वृक्ष भी तैयार नहीं हुआ। इसको आप देखें। वहीं दूसरी तरफ यदि आप हर व्यक्ति, हर काश्तकार से

कह देते कि अमुक फलदार वृक्ष लगायेंगे, दो साल या तीन साल बाद जब वह तैयार होगा तब हम 100/- रुपया देंगे। अमुक लकड़ी वा जलाऊ लकड़ी का वृक्ष लगायेंगे, तो जब वह तैयार हो जायेगा, 50/- रुपया देंगे। तो प्रोत्साहन देना शुरू करिये निश्चत रूप से बढ़ोत्तरी होगी। जो यह ग्राम समाज से करा रहे हैं वह असफल है। दूसरी तरफ जो वनों को बढ़ाने के लिए, जो कि ढाई प्रतिशत रह गये हैं, साढ़े सत्रह प्रतिशत थे, तो उसमें सड़क के किनारे जो खाली पड़े हैं उनमें वृक्ष लगा दीजिए। बहुत से गहरे स्थान हैं जहां पर वृक्ष नहीं पनप सकते हैं वहां पर अर्जुन वृक्ष लगाइये। तीन फिट या चार फिट पानी हो वहां लगाइये। बहुत से वृक्ष पनपेंगे और पर्यावरण में सुधार होगा निश्चित रूप से। यह भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन करने की कुछ क्षमता हो। एक राय मिली है पिछले कुछ शासकों ने मुस्लिम शासक, अंग्रेज शासक और हिन्दू शासक रहे हैं सब ने फलदार वृक्ष लगाने की कोशिश की है, आप बबूल आदि लगा रहे हैं,लेकिन जो बढ़िया जमीन है और जो खेतों से होकर निकली है उसके किनारे तो आम, महुआ और जामुन आदि वृक्ष लगा ही सकते हैं इससे छाया भी मिलेगी और लकड़ी भी और फल भी मिलेगा और पर्यावरण को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन अगर कुछ करने की मंशा होगी तो सम्भव होगा लेकिन अगर मंशा ही नहीं होगी तो फिर क्या कहना मैंने अपनी राय रख दी। माननीय वन मंत्री जी भी इस तरफ ध्यान दें। अच्छी जगह फलदार वृक्ष लगाये जाये आप बहुत सी सड़कों पर देखें वर्षों पुराने महुआ और जामुन के पेड़ लगे हैं उनसे फल भी मिलता है, लकड़ी भी और पर्यावरण भी अच्छा होता है।

मान्यवर, जो आपकी आयुर्वेद और यूनानी दोनों तरह की दवायें जो हैं जो करीब नष्ट होने वाली हैं और इसलिए नष्टप्राय होने वाली हैं कि पहाड़ियों पर जो उत्तराखण्ड में चला गया उन पर जड़ी बूटियां पैदा होती थीं वह जड़ी बूटियां पैदा होना आपके यहां सम्भव नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा संकट निकट भविष्य में आने वाला है, इस पर आपको सोचना होगा। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि आप सिंचाई के बारे में माननीय सिंचाई मंत्री जी कोई कमेटी गठित करके दिखा लें, कि नहर साफ है। आप सुन लें। सड़क के ऊपर बिना हटे वहां कहीं घास भी नहीं काटी गयी और पैसे का पेमेंट हो गया शायद इस बात से हमारे बहुत से सैनिक सहमत होंगे। जो इस तरह से सफाई दिखायी जाती है और पेमेंट हो जाता है तो आप एक दो काम ऐसे कर दीजिए जिससे लोगों को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ठेकेदारों को, आपके जो अधिकारी पेमेंट करवा देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाये, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लीन हैं एक दो के खिलाफ अगर कार्यवाही हो जाये, जो सही मामले हैं जिनमें जांच की भी जरूरत नहीं है तो दूसरे लोग डरने लगेंगे। हम एक उदाहरण गौतम बुद्ध नगर का देना चाहते हैं, जो वहां जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने एक जीप की मरम्मत करवायी, एक्सीडेंट हो गया था पहले तो एक लाख पच्चीस हजार का बिल बनवा लिया। आफिस में आ गया और उसके बाद उसकी भी लोगों ने फोटोस्टेट करवा ली उसके बाद फिर 50,000 का एक दूसरे हरियाणा की गैरेज से बिल बनवा लिया और वो 50,000 रुपये हड़प लिया यह सारे कागजात मेरे नाम से सम्बोधित करके लिखा गया है माननीय वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से भिजवा दे रहा हूं। दो बिल अलग-अलग सत्यापित और 50,000 रुपये हड़प लिया यह तो एक छोटा मामला है, दूसरी जगहों पर करोड़ों-करोड़ों रुपये हड़पे गये हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण मंत्री नहीं हैं, हमारे औरैया की बात है इटावा औरैया अलग-अलग हुआ तो वहां के अधिकारियों में वह कहते हैं कि यह काम हम करेंगे वह कहते हैं कि हम करेंगे और काम नहीं हुआ, डेढ़ करोड़ की धनराशि वापिस हो रही थी, मैंने मंत्री जी से कहा कि वापिस न हो लेकिन अब उसका 80 लाख का डामर खरीद लिया गया मैं चाहता हूं कि उसका सदुपयोग हो। माननीय वित्त मंत्री जी यह बात मंत्रिमंडल की बैठक में रखिये या हमारी बात सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, उन तक पहुंचा दें और यह पास करवा दें कि जो अधूरे काम हैं उनको तो पहले टेकअप कर लिया जाय जैसे पहले कहा गया था कि गिट्टी पड़ गयी, डामर नहीं पड़ा तो लोगों का चलना मुश्किल, जहां छोटी गिट्टी पड़ गयी है और

डामर पड़ना है डामर सना हुआ पड़ा है वह नहीं पड़ रहा है, वह डलवा दीजिए । चाहे वह आर० ई० एस० के द्वारा बनवाई गयी सड़कें हों, चाहे मण्डी परिषद् की बनवायी हुई हों या ऊसर भूमि सुधार में बनवायी हो इसके लिए अलग से प्राविधान कर दीजिए सड़कों की मरम्मत के लिए प्रायरिटी से व्यवस्था की जाये । अगर सड़कों की मरम्मत नहीं होगी तो तमाम हमारे साथी अवगत होंगे कि चाहे मंडी समिति द्वारा बनाई गई सड़क हो, चाहे आर० ई० एस० के द्वारा बनायी गयी हो, वह सब चलने लायक नहीं रह गयी है, तो इसको देखा जाय । दूसरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं वह इसलिए होते हैं कि नहरों पर, रजबहों पर सड़क बना दिया, कुलावे रखे हुए हैं, कुलावे इतने छोटे हैं कि इधर से भी पटरी में कटान है और बम्बे में भी कटान, गाड़ी निकली, सम्भाल कर निकाला तो ठीक है, नहीं तो पलट गयी और उसमें लोगों की मृत्यु भी होती है । अब तो सीमेन्ट के कुलावे रखे जाने हैं पहले कास्ट आयरन के रखे जाते थे जो पटरी बनी हुई है उसमें कम से कम इतनी दूर तक भीतर तक चला जाय जहां तक बाहर से जोड़ने वाली सड़क है वह चला जायेगा तो कटान नहीं होगी ।अगर सीमेन्ट के पाइप डाल दिये जायं तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें धन देने की जरूरत है । मैं यह चाहूंगा कि अब सरकार को, माननीय वित्त मंत्री को आप उनके सहयोगी मंत्रियों को, सत्ता में बैठे हुए माननीय विधायकों को यह चाहिए कि प्रदेश की खुशहाली के लिए, यदि कहीं भी एक पैसे का दुरुपयोग होता है तो निश्चित तरीके से उसकी रोकथाम करने का पूरा-पूरा प्रयास करें और सत्ता यदि चाहेगी, सरकार चाहेगी क्योंकि सरकार के बड़े लम्बे हाथ होते हैं तो निश्चित तरीके से उसमें रोक लग सकती है, यदि भ्रष्टाचार पर रोक लग जाय तो निश्चित तरीके से विकास की दर जो 2 प्रतिशत के आसपास आ गई है, वह प्रदेश और देश की 9-10 प्रतिशत तक पहुंच सकती है । मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करते हुए और सुझाव रखते हुए कि प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए जो भी सक्षम और सख्त कदम हैं, वह उठाने का प्रयास करें, उठायें, विपक्ष पूरी तरह से आपकी मदद के लिए तैयार है । कोई भी ऐसा काम हो, जो जनहित में होगा, हम आंख मूंदकर आपका समर्थन करेंगे, जिस काम से प्रदेश की जनता खुशहाल हो सके, उसमें हम आपको पूरा-पूरा सहयोग करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेतागण अपने दल के वक्ताओं की सूची दे दें । सामान्य चर्चा पर सत्ता पक्ष का कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है ।

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो घाटे का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, इससे प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, छात्रों को इससे लाभ नहीं मिल सकता । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 2000-2001 का प्राप्तियों का प्रतिशत 19.40 था, वह 2001-2002 में 9.07 प्रतिशत है । आपने प्राप्तियां जो की हैं, वह कम किया है लेकिन जो आपने व्यय किया है, वह अधिक किया है । योजना तथा योजनागत व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे घाटे का बोझ प्रदेश की जनता पर भारी पैमाने पर पड़ रहा है । प्रदेश सरकार पर पिछले 10 वर्षों में लगभग 56 हजार करोड़ का कर्ज बढ़ा और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से बराबर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है । वर्ष 91-92 में राज्य की कुल ऋणग्रस्तता करीब 21,100 करोड़ थी जो धीरे-धीरे 2000-2001 में लगभग 77,066 करोड़ हो गई और मान्यवर, इस वर्ष 2001-2002 में यह बढ़कर 85 हजार 598 करोड़ रुपये पहुंचने जा रहा है । यह घाटा क्यों हो रहा है । यह सरकार जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपनी शान-शौकत में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो खर्च कर रही है, विकास के नाम पर यह पैसा खर्च कर रहे हैं, केवल अपनी शान-शौकत में खर्च कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि मंत्रियों ने जिस तरह से इस प्रदेश का पैसा पानी की तरह बहाया है, 96-97 में 9 करोड़ रुपये मंत्रियों ने चाय और नाश्ते में उड़ाये। 98-99 में 14 करोड़ रुपये और इसी तरीके से 2000-2001 में यह बढ़कर 30 करोड़ रुपये हो गया। इस तरीके से प्रदेश का पैसा बहाया जा रहा है। इससे प्रदेश की जनता का भला नहीं हो सकता। प्रदेश की नई आर्थिक नीति से विकास का पहिया पंचर हो चुका है। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। इसमें सुधार का कहीं नामों निशान नहीं है। मान्यवर, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की दर 6.0 बढ़ी, वहीं पर उत्तर प्रदेश में यह घट करके 3 प्रतिशत हो गयी। तो मान्यवर, जिस तरीके से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था घट रही है, दिनों दिन मान्यवर, पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय 1990 के बाद कम होकर नीचे आ गयी। प्रदेश की कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र में 1980-81 में 16.1 प्रतिशत थी जो 1991-92 में 14.6 प्रतिशत रह गयी और वर्ष 97-98 एवं 98-99 में यह क्रमशः 12.8 और 12.2 प्रतिशत रह गयी और इस प्रकार मान्यवर, प्रदेश की कृषि क्षेत्र की राष्ट्रीय हिस्सेदारी दिनों दिन घटती गयी। यदि देखा जाए तो प्रदेश में खाद्यान्नों का उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन 1991-92 में 21.1 प्रतिशत के मुकाबले 99-2000 में 21.7 प्रतिशत है। मान्यवर, जब देश आजाद हुआ, प्रदेश के किसानों ने अपनी मेहनत से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया तो उस समय 5 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, और धीरे-धीरे किसानों ने अपनी मेहनत से, लगन और निष्ठा से खेती किया और उत्पादन को बढ़ाया। 1999-2000 में 20.89 करोड़ टन उत्पादन हुआ। इसी तरीके से रबी और खरीफ में 2-2 करोड़ मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ा। अगर देखा जाए तो दुनिया में 1.2 अरब लोगों की प्रतिदिन आय 40 रुपये के बराबर या 40 से कम है और आज जिस तरीके से पूरी दुनिया में 87 करोड़ लोग जो मान्यवर, केवल एक टाइम उनको खाना मिलता है और भूखे सो हो जाते हैं, वह 87 करोड़ लोग हैं, जिसमें हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो भूखे रहते हैं। अगर देखा ज़ाए तो इस सरकार ने जो बजट पैश किया है, उससे साबित होता है कि इससे किसानों का भला नहीं हो सकता। मान्यवर, आजादी के समय हमारे देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी, उसमें 25 करोड़ किसान थे, और प्रति व्यक्ति के हिस्से में 4 हेक्टेयर भूमि आती थी। आज जिस तरीके से आबादी बढ़ी, आज हमारी जनसंख्या 1 अरब हो चुकी है, जिसमें 55 करोड़ किसान हैं। इस प्रकार प्रति व्यक्ति के हिस्से में केवल 0.1 हेक्टेयर भूमि आ रही है। इस तरीके से मान्यवर, प्रति वर्ष 6 करोड़ व्यक्ति भूमिहीन हो रहे हैं। यह देखा जाये तो जिस तरीके से मा० मंत्री जी ने बजट पेश किया इसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया है। पिछले 2 वर्षों में तिलहन का उत्पादन 50 प्रतिशत घटा और दो वर्षों में प्रदेश में आलू का उत्पादन 20 प्रतिशत घटा। मान्यवर, इस तरह से प्रदेश के किसानों के साथ इस सरकार ने दोहरी नीति अपनाकर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है और किसानों को आत्महत्या करने की कगार पर पहुंचा दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान द्रोही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों में रसायनिक खादों के अधिक उपयोग से भूमि की उत्पादकता प्रभावित हुई है। मान्यवर, आज किसानों को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, उससे इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। मान्यवर, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इस प्रदेश के किसानों की जिम्मेदारी सरकार पर है। जब किसान की रीढ़ टूटेगी तो ना विकास रुक जायेगा, जब विकास रुकेगा, तो सरकार को चाहिए कि जो नीति किसानों के लिए बनायी जाये खुले मन से बनायें। गेहूं, धान जो किसान पैदा कर रहा है, उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जब तक उचित मूल्य नहीं होगा, तब तक किसान मजबूती के साथ काम नहीं कर सकेगा। मान्यवर, धान क्रय केन्द्र नहीं खोले गये, धान की क्रय नहीं हुई। केवल उत्तर प्रदेश में धान की खरीद नहीं हुई, इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। गेहूं क्रय केन्द्र की बात कर रहे हैं, सदन में चर्चा हो, गेहूं क्रय केन्द्र खोले गये। माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया कि 4 हजार 646

क्रय केन्द्र खोले गये हैं। लगभग 23 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो गलत है गेहूं क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं मैं तो बताना चाहता हूं, गोण्डा की बात कर रहे हैं वहां एक भी क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है। कपड़ों में लिखकर टांग दिया गया है, लेकिन गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। मान्यवर,मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि, आज जो इन्दिरा आवास की बात हो रही है, प्रदेश में कई स्थानों पर इस समय काम हो रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इन्दिरा आवास के पात्र हैं उनको आवास नहीं दिया जा रहा है। जो पात्र व्यक्ति हैं, अगर उनको दिया जाये तो कम से कम उनके पास एक आवास हो जायेगा। ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव करके जो व्यक्ति आवास का पात्र नहीं है, उसको दिलवा दिया जाता है। जबकि जो व्यक्ति उसका पात्र है उसका प्रस्ताव नहीं जाता। जो वास्तव में पात्र हैं, उसको लाभ नहीं मिल पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों को भी जो पात्र हैं उनको आवास दिया जाये जिनका ग्राम पंचायतों में किसी कारणवश प्रस्ताव नहीं किया गया है, उनको भी मिलना चाहिए। पूर्वांचल विकास निधि के बारे में मैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किस तरीके से यह सरकार भेदभाव रवैया अपना रही है जब कि सत्ता पक्ष के विधायकों को विकास के लिए पैसा दे रही है, लेकिन विपक्ष के विधायकों को आज तक पैसा नहीं दिया गया है। क्षेत्रीय संतुलन कैसे बन सकता है। यह कहा गया कि क्षेत्रीय संतुलन बनने के लिए पूर्वांचल विकास निधि में पैसा देंगे। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल विकास निधि में जो राज्यांश है, हम लोगों को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष के विधायकों को पैसा दिया जाता है, लेकिन विपक्ष के विधायकों को नहीं मिलता है। सुनिश्चित रोजगार योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के निर्देश हैं कि जो अधूरे कार्य हों, उनको पूरा कराया जाये। मेरी निश्चित जानकारी है कि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों को यह पैसा दे दिया गया। वहां पर हम लोगों के माध्यम से अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए प्रस्ताव दिये जाते हैं, उसे जानबूझकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में नहीं लिये जाते हैं। जिससे विकास कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। सुनिश्चित रोजगार योजना में ऐसी व्यवस्था की जाये, नियमों का सरलीकरण किया जाय माननीय विधायकों द्वारा जो प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में भेजे जायं, उसको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। कुछ क्षेत्र की समस्यायें हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारा विधान सभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। विगत कई वर्षों से इस सदन के अन्दर अपने क्षेत्र के संबंध में अवगत कराया लेकिन आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दर्जी कुआं से मनकापुर–बभनान मार्ग है। उस पर गन्ना लादकर काफी ट्रक चलते हैं, कई जगह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी और बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। मैंने कई बार सदन में नियमों के तहत प्रश्न उठाया, लेकिन सड़क को बनाया नहीं गया। सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क को छोड़कर किसी सड़क पर काम नहीं कराया गया। दर्जी-कुआं–मनकापुर बभनान मार्ग का उच्चीकरण नवीनीकरण कराया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसील मनकापुर है। उसका तहसील भवन नहीं बनाया गया। कई बार इस सदन में आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया। लेकिन तहसील भवन नहीं बना। मैं चाहूंगा कि तहसील भवन बनाया जाये। मान्यवर, विद्युत व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा हमारे क्षेत्र में लकड़ी के खम्भे लगे हैं और उनके तार काफी जर्जर हो चुके हैं। कल आंधी आयी थी जिससे वहां की विद्युत व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। 10–20 खम्भे टूट गये हैं, मैंने टेलीफोन से सम्पर्क किया

लेकिन अभी विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है । इन लकड़ी के खम्भों एवं पुराने तारों को बदलवाया जाये सरकार ने कहा कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जायेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिये जायें तो विद्युत उपभोक्ता की समस्या सुलझ जायेगी । मान्यवर, 25 के० वी० ए० पर कटिया कनेक्शन लगे हुए हैं, उन पर लोड काफी बढ़ गया है और 25 के० वी० ए० लोड बर्दाश्त नहीं कर पायेगा । मान्यवर, तो 63 के० वी० के ट्रान्सफार्मर लगाये जायें तो जाकर वह लोड को उठा सकते हैं और विद्युत व्यवस्था ठीक हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मुझे धन्यवाद तो दे लेने दीजिए । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ सामान्य बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए .....

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा जारी रहेगी, आप कल बोल लीजियेगा ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 2-5-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं–पहली सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है जो जनपद फैजाबाद में पुलिस उप-महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के आदेश से पुलिस कर्मियों का मन्दिर निर्माण हेतु एक दिन का वेतन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की है, जो सहारनपुर मण्डल में श्रम न्यायालय की स्थापना न होने के कारण श्रमिकों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । तीसरी सूचना श्री डा० वकार अहमद शाह की है जो प्रदेश में सरकारी अस्पतालों विशेषतः जनमद बहराइच के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय सुविधाओं यथा मशीनों, दवाओं, नर्सों तथा एम्बुलेन्स आदि की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई । चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है जो दुधवा नेशनल पार्क में प्रतिबन्धित राष्ट्रीय पशुओं/पक्षिओं को मारें जाने तथा तस्करी कर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के संबंध में है, यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई । पांचवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा जी की है जो जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत माया–टाण्डा मार्ग को शासकीय स्वीकृति के बावजूद चौड़ा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई । छठी सूचना श्री रामाधार सिंह जी की है जो जनपद हमीरपुर के राठ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कदौरा में लगे ट्यूबवेल को चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई । सातवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है, जो जनपद फिरोजाबाद के कतिपय विकास खण्डों में फैल रही संक्रामक बीमारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों एवं दवाओं के अभाव से जो उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई । आठवीं सूचना श्री हरपाल सिंह जी की है जो जनपद बुलन्दशहर की स्टेट हाइवे घोषित सड़क खुर्जा पहासू व छत्तारी को शीघ्र चौड़ी किये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई । नवीं सूचना श्री अशोक कुमार सिंह जी की है जो ऊर्जा विभाग के अधिकारियों

द्वारा उच्च स्तर से प्राप्त आदेशों का अनुपालन न करने तथा भ्रष्ट कर्मचारियों को संरक्षण दिये जाने के संबंध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। दसवीं सूचना श्री बाबूलाल कुरील जी की है जो जनपद उन्नाव के थाना फतेहपुर चौरासी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–7/2001 में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। ग्यारहवीं सूचना श्री श्रीराम यादव जी की है, जो जौनपुर जनपद के विकास खण्ड सिकरारा के ग्राम शाहपुर एवं विकास खण्ड बक्शा के ग्राम गैरी खुर्द तथा गढावाघराय में हुए भीषण अग्निकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो नियम 56 से स्थानान्तरित होकर आयी है, यह सूचना ध्यानाकर्ष हेतु स्वीकृत की गयी। बारहवीं सूचना श्री अफजाल अहमद की है जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बलिया से हटाये गये कर्मचारी को सेवा में न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। तेरहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर जी की है जो जनपद आजमगढ़ के पहाड़पुर निवासी मब्बूलाल सोनकर की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना नियम 56 से स्थानान्तरित होकर आयी है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं उनके नाम हैं श्री विनोद मणि, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री अजय कुमार पोद्दार, श्री अफजाल अहमद और श्री रामचन्द्र यादव।

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र मेरठ–चण्डीगढ़–सहारनपुर–करनाल तथा सहारनपुर लोनी मार्गों पर निजी बसों के संचालन के परिवहन विभाग द्वारा बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा दि० 24 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री के निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय। मैं इसको स्थगित करता हूं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जिस वक्तव्य के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण स्थगित किये जाने का अनुरोध किया है वह न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक कमेटी माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है यह मोटरयान अधिनियम की धारा 100 के अन्तर्गत विचाराधीन है। लेकिन यह जो वक्तव्य है इसका सम्बन्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 102 से सम्बन्धित है जो न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इस तरह से सदन को गुमराह किया जाता रहा जो अनुचित है। न्यायालय की आड़ लेकर वक्तव्य को स्थगित किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर मैं अपना निर्णय दे चुका हूं और मैंने इसको स्थगित कर दिया है।

प्रदेश के आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दि० 24 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, जनता के लिए सर्वथा उपयोग यह विभाग.....

एक सदस्य–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[मा० विधायक ने उक्त सूचना द्वारा आयुर्वेद विभाग की कई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त प्रकरण में स्थिति सुधार लाये जाने की मांग किया है । मा० विधायक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

1–यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में वर्ष 1992-93 में फराफीन खरीद की अनियमितता तथा वर्ष 1993-94 में घटित आयुर्वेद घोटाला प्रकरण में संलिप्त पाये गये कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के फलस्वरूप विभाग में न्यायालय वादों की संख्या बढ़ी है । उपरोक्त वादों को त्वरित गति से निस्तारण कराये जाने हेतु घोटाले से सम्बन्धित अनियमित नियुक्ति से सम्बन्धित वादों की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच मा० उच्च न्यायालय द्वारा गठित कर दी गयी है जिसके समक्ष सुनवाई प्रारम्भ हो गई है । आयुर्वेद स्कैन के सी० बी० आई० द्वारा योजित मामलों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु विशेष न्यायालय भी गठित कर दिया गया है इसके समक्ष भी सुनवाई प्रारम्भ हो गई है । उपरोक्त से न्यायालय के समक्ष लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी उक्त के साथ ही साथ कर्मचारियों के लम्बित मामलों को त्वरित गति से निपटाये जाने हेतु प्रयास भी किया जा रहा है जिससे कि अनावश्यक मामले मा० न्यायालय के समक्ष न जायें ।

2—क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के 48 पदों में से अधिकांश के विरुद्ध तदर्थ अधिकारी कार्य कर रहे हैं । प्रमुख कारण इस पद पर नियमित नियुक्ति हेतु पिछले 11 वर्षों से डी० पी० सी० न होना है, जिसका प्रमुख कारण चिकित्साधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार न होना तथा कतिपय मामलों में मा० न्यायालय द्वारा डी० पी० सी० के स्थगन के संबंध में पारित आदेश हैं । अभी हाल में चिकित्साधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची 09 अप्रैल, 2001 को आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु प्रचलित कर दी गयी हैं तथा उस सूची को अन्तिम रूप देकर यथाशीघ्र डी० पी० सी० की बैठक कराकर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की व्यवस्था की जायेगी ।

3—प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति हेतु शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा यथाशीघ्र डी० पी०सी० की बैठक बुलाई जायेगी । शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु दिनांक 11-4-2000 से आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में कार्यरत लेक्चरर, रीडर तथा प्रोफेसर एवं प्रधानाचार्य के पदों के वेतनमानों को शासन द्वारा संशोधित कर दिया गया है ।

4—यह निर्णय लिया गया है कि विभाग के लिए आवश्यक औषधियों की आपूर्ति या तो राजकीय औषधि निर्माणशाला से निर्माण कराकर आपूर्ति किया जाय, या सहकारी क्षेत्र के रानीखेत तथा भारत सरकार की मोहान कार्यशाला से ही औषधियों की आपूर्ति करायी जाय । उक्त अनुपालन भी किया जा रहा है । राजकीय औषधि निर्माणशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु सत्तर लाख रुपये का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त किया गया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

5–औषधि निर्माण लाइसेन्स तथा उसके नवीनीकरण की व्यवस्था ड्रग कास्मेटिक एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत की जा रही है । औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है तथा उक्त प्रयोजन हेतु पैंसठ लाख रुपये का अनुदान ही प्राप्त किया गया है । आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में अधिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आयुर्वेद चिकित्सालयों में औषधि मद में विगत वर्षों की अपेक्षा साढ़े तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में किया गया है तथा चिकित्सालयों में रोगी पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आधी धनराशि चिकित्सालय स्तर पर स्थानीय उपयोग के लिए व्यय करने की अनुमति भी प्रदान की गयी है ।

6—उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभागीय समस्याओं के प्रति शासन सचेष्ठ है तथा उनके निराकरण के लिए सक्रिय प्रयास किया जा रहा है ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1991 में जो विभागीय डी० पी० सी० की बैठक नहीं हुई और जिसके कारण विभाग में अराजकता व्याप्त है तो क्या उस डी० पी० सी० की बैठक कराकर पात्र और योग्य व्यक्तियों की पदोन्नति की जायेगी । कब तक सी० बी० आई० का बहाना लेकर अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जायगी और अपनी कमियों से बचते रहेंगे। इस वक्तव्य के उत्तर में पुनरावृत्ति की गयी है और वही रटा रटाया जवाब है । मैंने कहा है कि औषधि निर्माण के लाइसेंस देने का अधिकार सी० एम० ओ० से लेकर आई० ए० एस० को दे दिया गया है । सी० एम० ओ० टेक्निकल अधिकारी होता है जबकि आई० ए० एस० नान-टेक्निकल अधिकारी है । वहां पर 4 साल से एक आई०ए० एस० डायरेक्टर हैं जो नान-टेक्निकल आदमी हैं वह सचिवालय में विशेष सचिव हैं । आज सैकड़ों पत्रावलियां लम्बित पड़ी हैं और वह बहुत कम समय के लिए कार्यालय गये हैं । लाइसेंस देने का काम लम्बित पड़ा हुआ है । मैंने जो बिन्दु उठाये हैं उनके संबंध में माननीय मंत्री जी उत्तर देने का कष्ट करें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मेरे वक्तव्य में सारी बातों का उत्तर है । मान्यवर, आयुर्वेदिक विभाग में अनेक प्रकरण लम्बित हैं और न्यायालय में उनका निस्तारण कराने के लिए एक स्पेशल बेंच उच्च न्यायालय द्वारा गठित की गयी है । जहां तक आयुर्वेदिक स्कीम का संबंध है उसके बारे में सी० बी० आई० का विशेष न्यायालय गठित किया गया है । जहां तक डी० पी० सी० की बात है तो सीनियारिटी लिस्ट बनायी जा चुकी है और आपत्तियां मांगी गयी थीं जो प्राप्त हो गई हैं और उनके निस्तारण के बाद डी० पी० सी० द्वारा प्रमोशन किये जायेंगे । मान्यवर, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा औषधि निर्माण के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार से 70 लाख प्राप्त हुआ है । इसी तरह से ड्रग एक्ट के अन्तर्गत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 65 लाख रुपये का अनुदान दिलाया गया है । आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो चल रहे हैं उनमें दवाओं की व्यवस्था के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी लेकिन प्रधान मंत्री जी की ग्राम योजना जो आयी है उसके अन्तर्गत साढ़े 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गयी है इस तरह से 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गयी है, जिससे आयुर्वेदिक दवायें चिकित्सालयों को उपलब्ध होंगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण का लाइसेंस ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट के अन्तर्गत टेक्निकल व्यक्ति द्वारा देने का प्राविधान किया गया है । आई० ए० एस० को नान-टेक्निकल माना जाता है । उसको क्यों लाइसेंस देने का अधिकार प्रदान किया गया है ?

माननीय मंत्री जी ने दवायें खरीदने की बात कही है, मैं उनसे जानकारी चाहता हूं कि 31 मार्च को करोड़ों रुपये क्या सरेंडर किये गये हैं, यह बता दें ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

विशेष सचिव के पास डायरेक्टर का पद भी है उनके सामने जो भी प्रकरण आता है वह उसका निस्तारण करते हैं। इसमें किसी तरह की कठिनाई नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी जानना चाहते हैं कि क्या तकनीकी व्यक्ति की आवश्यकता है अगर है तो दूसरे व्यक्ति को क्यों रखा गया ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

अभी व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है। भविष्य के बारे में माननीय सदस्य की मंशा के अनुरूप विचार कर लेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट के विपरीत कब तक गैर तकनीकी व्यक्ति इस तकनीकी कार्य को करता रहेगा।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

विशेष सचिव अभी निदेशक के पद पर सही ढंग से काम कर रहे हैं।

(मद संख्या–12 व मद संख्या–13 पर अंकित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गए)

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 400 पूर्णकालिक एवं 400 अंशकालिक प्रवक्ता के पदों पर सवेतन स्वीकृति के बावजूद सरकार द्वारा नियुक्ति न किये जाने के विरुद्ध अनिश्चित कालीन धरना, प्रदर्शन एवं आमरण अनशन के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 910 माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1988-89 से केन्द्र पुरोनिधानित व्यवसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा व्यवसायिक शिक्षा हेतु 40 पाठ्यक्रम विकसित किये गये हैं जो चयनित विद्यालयों में संचालित है। विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड्स के प्रशिक्षण हेतु अतिथि विषय विशेषज्ञों (न कि शिक्षक) को आमंत्रित किया जाता है जिसके लिए संस्था के प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया गया है। इन अतिथि विषय विशेषज्ञों को 50/- प्रति व्याख्यान की दर से (अधिकतम 1500/- रु० प्रतिमाह) मानदेय का भुगतान प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। मानदेय की मद में 75% भार केन्द्र सरकार वहन करती है जबकि 25% भार राज्य सरकार वहन करती है। इसके विपरीत योजना के लिए महत्वपूर्ण अंश जैसे कच्चा माल, फील्डविजिट, वर्कशेड निर्माण तथा उपकरणों के क्रय आदि में 100% धनराशि केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

योजना के नाम से ही यह स्पष्ट है कि इस योजना का भविष्य केन्द्र सरकार के अनुदान पर ही निर्भर है । भारत सरकार से अनुदान समय पर प्राप्त न होने के कारण अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है ।

भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 12-7-2000 द्वारा इस योजनान्तर्गत 400 पूर्ण कालिक तथा 400 अंशकालिक अध्यापकों का पद सृजित किया गया है जिसमें वेतन हेतु 75% केन्द्र सरकार तथा 25% राज्य सरकार की देयता है । अतिथि विषय विशेषज्ञों की मांग है कि इन पदों पर पूर्व से ही कार्य कर रहे अतिथि विषय विशेषज्ञों को विनियमित कर दिया जाय ।

भारत सरकार से उक्त सृजित पदों के संबंध में आने वाले व्यय को वहन करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करायी गयी । भारत सरकार ने उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट की कि पूर्ण कालिक अध्यापकों को पद सृजन एवं उनको भरने के दिनांक से वेतन अनुमन्य होगा । 75% केन्द्रीय सहायता प्लान पीरियड के अन्त तक मिलेगी । प्लान पीरियड के समाप्त होने पर वेतन दिये जाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और उक्त व्यय राज्य संसाधन से वहन किया जायेगा । पूर्ण कालिक अध्यापकों का वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा । अध्यापकों की योग्यता तथा नियुक्ति प्रदान करने का ढंग राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत समाहित रहेगा । वर्तमान पंचवर्षीय योजना में वेतन अनुदान मार्च, 2002 तक ही अनुमन्य होगा । यह निश्चित है कि भारत सरकार से अनुदान न प्राप्त होने की स्थिति में पूरी योजना पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा और ऐसा वर्ष 1998 में एक बार हो भी चुका है। जब भारत सरकार ने अनुदान देने से मना कर दिया था और अपेक्षा की थी कि राज्य सरकार यदि चाहे तो अपने संसाधन से योजना चलाये तब योजना को लगभग 6 माह के लिए बन्द कर देना पड़ा था । इसके बाद जब भारत सरकार ने योजना चालू करने की अपनी सहमति दी तो योजना को पुनः संचालित किया जा सका । उक्त से स्पष्ट है कि भारत सरकार इन सृजित होने वाले पदों पर आने वाले व्ययों को मार्च 2002 तक ही (75%) वहन करेगी । इसके पश्चात् इन पदों पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार को वहन करना होगा । राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वह इसको वहन करने में असमर्थ है । राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से यह आग्रह किया गया है कि मानदेय की धनराशि 1500/- रु० प्रतिमाह अधिकतम से बढ़ाकर रु० 5000/- अधिकतम किया जाय । भारत सरकार सम्प्रति इस पर विचार कर रही है ।

हाल ही में भारत सरकार के स्तर पर इस योजना के संबंध में देश के समस्त शिक्षा सचिवों की बैठक में यह तय हुआ था कि पुनः नये सिरे से इस योजना को, आये सुझावों के प्रकाश में पुनर्संरचना की जाय । अतः सम्प्रति भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा समीचीन रहेगी । अतिथि विषय विशेषज्ञों को विनियमित किये जाने के संबंध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि अब इनको शासन स्तर से नियुक्ति ही नहीं प्रदान की गयी है तो इन्हें विनियमित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।]

जनपद संत रविदासनगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां स्थित पानी की टंकी जमुनीपुर अठगवां मोड़ से जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ० पूर्णमासी पंकज द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

[जमुनीपुर अठगवां मोढ़, मोढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना, विकास खण्ड सुरियावां, जनपद संत रविदासनगर (भदोही) के अन्तर्गत 29 ग्रामों की प्रकल्पित जनसंख्या–26650 को पेयजल उपलब्ध

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कराने हेतु वर्ष 1989 में निर्मित की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत 2 नग नलकूप, एक नग शीर्ष जलाशय तथा लगभग 39 किलोमीटर तक वितरण प्रणाली के कार्य कराये गये थे । प्रारम्भ में सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध था । किन्तु वर्तमान में जलकल परिसर से सटे ग्रामों में जल की अधिक मांग होने, बिछी हुई पाइप लाइनों को बार-बार तोड़ फोड़ किये जाने, पाइप लाइन के चोक हो जाने एवं वितरण प्रणाली में गैप हो जाने के कारण अन्तिम छोर के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बाधित है । जल निगम को निर्देशित किया जा रहा है कि इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायें ।

योजना के जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बाधित है उनमें इण्डियां मार्क–2 हैण्डपम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०-1999	जनसंख्या–1999	अधिष्ठापित. हैण्डपम्पों की संख्या
1	बढ़यानी	195	637	7
2	हरीपट्टी	191	1226	19
3	कोछिया	196	1349	19
4	नारोत्तमपुर उर्फ चमरूपट्टी	208	924	04
5	उगई का पुरा	210	579	05
6	नवाद कलां	220	1849	18
7	डडवाधर्मपुर	221	1540	13
8	गुरूखलियां	222	36	01
9	चकहेमराज	224	51	02
10	महरमा	410	517	08
11	चन्दपुर	411	179	02
12	चकशिकारी	116	814	11
13	तालसुपैला	199	308	03
14	चकमैधाजी	198	98	02
15	चकपटरी	197	274	05
16	बलभद्दरपुर	194	607	04
17	चकभवानीदास	193	479	03
18	चकहरकेश	134	20	01
19	किसुनपुर	135	340	02]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 02 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं० 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की अनुमन्य सूची में सम्मिलित जातियां

(मार्च, 2001 तक संशोधित)

1–अहीर, यादव, यदुवंशीय, ग्वाला

2–अरख, अर्कवंशीय

3–काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य

4–कहार, कश्यप

5–केवट या मल्लाह, निषाद

6–किसान

7–कोइरी

8–कुम्हार, प्रजापति

9–कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल, कुर्मी–सैंधवार

10–कम्बोज

11–कसगर

12–कुंजड़ा या राइन

13–गोसाई

14–गूजर

15–गड़ेरिया पाल और बघेल

16–गद्दी, घोषी

17–गिरी

18–चिकवा, कस्साव, कुरैशी, चक

19–छीपी, छीपा

20–जोगी

21–झोजा

22–दफाली

23–तमोली, बरई, चौरसिया

24–तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अरार्क

25–दर्जी, इदरीसी, काकुस्थ

26–धीवर

27–नक्काल

28–नट (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित हो)

29–नायक

30–फकीर

31–बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी

32–बढ़ई, बढ़ई-सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान

33–बारी

34–बैरागी

35–बिन्द

36–बियार

37–भर, राजभर

38–भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, कांदू, कसौधन

39–भठियारा

40–माली, सैनी

41–मनिहार, कचेर, लखेरा

42–मुराव या मुराई, मौर्य

43–मोमिन, अंसार

44–मिरासी

45–मुस्लिम कायस्थ

46–नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे करण (कर्ण)

47–मारछी

48–रंगरेज, रंगवा

49–लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी–राजपूत

50–लोहार, लोहार–सैफी

51–लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर लोनिया–चौहान

52–सोनार, सुनार, स्वर्णकार

53–स्वीपर (जो अनुसूचित जाति की सूची में न सम्मिलित न हो) हलालखोर

54–हलवाई, मोदनवाल

55–हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास

56–राय सिक्ख

57–सक्का–भिश्ती, भिश्ती–अब्बासी

58–धोबी (जो अनुसचित जाति की श्रेणी में न सम्मिलित हो)

59–कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार

60–नानबाई

61–मीर शिकार

62–शेख सरवरी (पिराई), पीराही

63–मेव, मेवाती

64–कोष्टा/कोष्टी

65–रोड़

66–खुमरा, संगतराश, हंसीरी

67–मोची

68–खागी

69–तंवर सिंघाड़िया

70–कतुआ

71–माहीगौर

72–दांगी

73–धाकड़

74–गाड़ा

75–तंतवा

76–जेरिया

77–पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी

78–जाट

79–कलाल, कलवार, कलार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की अनुमन्य सूची अनुसूची–एक में सम्मिलित जातियों की सूची

1–अहीर
2–अरख, अर्कवंशीय
3–काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य
4–कहार
5–केवट या मल्लाह, निषाद
6–किसान
7–कोइरी
8–कुम्हार, प्रजापति
9–कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल, कुर्मी–सैंधवार
10–कम्बोज
11–कसगर
12–कुंजड़ा या राईन
13 गोसाई
14 गुजर
15–गड़रिया
16–गद्दी, घोषी
17–गिरी
18–चिकवा, कस्साव, कुरैशी, चक
19–छीपी, छीपा
20–जोगी
21–झोजा
22–दफाली
23–तमोली, बरई, चौरसिया
24–तेली, सामानी, रोगनगर
25–दर्जी, इदरीसी
26–धीवर
27–नक्काल
28–नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में न सम्मिलित हो)
29–नायक
30–फकीर
31–बंजारा
32–बढ़ई
33–बारी
34–बैरागी
35–बिन्द
36–बियार
37–भर, राजभर
38–भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, कांदू
39–भटियारा
40–माली, सैनी
41–मनिहार, कचेर, लखेरा
42–मुराव या मुराई, मौर्य
43–मोमिन, अंसार
44–मिरासी
45–मुस्लिम कायस्थ
46–नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे
47–मारछा
48–रंगरेज, रंगवा
49–लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी–राजपूत
50–लोहार
51–लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया–चौहान
52–सोनार, सुनार, स्वर्णकार
53–स्वीपर (जो अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित न हो)
54–हलवाई, मोदनवाल
55–हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची–3

वर्ष 1995 के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित जातियां

क्रमांक	वर्तमान समय में पिछड़े वर्ग की सूची में अंकित क्रमांक	सम्मिलित जाति का नाम
1	2	3
1	56	राव सिक्ख
2	57	सक्का–भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी
3	58	धोबी (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में न सम्मिलित हो)
4	59	कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
5	60	नानबाई
6	61	मीर शिकार
7	62	शेख सरवरी (पिराई), पीराही
8	63	मेव, मेवाती
9	64	कोष्टा/कोष्टी
10	65	रोड़
11	66	खुमरा, संगतराश, हंसीरी
12	67	मोची
13	68	खागी
14	69	तंवर सिंघाड़िया
15	70	कतुआ
16	71	माहीगीर
17	72	दांगी
18	73	धाकड़
19	74	गाड़ा
20	75	तंतवा
21	76	जोरिया
22	77	पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
23	78	जाट
24	79	कलाल, कलवार, कलार

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र० सं०–91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

अनुसूचित जाति की विधवाओं की पुत्रियों की शादी अनुदान सूची

प्रश्न सं०–91

क्र०सं०	लाभार्थी का नाम	पति का नाम	पता	जाति	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
			वर्ष 2000-2001		
1	सिया दुलारी	पुत्तन	म० नं० 563 ख/50 मंगलखेड़ा चन्दन नगर	धोबी	10000/-
			वर्ष 1999-2000		
2	श्रीमती कोकिला	सेवक	ग्राम दुबहा पो० खंडसरा	चमार	10000/-
3	रमदेई	पच्चालाल	ग्राम दुबहा, पो० खंडसरा	चमार	10000/-
4	चम्पादेवी	छोटेलाल	गोपालपुरी आजाद नगर	पासी	10000/-
5	पार्वती	जोधा	ग्राम दसदोई	पासी	10000/-
6	तारावती	रामपाल	सैदुल्लानगर, पो० बन्थरा	पासी	10000/-
7	ठकुरा	कल्लू	नि० केवलहार मलिहाबाद	पासी	10000/-
8	रामकली	राम प्रसाद	कुर्ती खेड़ा पारा भदराही	पासी	10000/-
			वर्ष 1998-99		
9	शिवरानी	रघुनाथ	गोपालपुर, पो० जमुलिया	पासी	10000/-
10	गंगादेवी	सीताराम	नि० कनार पो० काकोरी	चमार	10000/-
11	चौहाना	टिक्कीलाल	अल्लूनगर डिगरिया	चमार	10000/-
12	श्रवण कुमार	सियाराम	नई बस्ती धनेवा	चमार	10000/-
13	सुरजा देई	चरन	नि० मवई पड़ियाना	चमार	10000/-
14	बिटाना	मेवालाल	कटौली	पासी	10000/-
15	शान्ती	रामलाल	बन्दरिया बाग, लखनऊ	बाल्मीकि	10000/-
			वर्ष 1997-98		
16	सरजूदेई	श्रीराम	अमानीगंज	पासी	10000/-
17	रामदुलारी	गुरू	शकल गढ़ईया	चमार	10000/-
18	कमलपति	रामबली	2983 राजाजीपुरम	धोबी	10000/-
19	सरोज	गंगासागर	रसूलपुर सादात	पासी	10000/-
20	तेजकुमारी	लल्लू	भलिया काकोरी	चमार	5000/-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
21	सरजूदेई	बाबूलाल	महिपतमऊ काकोरी	पासी	5000/-
22	चन्द्रकला	जगन	नेहरूनगर	पासी	5000/-
23	कमला	रामपाल	ग्राम व पोस्ट मंवई, पड़ियाना	पासी	5000/-
24	सावित्री देवी	गुरूप्रसाद	म०नं० 550, दूसरी गली, निशातगंज	चमार	5000/-
25	रामरती	रामस्वरूप	उत्तरगाव, पो० सिसंडा	कोरी	5000/-
26	रन्नोदेवी	महादेव	ग्राम पो० अमेठी	पासी	5000/-
			वर्ष 1996-97		
27	शान्ती	कल्लू	नजर नगर	कंजड़	5000/-
28	शान्ती	नन्कऊ	शुकुल गढ़ईया रूपपुरी	कोरी	5000/-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता० प्र० सं०–161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82–83 पर)

क्र०सं०	पदनाम	कार्यरत कर्मचारी का नाम	डिप्पणी
1	2	3	4
1	कर्मशाला अधीक्षक	सर्वश्री शिवमूर्ति दीक्षित	—
2	ड्राफ्ट्स मैन	,, आर० एस० तिवारी	—
3	केंद्र सहायक	,, आर० पी० मिश्र	—
4	आशुलिपिक	,, डी० पी० मौर्य	—
5	लिपिक	,, के० सी० मिश्र	नवम्बर, 2000 में सेवानिवृत्त
6	लिपिक	,, यू० के० त्रिपाठी	जून, 2000 में सेवानिवृत्त
7	लिपिक	,, बी० तिवारी	—
8	लिपिक	,, प्रदीप कुमार भार्गव	—
9	प्रधान लिपिक	रिक्त	—
10	कैशियर	रिक्त	—
11	चतुर्थ श्रेणी	,, कन्हई लाल	—
12	,, ,,	,, चिन्ता सिंह	—
13	,, ,,	,, भोलानाथ शुक्ल	—
14	,, ,,	,, मूलचन्द	—
15	,, ,,	,, रामा	—
16	,, ,,	,, भाई लाल	—
17	,, ,,	,, कटारी	—
18	,, ,,	,, लक्ष्मण	—
19	,, ,,	,, शम्भू	—
20	,, ,,	,, देव सरन	जुलाई, 2000 में सेवानिवृत्त
21	,, ,,	,, हीरा लाल	—
22	,, ,,	,, सत्य प्रसाद	—
23	,, ,,	,, राम नारायण शर्मा	—
24	,, ,,	,, जगदीश प्रसाद	—
25	,, ,,	,, के० एन० तिवारी	जून, 2000 में सेवानिवृत्त
26	,, ,,	,, आर० पी० थापा	—
27	,, ,,	,, जवाहर लाल	—

उत्तर प्रदेश संशोधन सभा

1	2	3	4
28	चतुर्थ श्रेणी	सर्वश्री बसन्त लाल	—
29	,, ,,	,, गामा	—
30	,, ,,	,, राम नारायण	—
31	,, ,,	,, राम वरन	अक्टूबर, 99 में मृत्यु
32	,, ,,	,, रिक्त	—
33	,, ,,	,, रिक्त	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 248 विधान सभा (429)–813 (डी०टी०पी०) I